खण्ड-131, अंक-2
मंगलवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1875
(9 मार्च, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 131 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ६ मार्च, १९५४

बिधान सभा की बैठक सभा-मंडप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४५)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किन्वरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद, पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चतर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगुल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दानाराय, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़जलुलहक, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार

बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दल लतीफ , श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघुवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशबन्धु श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री

रामसनेही भारतीय श्री,
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र विक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम , डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद, मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री

हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

*१–३––श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)––[स्थगित किये गये।]

खलीलाबाद मुन्सफी, जिला बस्ती को तहसील के सदर मुकाम पर कायम करने की मांग

*४––श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)––क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद मुन्सफी जिला बस्ती को खलीलाबाद तहसील के सदर मुकाम पर किये जाने का आदेश जारी किया जा रहा है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)––जी नहीं, ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये जा रहे हैं।

श्री धनुषधारी पाण्डेय––क्या सरकार ऐसे आदेश जारी करने पर विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर––चूंकि इसके मुताल्लिक गौर किया गया और हाई-कोर्ट की रिपोर्ट और जिला के हाकिम की रिपोर्ट उसके खिलाफ थी और बाज एम० एल० एज० भी उसके खिलाफ थे। इसलिये उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है।

श्री धनुषधारी पांडेय––क्या सरकार को यह मालूम है कि खलीलाबाद बार एसोसियेशन से ऐसी मांग आई है ?

श्री सैयद अली जहीर––जी हां मांग तो आई थी।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)––क्या सरकार को यह मालूम है कि खलीला-बाद के चार एम० एल० एज० ने ज्वाइंटली यह मांग की है।

श्री सैयद अली जहीर––जी हां, यह सही है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह माननीय सदस्य कौन-कौन हैं जो नहीं चाहते हैं कि खलीलाबाद में मुंसफी न खोली जाय।

श्री सैयद अली जहीर––नाम तो बताना ठीक नहीं होगा अगर अलेहदा आप पूछेंगे तो मैं बतला दूंगा।

श्री धनुषधारी पांडेय - क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि खलीलाबाद में इतने मुकदमे हैं कि चार चार महीने तक तारीख नहीं पड़ पातीं ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, इसकी कोई इत्तिला नहीं है लेकिन काम बहुत सी मुसिकियों का पड़ा हुआ है।

श्री अब्दुल मुईज खां---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन सज्जनों ने इसका विरोध किया है वह क्या खलीलाबाद से ही संबंध रखते हैं।

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, कुछ तो वहां के एम० पी० और कुछ एम० एल० एज० हैं।

*५---६-श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)---[स्थगित किये गये।]

अध्यापकों के चुनाव में परिगणित जाति वालों के लिए सुरक्षित स्थान

*७---श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो अभी ३२,००० अध्यापकों का स्पेशल चुनाव हो रहा है उसमें १८ प्रतिशत स्थान परिगणित जातियों के लिये भी सुरक्षित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)---जी हाँ, सुरक्षित है।

*८---श्री जोरावर वर्मा---क्या सरकार परिगणित जातियों के लिये योग्यता में कुछ रिआयत कर रही है या उनको उपर्युक्त शिक्षा की ट्रेनिंग के लिये कोई स्पेशल व्यवस्था का आयोजन करने का विचार रखती है ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं। ट्रेनिंग की व्यवस्था सभी के लिए है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स के कितने हरिजनों के प्रार्थना-पत्र आये हैं और कितनों को सेलेक्शन में लिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---इसकी तो सूचना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा---क्या मंत्री जी को मालूम है कि जिलों से ऐसी योग्यता न होने पर नये हरिजनों का सेलेक्शन हुआ है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं अभी सेलेक्शन हो नहीं हुआ है।

श्री कमता सिंह (जिला गाजीपुर)---क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि बैकवर्ड क्लास के कितने आदमी लिये गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---उनके लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं है।

*९---१०---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--- [स्थगित किये गये।]

*११---१२---श्री बद्रीनारायण मिश्र---[स्थगित किये गये।]

राज्य में कालाजार यूनिटों का तोड़ा जाना

*१३---श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त के किन किन जिलों में कालाजार के सेंटर हैं ?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—काला आजार यूनिट दो गोरखपुर में एक इलाहाबाद व एक बस्ती जिले में है।

*१४—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले का सेंटर क्यों तोड़ दिया गया है?

श्री बनारसीदास—काला आजार यूनिट से लाभ उठाने वाले मरीजों की संख्या बहुत कम होने के कारण आजमगढ़ जिले की १ यूनिट व ५ यूनिट और दूसरे जिलों की तोड़ दी गई हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ५ यूनिटें जो तोड़ी गई हैं, वह किन-किन जिलों की हैं?

श्री बनारसीदास—जैसा इसमें बतलाया गया है दो गोरखपुर में, एक इलाहाबाद में और एक बस्ती में है। जहाँ तोड़ दी गई हैं, वह जिले आजमगढ़, जौनपुर और बनारस हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में जहाँ पहले ये कालाजार की यूनिटें थीं, वहाँ अब भी काफी तादाद में मरीज इससे पीड़ित रहते हैं?

श्री बनारसीदास—जब वहाँ से ये यूनिटें तोड़ी गईं तब वहाँ मरीज काफी तादाद में नहीं आते थे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह कालाजार यूनिट आजमगढ़ जिले में कब तोड़ी गई।

श्री बनारसी दास—जी हाँ, सन् १९५२ में, अगस्त के बाद।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि गत तीन चार वर्षों में कालाजार के मरीजों की बहुत ज्यादा संख्या आजमगढ़ जिले में रही है?

श्री बनारसीदास—पहले वहाँ कालाजार के मरीजों की संख्या अधिक थी, इसी वजह से कालाजार यूनिट वहाँ कायम किया गया था। लेकिन बाद में जब देखा गया कि काफी संख्या में यूनिट के पास मरीज नहीं आते हैं तो यूनिट तोड़ दी गई।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कब से इस संख्या में कमी होने लगी है?

श्री बनारसीदास—यह तो मैंने अभी निवेदन किया कि अगस्त सन् १९५२ में यह मालूम हुआ कि काफी तादाद में मरीज इससे लाभ नहीं उठा रहे हैं इसलिए आदेश दे दिया गया कि इस प्रकार के यूनिट तोड़ दिये जायं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५२ के पहले उस यूनिट के पास कितने रोगी आते थे और सन् १९५२ में जब यूनिट तोड़ी गई तब कितने रोगी थे?

श्री बनारसीदास—इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार इस पर फिर विचार करेगी कि आजमगढ़ में कालाजार के रोगियों की संख्या की जांच कराये और फिर से कालाजार यूनिट स्थापित करें।

श्री बनारसीदास—यदि इस प्रकार की रिपोर्ट आयेगी कि कालाजार की बीमारी वहाँ बढ़ रही है तो अवश्य वहाँ पर यूनिट कायम करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में कालाजार की बीमारी का क्या परसेंट रहा ?

श्री बनारसीदास—इसके लिए सूचना की आवश्यकता है। लेकिन अभी जवाब में बतलाया गया कि गोरखपुर में तो यूनिट अभी कायम ही है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि यह यूनिट जो रही है, वह घूमती फिरती रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीन-तीन महीने के लिए घूमती रही है ?

श्री बनारसीदास—जी हाँ, वहाँ एक जगह पर उसको कायम किया गया था और जहाँ से इस प्रकार की रिपोर्ट आती थी वहाँ वह जाते थे।

तारांकित प्रश्न

*१—२—**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहाँपुर)—[स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में कूड़ा व धोंधी नदियों के दोआबे में सिंचाई का अभाव

*३—**श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बस्ती जिले में बाँसी तहसील के उस क्षेत्र के लिये जो कि कूड़ा व धोंधी नदियों के बीच में है, इन नदियों में बांध बनवाने की योजना पर विचार कर रही है ? अगर हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—बस्ती जिले के उस क्षेत्र में जो कूड़ा और धोंधो नदियों के बीच में है, बाँध बनवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र से निकल कर कूड़ा नदी विशेष ढालू धरती से बहती हुई अपने साथ अधिक मात्रा में रेत तथा मिट्टी बहा लाती है, जो इस क्षेत्र में बैठ जाती है जिसके कारण बाढ़ के समय कूड़ा नदी सारे क्षेत्र में फैल जाती है। ऐसे स्थान पर बाँध बनवाने से लाभ के बदले में अधिक हानि होने की संभावना है।

श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी उस दोआबे के क्षेत्र की जनता की आर्थिक दशा को देखते हुए कोई दूसरी सिंचाई की व्यवस्था करेंगे।

श्री राममूर्ति—मैंने अभी अध्यक्ष महोदय पेश किया कि चूंकि दरिया बहुत रेत बहाकर लाता है इस वजह से वहाँ पर कोई बाँध बनवाना मुनासिब नहीं होगा। उससे बजाय फायदे के नुकसान होगा।

श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बाँध बंधाने के अलावा सिंचाई के लिए कोई दूसरी व्यवस्था उस क्षेत्र के लिए करेंगे।

श्री राममूर्ति—अभी तक इसके बारे में विचार तो हुआ नहीं है। अब इसके बारे में सोचा जायगा।

*४—६ **श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—[स्थगित किये गये]

लोअर गंगा नहर की बेवर शाखा को बढ़ाने की योजना

*७--श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके सामने Lower Ganga Canal (Bewar Branch) को Extend करने की योजना है ? यदि हां तो वह कब तक, कहां तक और किस प्रकार से Extend की जायेगी ?

श्री राममूर्ति--कुछ वर्ष पूर्व जिला फर्रुखाबाद की छिबरामऊ और कन्नौज तहसीलों में काली नदी व ईसन नदी के दोआबा तक लोअर गंगा नहर की बेवर शाखा को बढाने की योजना बनाई गई थी मगर गंगा नहर में जल की कमी के कारण योजना स्थगित कर दी गई। इस योजना को अब उस समय कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है जब गढ़वाल जिले में रामगंगा जलाशय बन चुकेगा। इस जलाशय को १५ वर्षीय योजना के अन्तर्गत सन् १९५९-६० में आरम्भ करने का आयोजन है ?

*८--श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी--क्या यह सच है कि Bewar Canal Branch को Extend करने के लिये काली नदी से पम्प द्वारा पानी लेने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति--उक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें प्रदान करने के लिये नवीगंज स्थान पर काली नदी से पम्प द्वारा पानी उठाये जाने की योजना पर विचार किया गया था परन्तु नदी में जल की मात्रा का नाप लेने पर विदित हुआ कि उक्त क्षेत्र में सिंचाई के लिये नदी में पर्याप्त जल नहीं है, अतः योजना स्थगित कर दी गई।

*९--श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त योजना पर कितना व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति--अनुमान किया जाता है कि बेवर शाखा को बढाने में लगभग ८० लाख रुपया व्यय होगा।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी--क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी को पता है कि इस क्षेत्र में सिंचाई के साधन न होने के कारण काश्त को बहुत काफी नुकसान पहुंचा है ?

श्री राममूर्ति--इस बात को ख्याल में रखते हुये छबरामऊ और कन्नौज तहसीलों में ट्यूबवेल बनाने की योजना चल रही है।

*१०-११-श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)--[६ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२-१३-श्री रामसुन्दर पाण्डेय--[३० मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये]

*१४-१५-श्री लक्ष्मणराव क़दम (जिला झांसी)--[६ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१६-१७-श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)--[६ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१८-२०-श्री जोरावर वर्मा--[३० मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२१-२२-श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--[२३ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२३-२५-श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--[६ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये ।]

तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर में कूप निर्माण के लिए सहायता

*२६—श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत फरेंदा तहसील में कब तक ट्यूबवेल लग जायेंगे ?

श्री राममूर्ति—गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में दस सरकारी नलकूप निर्माण करने की योजना है। आशा है यह नलकूप सितम्बर, १९५४ के अन्त तक बनकर तैयार हो जायेंगे।

१९५३-५४ की सहकारी नलकूप योजना के अन्तर्गत गोरखपुर जिले को ५ नलकूप दिये जाने का प्रस्ताव है, जो लगभग एक साल में पूर्ण होंगे। इन नलकूपों का जिले में वितरण जिलाधीश व जिला नियोजन कमेटी करेंगी।

*२७—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन-जिन भागों में नहर और ट्यूबवेल्स के सम्भावित साधन नहीं हैं वहां की सिंचाई के लिये वह पक्के कुंओं की योजना इस वर्ष पुनः चालू करेगी ?

श्री राममूर्ति—१९५३-५४ में भी पिछले वर्षों की भांति गोरखपुर जिले में राज सहायता द्वारा पक्के कुंयें बनाने की योजना चालू करने के आदेश जारी हो चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष गोरखपुर में ३०० पक्के कुंये बनाये जायेंगे।

श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय—कुंओं की निर्धारित धनराशि में से गोरखपुर जिले को इस वर्ष कितना रुपया दिया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—अभी यह तो कहना मुश्किल है कि कितना रुपया वहां दिया जायगा लेकिन वैसे ३९ लाख रुपया बजट में दिया गया है। इसका प्रोग्राम नहीं बन पाया है कि किस-किस जिले को कितना रुपया दिया जायगा।

श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय—यह जो ३०० कुंओं की स्वीकृति दी गई है क्या इससे गोरखपुर जिले के उन क्षेत्रों की सिंचाई की आवश्यकता पूरी हो जायगी ?

श्री राममूर्ति—यह तो मैं जानता नहीं कि उन क्षेत्रों की इन कुओं से सिंचाई की आवश्यकता पूरी होगी या नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश है कि हर जिले में जो काम है उसको वह पूरा करे।

श्री रामअवध सिंह (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि यह ३०० कुओं की जो स्वीकृति दी गई है इसके लिये सीमेंट और कोयले की भी व्यवस्था की गई है ?

श्री राममूर्ति—जो रुपया दिया जाता है उसीसे सीमेंट और कोयले की व्यवस्था की जाती है।

श्री रामअवध सिंह—क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस वर्ष भी गोरखपुर में सरकार ने कोयले और सीमेंट की व्यवस्था की है ?

श्री राममूर्ति—यह तो मैं नहीं कह सकता कि सीमेंट की गोरखपुर में इस वक्त क्या हालत है। माननीय सदस्य अगर जानना चाहते हों तो फूड मिनिस्टर से पता लगा कर बतला दूंगा।

श्री केशव पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि पूरे जिले में सिंचाई के निमित्त सर्वे किया गया है कि कहां सिंचाई की आवश्यकता है ?

श्री राममूर्ति---सर्वे तो समय समय पर होता ही रहता है।

श्री अब्दुल मुईज खां---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एक कुयें के लिये जो सहायता दी जायगी वह कितनी होगी ?

श्री राममूर्ति---४०० रुपये।

*२८-२९---श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)---[स्थगित किये गये]।

*३०---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---[६ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये]।

पूर्वी यमुना नहर के क्षेत्र में बरसाती पानी से हानि

*३१---श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि पूर्वी यमुना नहर क्षेत्र में नीची भूमि के बरसाती पानी की निकासी के कार्य आरम्भ करके बन्द कर दिये गये हैं ?

श्री राममूर्ति---पूर्वी यमुना नहर के आस पास किसी नाले का काम प्रारम्भ होने के उपरान्त स्थगित नहीं किया गया है।

*३२---श्री श्रीचन्द---क्या सरकार बतलायेगी कि इस क्षेत्र में कहां कहां ये कार्य आरम्भ किये गये थे और कितने क्षेत्रफल में बरसाती पानी से खेती को हानि पहुंचती है ?

श्री राममूर्ति---प्रश्न का प्रथम भाग नहीं उठता। अनुमानतः ८०० एकड़ भूमि अति जल वृष्टि से जलमग्न हो जाती है।

*३३---श्री श्रीचन्द---अब तक इन कार्यों पर क्या व्यय हो चुका है और अनुमानित कुल लागत क्या थी ?

श्री राममूर्ति---अनुमानतः ४१,००० रु० इन नालों पर व्यय हो चुका है। नये नाले बनाने अथवा पुराने नालों के विशेष सफाई कार्य की लागत लगभग २,९०,००० रुपया है।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह भूमि नहर यमुना की किन किन जगहों पर पायी जाती है ?

श्री राममूर्ति---यह तो मैं इस वक्त नहीं बतला सकता। मेरे पास इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो मालूम करके बतला दूंगा।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री कोई ऐसी योजना बनाने का विचार रखते हैं जिससे यह नहर की भूमि समतल हो जाय ?

श्री राममूर्ति---माननीय सदस्य इसके बारे में अगर कोई सुझाव दें तो अच्छा है वर्ना मैं इस मसले को चीफ इंजीनियर के पास भेज दूंगा और वह इसके बारे में अपनी राय दे सकेंगे।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ४१ हजार रुपया किन-किन नालों पर व्यय किया गया ?

श्री राममूर्ति---नालों का खर्च इस प्रकार है :---

		रु०
रिव्यैरान नाला	..	१३,५००
बंथला	..	३,१९४
झवरिन	..	१,९६६
भल्लकपुर	..	११,५५३
खड़रावली	..	७,७००
रिमार्डलिंग	..	१८,०००
अलावलपुर	..	४,७००
बरौत	..	४,०००

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २ लाख ९० हजार रुपया किन किन नालों के बनाने में व्यय किया जायगा ?

श्री राममूर्ति---

		रु०
टोथकी नाला	..	४,०००
डेहरा नाला	..	५,५००
ढोला मजरा	..	५,७००
लोधी पुरा	..	४,६००
भांटकी	..	१,१८,८००
रटना खेड़ी	..	४,७००
डेला खेड़ी	..	१३,१००

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो नाले मैदानी इलाकों में से पास होते हैं उनकी सफाई के लिये कुछ रकम वह दे रही है ?

श्री अध्यक्ष---इसी क्षेत्र के लिये आप पूछ रहे हैं या प्रांत भर के लिये ?

श्री हरिसिंह---यमुना के पास जो नाले बहते हैं।

श्री राममूर्ति---अभी यह कहना मुश्किल है, लेकिन किसी खास नाले के लिये आप जानना चाहें तो मैं मालूम कर सकता हूं।

जिला गोरखपुर में रामगढ़ नहर के पम्प में खराबी

*३४---श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या यह सही है कि जिला गोरखपुर की रामगढ़ नहर के टेल पर करीब १ मील के पानी नहीं जा पाता ?

श्री राममूर्ति---रामगढ़ नहर के पम्प्स (pumps) की खराबी से पूरा पानी न उठने के कारण नहर के अंतिम चार फर्लांग में पानी कम पहुंचा था परन्तु उसका शीघ्र ही प्रबन्ध कर दिया गया था। इस वर्ष की अभी तक लिखी हुई सिंचाई के ज्ञात है कि रामगढ़ नहर अपने निर्धारित रबी क्षेत्र से अधिक सिंचाई कर चुकी है।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रामगढ़ नहर के पंपिंग में क्या खराबी थी और कैसे दुरुस्त कर दी गयी ?

श्री राममूर्ति---खराबी मशीन की गड़बड़ से हुई होगी और किसी इंजीनियर के द्वारा वह ठीक की गयी होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट्स और सेकेन्ड अपील्स के विचाराधीन अभियोग

*३५--श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद हाई-कोर्ट की दोनों शाखाओं में इस समय कितने writs और II appeals पेंडिंग (pending) हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---इलाहाबाद हाई कोर्ट की दोनों शाखाओं में १९५३ के अन्त तक कुल १४७६ रिट अर्जियां और १६८८ सेकंड अपील्स (Second Appeals) पेंडिंग (pending) थीं ।

*३६--श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आम तौर पर इस समय एक रिट और सेकंड अपील के दाखिल होने से फैसला होने तक कितना समय लग रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर---आम तौर पर इस समय एक रिट अरजी के दाखिले होने से फैसला होने तक ४, ५ महीने और सेकेण्ड अपील में लगभग चार साल लगते हैं ।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो रिट है उनकी तादाद को कम करने के वास्ते अपने कांस्टीट्यूशन में कोई संशोधन करने की सिफारिश मंत्री जी करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---इस वक्त तो यह सवाल दरपेश नहीं है कि इसको बदला जाय बल्कि यह पूछा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कितनी रिट हैं और उनका कितनी देर में फैसला होता है ?

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि इन रिटों के फैसले होने में कम समय लगे ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे ख्याल में ४, ५ महीने का वक्त ज्यादा नहीं है।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार सैकेन्ड अपीलों के वास्ते ४,५ साल के समय को कम करने की कोशिश करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---यह सरकार के अख्तियार में नहीं है लेकिन बहरहाल सिविल लाज में तरमीम इसलिये करने वाले हैं कि इस वक्त में जहां तक हो सके कमी हो। लेकिन इतना ज्यादा वक्त तो काम की ज्यादती की वजह से है।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितने जजों की संख्या कंस्टीट्यूशन के बाद राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार होनी चाहिये उतनी है ?

श्री सैयद अली जहीर---ये फीगर्स इस वक्त मेरे पास नहीं हैं।

श्री इस्तफा हुसैन---जो कानून की तरमीम का इशारा उन्होंने किया है वह कौन सी तरमीम करने वाले है ?

श्री सैयद अली जहीर--वह बिल तो हाउस के सामने पेश है और सेलेक्ट कमेटी भी बनी हुई है।

श्री अब्दुल मुईज खां---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सिसिल लाज अमेंडमेंट बिल इस समय पेश है उसके सिलसिले में कुछ रिट्स और सैकेंड अपील्स में वक्त की कमी करने का इन्तजाम किया जायगा।

श्री सैयद अली जहीर---मेरा ख्याल है कि उसके जरिये से कुछ न कुछ तो जरूर असर पड़ेगा।

*३७---श्री उमाशंकर---[स्थगित किया गया]

पूर्वी जिलों को कूप निर्माण सहायता

*३८---श्री उमाशंकर---क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश अभावग्रस्त क्षेत्रों की सहायता संबंधी सरकारी पुस्तिका के परिशिष्ट "ग" के चौदहवें नम्बर पर जो कुंआ बनाने में ८००) प्रति कुंआ किसानों को सहायता देने की बात है उसके अनुसार कितने किसानों को आजमगढ़ तथा उल्लिखित दूसरे पूरबी जिलों में सहायता दी गयी ?

श्री राममूर्ति---माननीय सदस्य का अभिप्राय शायद कूप निर्माण की विशेष योजना से है जो सन् १९५२-५३ वर्ष में ६ पूर्वी जिलों के लिये स्वीकृत की गई थी। इसके अन्तर्गत अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार ३१०२ कुंये पूर्ण हो चुके हैं और उनपर निर्धारित सहायता पहले से ही सामान की शक्ल में तकावी की बिना पर दी जा चुकी है। जैसे जैसे पूर्ण कुंओं की जांच होती जायगी उन पर दी गई तकावी में से ४००) रुपये की धनराशि राजसहायता में परिणित होती जायेगी।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ में कितने कुंआ बनाने वालों को ८०० रुपया या मोटीरियल दिया गया ?

श्री राममूर्ति---८०० रुपया किसी को नहीं दिया गया ४०० रुपया दिया गया था।

श्री उमाशंकर---जो मैंने सहायता संबंधी पुस्तिका का हवाला दिया है क्या वह सही है?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, इसमें जो कुंओं का जिक्र किया गया है उसमें कुछ गलती हुई है। चीफ मिनिस्टर साहब इर्रीगेशन योजनाओं के लिये रुपया लेने दिल्ली जा रहे थे तो सेक्रेटरी ने एक नोट उनको पेश किया था उसमें लिखा गया था कि ८०० रुपया फी कुंआ दिया जाय। दिल्ली में बजाय ८०० रु० के ४०० रुपया कर दिया गया। लेकिन इसमें वहां नोट का ८०० गलती से दर्ज हो गया।

श्री उमाशंकर---क्या यह सही है कि इन कुआं बनाने वालों के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट रुपया देती है ?

श्री राममूर्ति---जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मिलती है ?

श्री उमाशंकर---सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना रुपया दिया जाता है ?

श्री राममूर्ति---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री गेंदा सिंह---केन्द्रीय सरकार ने जितना रुपया दिया था क्या वह सारा का सारा खर्च कर दिया गया ?

श्री राममूर्ति---मैंने अर्ज किया कि ३,१०२ कुंयें बन चुके हैं। उनको जो रुपया तकावी के रूप में दिया गया था, उनमें जितने कुंयें बन चुके हैं और जिनकी जांच हो चुकी है उनके तकावी के रुपयों में से ४०० रुपया मुजरा राज्य सहायता के रूप में कर दिया गया है।

श्री कमला सिंह---क्या जो बाकी कुंयें बनाये जा रहे हैं उनमें बोरिंग करने के लिये कोई व्यवस्था सरकार करा रही है ?

श्री राममूर्ति---जी नहीं।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कुंयें की सहायता से देवरिया में कितना रुपया दिया गया है ?

श्री राममूर्ति---देवरिया जिले में ५०२ कुंयें बने हैं जिनके लिये २६,२०० रु० दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय——क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि इस योजना के अनुसार ५१-५२ में कुयें बनाये गये हैं उनको सरकार की ओर से सहायता नही दी गयी ?

श्री राममूर्ति——मेरे पास इसके बारे में कोई सूचना नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल——क्या यह सही है कि कुंओं के लिये पैसा देते समय या सामान देते समय जितनी गहराई और गोलाई सरकार की तरफ से रक्खी गयी है उसमें अगर २, ४ इंच की कमी हो जाती है तो सरकारी अधिकारी यह सहायता नहीं देते ?

श्री राममूर्ति——इसके बारे में मुझे पता नहीं है ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—— क्या सरकार उनको भी सहायता देने पर विचार कर रही है जिनको सहायता देने का आश्वासन दिया गया था और जिन्होंने सन् ५१ में कुयें बनाये थे ?

श्री राममूर्ति——जी हाँ, इस साल भी बजट में रुपया मेसनरी वैल्स के लिये रक्खा गया है जो सरकारी सहायता के रूप में दिया जायगा।

*३९——**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)——[स्थगित किये गये।]

*४०——४१——**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)——[स्थगित किये गये।]

सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित डायरियों पर व्यय तथा उनका वितरण

*४२——**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस साल सूचना विभाग ने कितनी संख्या में डायरी प्रकाशित करायी और उसपर कुल कितना व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति——इस वर्ष ५,००० डायरियां राजकीय मुद्रणालय द्वारा छपाई गई और उन पर ९५०० रुपया व्यय हुआ ?

*४३——**श्री झारखंडे राय**——क्या सरकार बतायेगी कि ये डायरियाँ कहाँ कहाँ और किन किन को वितरित की गई।

श्री राममूर्ति——डायरियों की वितरण सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ १३६ पर)

*४४——**श्री झारखंडे राय**——क्या सरकार इस डायरी की उपयोगिता को देखते हुये इसे खुले बाजार में बिकवाने का विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति——नहीं।

श्री झारखंडे राय——क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन गैर-सरकारी आदमियों को डायरियाँ वितरित की गयीं वे किस आधार पर की गयीं ?

श्री राममूर्ति——उन्हीं गैरसरकारी लोगों को ये डायरियाँ दी जाती हैं जो सरकार के सूचना विभाग को वक्तन फवक्तन इन चीजों के बटवारे में मदद दिया करते हैं और उन अखबारों को भी दी जाती हैं जिनमें सरकार के सूचना विभाग का जो मेटिरिअल निकलता है उसको वे छापते हैं।

श्री झारखंडे राय——क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यूरोप के किन सोशलिस्ट नेताओं को डायरियाँ दी गयीं ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय मेरे पास इस वक्त नाम तो नहीं है लेकिन अच्छे ही लोग होंगे जिनको दी गयी होंगी।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन गैरसरकारी आदमियों को ये डायरियाँ दी गयीं उनकी तरफ से इसके लिये माँग की गयी थी या सरकार की ओर से खुद दी गयी ?

श्री राममूर्ति---डायरी ऐसी छोटी चीज को कौन माँगता है, यह तो अपनी तरफ से ही दी जाती है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतवर्ष के कुछ कम्युनिस्ट नेताओं को भी डायरियाँ पेश की गयीं या उन्होंने मंगायीं ?

श्री राममूर्ति---कम्युनिस्ट नेताओं को भी हम डायरियाँ देते हैं। सदन के माननीय सदस्य जो कम्युनिस्ट हैं उनको भी हम देते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि क्या किसी सोशलिस्ट मेम्बर साहब को डायरी नहीं मिली ?

श्री राममूर्ति---अब यह तो मुझे मालूम नहीं है कि सोशलिस्ट पार्टी के कितने मेम्बर हैं लेकिन यहाँ के जितने माननीय सदस्य हैं उन सबको दी गयीं तथा जिला बोर्ड आदि में जो चेयरमैन हैं उनको दी गयीं और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि संलग्न लिस्ट जो दी गयी है उसमें लिखा हुआ है कि इतनी डायरियां किन किन को दी गयीं।

श्री झारखंडे राय---क्या सरकार उन कारणों का पता लगाने की कृपा करेगी कि इस साल की डायरी पिछले साल की डायरी से क्यों घटिया दर्जे की है ?

(सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अलमोड़ा)---क्या सरकार एक डायरी माननीय सीताराम शुक्ल को भी देने को सोच रही है ? (हंसी)

जौनपुर जिले की मड़ियाहू नहर योजना

*४५---**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**---(जिला जौनपुर) क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर की जो शाखा बनारस और मड़ियाहू जाने वाली थी वह योजना स्थगित कर दी गयी ?

*४६---यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---मड़ियाहू नहर की योजना स्थगित नहीं की गई है। यह नहर प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नहीं है, इस कारण इसकी सर्वे साधारण गति से की जा रही है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पंच-वर्षीय योजना में मड़ियाहू बनारस की नहर बनने वाली है ?

श्री राममूर्ति---यह जो नेक्स्ट फाइव इयर प्लान बनेगा उसमें शामिल किया जायगा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहू की सिंचाई के लिये कोई दूसरी योजना भी चल रही है ?

श्री राममूर्ति---इसके लिये मैं नोटिस चाहता हूं।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि सर्वे का कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री राममूर्ति—इलाहाबाद में झूंसी के पास एक नयी योजना सोची जा रही है ताकि गंगा का पानी उठा लिया जाय। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि कब तक उसके सर्वे का काम खत्म हो जायगा।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सर्वे का काम कब से शुरू किया गया ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह नहर किन क्षेत्रों से होकर जायेगी ?

श्री राममूर्ति—सर्वे के बाद बताया जा सकता है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या जौनपुर के जिलाधीश महोदय से माननीय मंत्री जी को कोई इस प्रकार की सूचना मिली है कि मड़ियाहू में ५ साल से लगातार सूखा पड़ा हुआ है ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

*४७—४९—श्री बद्रीनारायण मिश्र—[स्थगित किये गये।]

अल्मोड़ा रामेश्वर रोड के निकलने से लधौली ग्राम के किसानों को हानि

*५०—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि अल्मोड़ा जिले के पट्टी दारुड़ के लधौली ग्राम से जो मोटर रोड अल्मोड़ा रामेश्वर को निकल रही है वह लधौली ग्राम के गरीब किसानों के खेतों से जा रही है जिससे उपरोक्त किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है ?

निर्माण मन्त्री/श्री गिरधारीलाल—अभी तक लधौली ग्राम के निकट अल्मोड़ा रामेश्वर मोटर मार्ग का अलाइनमेंट निर्णय नहीं हुआ है। अतः यह नहीं बताया जा सकता है कि सड़क इन खेतों को बचा कर निकाली जा सकती है या नहीं।

*५१—श्री खुशीराम—क्या सरकार बजाय उपरोक्त किसानों के खेतों के पुरानी सड़क से होकर (जिसमें विशेष अन्तर नहीं है) मोटर रोड निकालने की तजवीज करने पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—यदि अलाइनमेंट खेतों को छोड़कर जा सकता है तो उसका अवश्य प्रयत्न किया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर में गवर्नमेंट प्लीडर की आवश्यकता

१—श्री इस्तफा हुसैन—क्या यह सही है कि देवरिया में सेशन जजी खुल जाने के बाद गोरखपुर में केवल एक ही सरकारी वकील (गवर्नमेंट प्लीडर) रह गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार एक अतिरिक्त गवर्नमेंट प्लीडर निकट भविष्य में नियुक्त करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, आज कल सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउन्सेल गोरखपुर में काम कर रहा है। गोरखपुर में ऐडीशनल काउन्सेल नियुक्त करने के लिए सरकार के पास अभीतक कोई प्रस्ताव नहीं आया है इसलिये निकट भविष्य में एडीशनल काउन्सेल नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील सिकन्दराबाद, में सिंचाई के साधनों का अभाव

२—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले की तहसील सिकन्दराबाद के पश्चिमी भाग में सिंचाई के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—ऐसी कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

३—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नहर गंग माट ब्रांच से निकलने वाले रजबहा हसनपुर (जिला बुलन्दशहर) से निकलने वाली माइनर लोहारली को, जो पहिले सरकारी थी, फिर से सरकारी करने का विचार सरकार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी—लुहारली माइनर को जो समाप्त कर दी गयी थी बाद में एक कुलाबे के रूप में परिणत कर दी गयी थी। कुलाबा संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है अतः उसे पुनः माइनर के रूप में चालू करने का इरादा नहीं है।

६ मार्च, १९५४ के नेशनल हेराल्ड में श्री मदनमोहन उपाध्याय के नाम के आगे 'कांग्रेस' शब्द छापने पर आपत्ति

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, आज के नेशनल हेराल्ड अखबार में मेरे नाम के आगे 'कांग्रेस' छपा हुआ है। इससे लोगों में गलत फहमी पैदा हो सकती है कि कहीं मैं कांग्रेस में तो नहीं चला गया। मैं अभी कांग्रेस में नहीं गया हूं और वह गल्ती से छप गया है। ऐसी गल्ती बजाय इधर के उधर भी हो जाया करे तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—आपने कोई प्रिविलेज का प्रश्न तो उठाया नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जी नहीं।

१९५४-५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

विभिन्न अनुदानों के लिए समय विभाजन

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ५ के लिये एक घंटा और बाकी समय बाकी अनुदानों के लिये नियत कर दिया जाय। साथ ही साथ मैं एक प्रस्ताव यह और करना चाहता हूं कि आज का समय आध घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—पहले तो आप माननीय नेता सदन से इस आध घंटे समय के लिये दरियाफ्त कर लें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपाध्याय जी के प्रस्ताव में परिवर्तन करना चाहता हूं कि अनुदान संख्या ५ के लिये सवा बजे तक का समय रख दिया जाय क्योंकि इससे विशेषकर पहाड़ी जिलों का संबंध है और इसके अलावा मैदानी जिलों का भी जहां कि वन हैं उनका भी सम्बन्ध है इसलिये बहुत से आदमी बोलना चाहेंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि इसके लिये सवा बजे तक रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो डेढ़ घंटा ५ के लिये और आज का बाकी समय १२ और १३ अनुदानों के लिये रहेगा।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—१२ और १३ एक साथ ले ली जायं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—चूंकि अभी हमारे नेता आये नहीं हैं इसलिये बाद में इस पर तय हो जायगा।

अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०-वन

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से अनुदान संख्या ५–लेखा शीर्षक १०–वन के अन्तर्गत १,५३,३१,७०० रुपये की मांग का मैं प्रस्ताव करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में वन विभाग से हमारी धारा सभा के सदस्य ही नहीं वरन प्रदेश तथा समस्त देश के निवासी विशेष रुचि रखने लग गये हैं । यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। सदस्यों का रुचि रखना उनकी कर्तव्य परायणता के ही अनुकूल है । सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्किंग प्लान हमारे वन विभाग का एक मुख्य कार्य होता है । यों तो पहले गुलामी तथा नौकरशाही जो पूंजीपती राज्यप्रणाली थी उसके जमाने में भी जबकि यहां प्रजा राज्य प्रणाली का आज जैसा बोलबाला नहीं था उस वक्त भी यही एक विभाग ऐसा था जिसका कार्यक्रम किसी वैज्ञानिक ढंग से और एक सुलझी हुई रीति से होता था क्योंकि इसमें यह प्रथा तब से ही चलती आ रही है और उस पर अब अधिक जोर दिया जाता है कि हमारी वन सम्पत्ति जो है वह किसी प्रकार से नष्ट न की जाय केवल उसमें से ब्याज के रूप में जो फालतू माल उत्पन्न होता है उसी का नागरिक तथा जनता उपभोग करे। तो हमेशा यह नीति रही है कि जितने जंगल काटे जायं उसके अनुसार उस पूंजी की पूर्ति बराबर होती चली जाय जिससे आने वाली सन्तान कभी भी इस मुख्य चीज से वंचित न रहे। क्योंकि वनों का जैसा मैंने पहले भी कहा कि केवल मकान बनाने के लिये इमारती लकड़ी या मुल्क के डिफस के लिये माल पाने या जमीन के कटाव को रोकने के लिये ही नहीं बल्कि कच्चा माल उद्योगों के लिये और और जलाने के लिये लकड़ी बराबर पाने के लिये वनों की परम आवश्यकता है और अगर वह न हो तब तो मानव जीवन बड़ा कठिन हो जाय। इसलिये मेरे खयाल से यह आवश्यक वस्तु मनुष्य जीवन के लिये है और उस पर जितना ध्यान जाना चाहिये वह पहले तो नहीं दिया जाता था लेकिन अब धारा सभा इसपर विशेष रुचि और ध्यान देती है और विशेष तौर से हमारे मुख्य मंत्री जी के प्रयास से जो प्रगति और उन्नति हमने इधर की है वह प्रशंसनीय है। धनाभाव के कारण पेड़ जिस प्रगति से लगाने चाहिये थे नहीं लगा पाये। लड़ाई के जमाने में वर्किंग प्लान के मुताबिक कटान नहीं हुए इस प्रकार पूंजी को भी उस समय नष्ट कर डाला और उस पूंजी के पूर्ति के लिये अब करीब करीब २० साल तक हमारी प्रगति न बढ़े तो वह पूर्ति न हो सकेगी जिससे हमारे आगे आनेवाली सन्तान को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ।

इसके अतिरिक्त एक बड़े महत्व की बात यह भी है कि जहां कृषि की पैदावार को बढ़ाने की बात है वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगीकरण अपने प्रदेश और देश का हम कदापि नहीं कर सकते जबतक वन न हो क्योंकि कच्चा माल वनों से ही मिलता है और हमारा देश धनधान्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक की वनों को न बढ़ाया जाय । इसलिये इस ओर ध्यान देने की बड़ी

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

आश्यकता है । मैं आपको बतलाऊं कि करीब-करीब सभी विभागों के मुकाबिले में जैसा ग्रामीण लोगों की एक मिसाल है कि "बैल कमावे और घोड़ा खावे" उसी प्रकार यह विभाग औरों के लिये अपने सारे प्रदेश के लिये एक प्रकार से कमाई करता है और उसी के द्वारा अपना भरण-पोषण भी करता है और साथ ही साथ देश के लिये रेवेन्यू भी देता है । आप देखेंगे की इस साल हमने ३,५७,६७,००० रुपये के करीब अपनी आमदनी बताई है जब कि पिछले साल ३,२८,१८,००० रुपये हुई थी। हमारी आमदनी बढ़ती जा रही है । कुछ साल पूर्व हमारी आमदनी २ करोड़ के लगभग थी और अब साढ़े तीन करोड़ से ऊपर है । खर्ची, १,२६,००,००० के करीब है । इसके माने यह हुये कि ढाई करोड़ के करीब नेट सेविंग अपने रेविन्यूज में देते हैं । अब जिससे कि बराबर हमारी आमदनी बढ़ती चली जाय उसके लिये जंगलों का लगाना बहुत ही आवश्यक है सन् ५० में अगर आप देखें तो केवल चार हजार एकड़ भूमि में कुल नये पेड़ लगाये जाने थे, काटे उसके अनुमान से बहुत ज्यादा जाते थे । मगर जब से हमारी प्रगति शुरू हुई है उसके दूसरे वर्ष से चार हजार एकड़ से भूमि पांच हजार एकड़ हुई, सन् ५१ में ६ हजार एकड़ हुई,सन् ५२ में ८ हजार एकड़ हुई, गत् वर्ष में ११,५०० एकड़ भूमि में हम लोगों ने नया प्लांटेशन किया, और सन् १९५४-५५ में हमारा इरादा है कि जितना धन हमें मिला है उसके अनुसार हम १३ हजार एकड़ भूमि में नये पेड़ लगायें । इसके साथ झांसी में कुछ भूमि पर चन्दन के पेड़ों के लगाने की व्यवस्था कर दी गयी है । अभी तक केवल इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी के पेड़ जंगलों में लगाये जाते थे, मगर इस साल हमने ६० हजार फलदार पेड़ लगवायें हैं और खास तौर से अखरोट के पेड़ लगाये गये हैं । इसकी लकड़ी भी बन्दूकों और राइफलों की बेट में काम देती है । साथ-साथ बड़े बारीक प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट्स पापड़ी की लकड़ी के बनते हैं, उसकी भी मात्रा बढ़ाई जा रही है । ऐश जिसे अंगू कहते हैं उसके भी पेड़ लगाये जा रहे हैं ।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस साल वन महोत्सव के ३,४७,७१२ पेड़ लगाये गये । एक नया धन्धा हमने खोला और उसमें प्रगति ज्यादा हुई है । लड़ाई से पहले चीड़ के पेड़ों से जीसा ६० हजार मन निकलता था । इस वक्त रेजिन टैपिंग से रेजिन से जिससे टारपेंटाइन बनता है, करीब ३ लाख मन निकलता है । इस रेजिन से बहुत से दस्तकारी के काम होते हैं और इसमें भी प्रगति हुई है । तो यह आपने देखा कि सब पेड़ों की तादाद में वृद्धि होती चली जा रही है । इसके अतिरिक्त कत्था जिसे पान खाने वाले ज्यादा जानते हैं, १८,६०० मन वार्षिक पैदा होता है । लाख का काम मिर्जापुर आदि जिलों में होता है और वह २२ मन के करीब पैदा होता है । कमेला पाउडर जो कि रोहिनी से निकलता है वह ८ मन के करीब होता है । तेंदू का पत्तियाँ जिनसे बीड़ियां बनती हैं वह २६ हजार के होती हैं । रिंगल जिससे चटाइयाँ आदि बनती हैं उनकी संख्या १०,४४,००० के करीब है । बेंत ५,६३२ मन के करीब निकलते हैं, तथा चूने का पत्थर १६,५६,००० मन के करीब निकलता है । इसके अतिरिक्त रेलवे के स्लीपर्स काफी तादाद में निकलते हैं और जितनी आपके यहाँ प्लाई वुड की फैक्ट्रीज हैं उनमें बहुत मामूली किस्म की लकड़ी काम आती है । एक लकड़ी फर तथा स्प्रूस होती है । पहले वह एक निकम्मी लकड़ी समझ करके काट डाली जाती थी । मगर अब यह पता चला है कि न्यूज प्रिंट के लिये वह सबसे उत्तम वस्तु है । अगर वह काफी तादाद में हो जाय तो हमारे देश में न्यूज प्रिन्ट के लिये एक इंडस्ट्री खोली जा सकती है । उसके पेड़ बहुत हैं और उसकी तादाद भी बहुत काफी है, मगर उसको निकालने के लिये अभी मार्गों की सुविधायें नहीं हैं । मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां ऊंचे शिखरों पर देवदार की लकड़ी होती है । उसके नीचे बारीक पत्तों वाले पेड़ होते हैं उसके नीचे सागौन आदि के जंगल होते हैं । इन सबको थोड़ी बहुत मात्रा में बढ़ाने की कोशिश हो रही है । यह सम्पत्ति आपके तीनों रीजन्स में मिलती है और मैं समझता हूं कि सारे संसार में जितने किस्म की लकड़ी पाई जाती है वह हमारे देश में और विशेषकर हमारे

प्रान्त में पाई जाती है । हम इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि हर जिले में एक आध नर्सरी हो जिनमें हर प्रकार की चीजें वहां की आबहवा के मुताबिक हों और अगर वहां के गांव वाले अपने यहाँ उन पेड़ों को लगाना चाहें तो वे उनको मुफ्त दिये जायं । जैसा कि मैंने आपके सन्मुख कहा हम इसका प्लान्टेशन वगैरह बहुत कुछ वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं । मगर जहाँ तक उसके निकालने का सवाल है यद्यपि पुराने विचारों की अपेक्षा वैज्ञानिक ढंग से वह भी किया जा रहा है मगर आज कल मशीन का युग है इसमें कटान निकालना और कई एक चीजें ऐसी हैं जो कि और भी वैज्ञानिक ढंग से की जा सकती है । मगर यह सब निर्भर करता है हमारी आर्थिक स्थिति पर । तो हम जानते हैं कि अभी बहुत कमियां हैं जिनको पूरा करने के बाद ही हम अपनी इस वन उत्पत्ति का निकालना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक ढंग से कर सकते हैं ।

एक चीज नयी हम कर रहे हैं कि रोपवे लगाकर कम खर्चे में अगर फुयेल वगैरह ले जाने में हम सफल हुये तो जैसा मैंने कहा कि न्यूज प्रिंट इंडस्ट्री हमारे सूबे में चल सकती है । टर्पेन्टाइन की बाबत तो आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड मार्केट में हमारे टर्पेन्टाइन की सबसे ज्यादा माँग है और उसका बड़ा नाम भी है । इस साल जो हमने अपने आँकड़े बनाये हैं उसमें गत वर्ष की अपेक्षा हमने २६ लाख ४७ हजार बढ़ाये हैं । इसका खास कारण जैसा मैंने आपसे कहा, यह है कि सबसे बड़ी मद हमारी रेंजिंग टैपिंग में खर्च होगी । इसमें मैं मोटे तौर पर आपको बता दूं कि पहाड़ी इलाके के लोगों को लगभग २० लाख रुपये इस कार्य में मजदूरी के रूप में मिल जाते हैं और हमारी सरकार की आमदनी जो इस वर्ष बढ़ी हुई हमने इसमें की है वह भी इसी आधार पर है कि हमारा रेजिन ज्यादा निकले । इसलिये इस मद में ८ लाख ४२ हजार रुपया बढ़ा करके रखा गया है गत वर्ष की अपेक्षा । किस तरह इसको निकाला जाय इसके लिये यातायात सम्बन्धी तरक्की के लिये २९ हजार ३१५ रुपये इसमें भी बढ़ा करके रखे गये हैं । जितना फेरी से लकड़ी का माल निकलता था वह गंगा नदी पर बूम बनाकर ऋषीकेश के पास निकाला जाता था। यह बहुत गलत तरीका था। इसमें बहुत कुछ लकड़ी खराब भी हो जाती थी और कुछ निकलती भी नहीं थी और कंट्रेक्टर्स को बड़ी असुविधायें होती थीं । इसलिये वहाँ भी सरकारी तरीके पर एक बूम बनाने का निश्चय हुआ है । उसकी कीमत तो अधिक है मगर वह दो वर्षों के अन्दर किया जायगा और इस साल ३२ हजार उसके लिये नये खर्चे के रूप में हमने रखा है । रोड्स के सम्बन्ध में अबकी साल तीन चार सड़कें बनाने का हमने निश्चय किया है जिसमें रोपवे वगैरह भी शामिल हैं । इसके लिये १९२ हजार रुपये रखे गये हैं । इसी तरीके पर बिल्डिंग्ज वगैरह के लिये है, जो भूचाल के जमाने में बर्बाद हो गई हैं । हमारे बहुत से लोग शायद इस बात को नहीं समझते जो कर्मचारी जंगलों के अन्दर रहते हैं वहाँ मीलों तक इन्सान नहीं दिखायी देता है और शेर और भालू दिन में भी वहाँ घूमते रहते हैं और उसके मकान भी टूटे हुये हैं । तो आप अनुभव कर सकते हैं कि क्या उनको कठिनाई होगी । इसलिये इस साल हमारी सरकार ने इस चीज को प्राथमिकता दी और करीब २ लाख ५ हजार रुपये इसके लिये रखे गये हैं ।

इसके अलावा तमाम जिलों में और विशेषकर जो जमींदारी जंगल सरकार में निहित हुये हैं लोग यह समझते हैं कि हमारी कठिनाइयाँ बढ़ गई और जमींदारों के जमाने से बहुत ज्यादा दुख और कष्ट हो रहा है । यद्यपि यहाँ से सरकार का एक जो० ओ० गया है और उसके अंतर्गत लिखा गया है कि किसानों को जो चीजें पहले मिलती थी वह बराबर मिलती रहेंगी और उनके साथ हर तरह से सहानुभूतिपूर्वक बर्ताव किया जाय और जहाँ तक हो उनकी माँगों को पूरी करने की चेष्टा की जाय । मामला बड़ा कठिन है । एक तरफ तो इन उजड़े हुये जंगलों को फिर से लगाना है और हराभरा करना है जिससे भूमि का कटाव रुक सके और आने वाली संतान को यह चीज मिलती रहे और दूसरी चीज यह कि उनकी वर्तमान आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती रहे । यह बड़ी कठिन चीज है । इसके लिये मुमकिन है कि लोगों को कुछ कष्ट हुआ हो मगर जब भी कोई शिकायत आई है तो उसको दूर करने की चेष्टा हमने

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

की है। जैसे गोरखपुर में श्री परिपूर्णानन्द जी ने तथा अन्य भाइयों ने किया। जहां तक संभव हो सका है हमने किया है और झांसी बिजनौर वगैरह में भी हमने करने की चेष्टा की है। मैं यह मानता हूं कि छोटे कर्मचारी किन्हीं वजहों से और यह भी हो सकता है कि प्रलोभन के कारण कुछ हो सकता है लेकिन जहां तक संभव हो सकता है हम कोशिश करते हैं। हमारे जो उच्च अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनको आदेश है कि हमारे वनों में जहां हमारे महर्षियों ने सभ्य का प्रसार किया है उस पावन स्थान पर भ्रष्टाचार का नाम नहीं रहना चाहिये।

मुझे विश्वास है कि इससे उनकी शिकायतें अवश्य कम हो जायेंगी। खैर जो कुछ भी हो जब उनके अधिकार लिख लिये जायेंगे तब फिर इस बात की चिन्ता नहीं रहेगी। यों तो बाजीब्ल अर्ज और दस्तूरदेहो में यह चीज रखी गई है। लेकिन उनको लिख लिया जाय और फिर ठीक तरह से डिमार्केशन हो। इसलिये यह मद एक लाख २९ हजार की रखी गई है। सबसे मुख्य चीज तो यह है कि हम प्लॉटेशन करें वर्ना हम चौकीदार ही रह जाते हैं और कुछ दिनों के बाद यह भी खत्म हो जायगी। इसलिये ५ लाख २९ हजार रुपया रखा गया है। गत वर्ष यानी ५३-५४ में १०,८१,००० रुपया रखा गया था। इस साल १६ लाख और इसके अतिरिक्त ५ लाख २९ हजार और रखा हुआ है। इसमें हमें उम्मीद है कि इस साल हम ज्यादा पेड़ लगा पायेंगे।

यह मैंने आपके सामने मोटी-मोटी रकमें पढ़कर प्रस्तुत कर दी हैं। यह मैं आपको बतलाऊं कि टेहरी में डिमार्केशन हो रहा है और सारा काम चल रहा है। मैं यह भी बतला दूं कि जहां पर हयूमन हैबिटेशन के नजदीक जंगल आ गये हैं वहां पर १५० फीट हटाने की आज्ञा दी गई है। उसमें यह किया जा सकता है कि इधर के ५० फीट में वह कृषि करें अगर मौका होगा तो दे दी जायगी। बाकी में वह लोग फलदार वृक्ष लगाकर उससे लाभ उठा सकते हैं।

मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप लोग भी इस पर कहना चाहेंगे लेकिन जो जरूरी चीजें थीं उनको मैंने आपको बतला दिया जिनकी जानकारी होना आप को आवश्यक थी। यह जो पुस्तिका दी गई है इसमें काफी विवरण दिया गया है। इसलिये ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक शब्द कह देना चाहता हूं कि पिछले सप्लीमेंट्री के अवसर पर श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट ने कहा था कि मेरा मतलब उनसे नहीं है जो मीनारों के नजदीक हैं बल्कि जो जंगलों के बीच में हैं। यह ठीक है कि चारों ओर जंगल हों और बीच में खेती करना बड़ा मुश्किल है और जंगली जानवर उसको नुकसान पहुंचाते हैं और फिर वह एंक्रोचमेंट करके जंगल में इल्लीगल शूटिंग करता है। तो ये दोनों चीजें बड़ी खराब हैं। उसमें भी हमने वही व्यवस्था की है कि किसी जगह अगर ऊपर से कोई वैसी चीज की हो तो उसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा लेकिन अगर जानबूझ कर किया है कि या उससे जंगलों को या ग्राम जनता को ज्यादा नुकसान है तब तो उसमें कुछ करना संभव नहीं है। इन शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि इस सारे कार्य को देखते हुये आप लोग इस अनुदान का समर्थन करेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मन्त्री जी के भाषण को सुनकर थोड़ा दुख हुआ और इस बात पर दुख हुआ कि उन्होंने इस तरह से उसको शुरू किया कि इससे हमको बड़ा मुनाफा मिल रहा है, हमें काफी आमदनी हो गई है। करीब १ करोड़ ९८ लाख की उन्होंने कुछ आमदनी बताई। मैं यह समझता हूं कि अगर सारे जंगल हमारे काट दिये जांय तो आमदनी

करोड़ों और अरबों रुपये की हो जायगी। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि इस आमदनी के दिखाने के नाते कि हमें आमदनी हो रही है इसलिये इसके लिये रुपया मंजूर करें यह बात गलत है। मैं जानता हूं कि आज भी सरकार किस निर्दयता के साथ पेड़ों का कटान कर रही है। पुरानों को दोष दिया जा रहा है कि अंग्रेजों के वक्त में बहुत से पेड़ काट डाले गये लेकिन आज भी उसी तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये। यह मैं समझता हूं कि यह हमारे प्रदेश के लिये अच्छा नहीं है। ये पेड़ हमारे सोने के पिलर खड़े हुये हैं। जब भी हम चाहेंगे काट लेंगे। आज तो हमारा काम यह होना चाहिये कि हम और ज्यादा जंगलों को बढ़ायें जगह जगह अच्छे अच्छे फलों के पेड़ लगायें, जगह-जगह देवदार आदि के वृक्ष लगायें। इससे थोड़े ही समय के भीतर हमारा प्रान्त बड़ा ही रिच हो जायगा। वह कहते हैं कि बहुत कम रुपया इसके ऊपर लगाया गया है। मैं तो अध्यक्ष महोदय, यह चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में हमारे मुख्य मन्त्री के रहते हुये और चीजों में जो इतनी प्रगति हो रही है, उसी प्रकार इसमें भी प्रगति होती। लेकिन इतना कम रुपया इसमें खर्च किया गया, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इन वक्षों और जंगलों का काटना कम कर दें। जहां बहुत जरूरत हो वहीं काटे जांय। थोड़े वर्षों के बाद अगर पेड़ और लगाये गये तो स्टेट की वेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ जायगी। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने वहां फारेस्ट प्रोड्यूस की भी चर्चा कर दी। मुझे बड़ी खुशी होती अगर हमारे ये जो फारेस्ट प्रोड्यूस हैं उनका इस्तेमाल इस तरह से करते कि जिससे हमारे इस प्रान्त के जो बेकार पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी कुछ काम मिल जाता। मैं उन्हें दो चार चीजें बता देना चाहता हूं जो कि हमारे फारेस्ट प्रोड्यूस से बनती हैं। मैच फैक्टरी से गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्साइस डियूटी लेती है, उस एक्साइसडियूटी का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट आफ इंडिया से इस प्रान्त को भी मिलता है। मैच की जो स्टिक होती है वह सेमल की लकड़ी से बनाई जाती है जो कि हमारे पहाड़ों पर पाई जाती है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स के समान बनते हैं वह जिस लकड़ी से बनते हैं वह हमारे सारे प्रदेश में पाई जाती है जिसे अंगू कहते हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को अपने यहां बढ़ाया जाय। हमारे यहां जो बेकार पढ़े लिखे लोग हैं उनको बड़ी आसानी से इस इंडस्ट्री में लगाया जा सकता है। थोड़े से दो तीन हजार रुपयों में ही इसकी मशीन आ जाती है। जहां पर वह लकड़ी होती है वहां अगर स्पोर्ट्स के सामान की फैक्टरी खोल दी जाय तो इससे उनको भी काम मिल जायगा और लाभ भी होगा। हनी, लाख वगैरह और बहुत सी चीजें पहाड़ों में होती हैं। उनका भी ठीक से इस्तेमाल नहीं होता। जड़ी बूटियां और दवाइयां आज भी बहुत सी पहाड़ों पर मिलती हैं। उनका भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन आज भी वह हर्ब्स का ठेका प्राविंशियल मार्केटिंग फेडरेशन लखनऊ का है उसको दे दिया गया है। वह महज उनको एकत्रित करते हैं और कानपुर में ले जाकर किसी भाव में बेच आते हैं।

मैं चाहूंगा कि सरकार हर्ब्स का इंतजाम करने के सम्बन्ध में ध्यान दे। इन हर्ब्स को इकट्ठा करके अगर उसी जगह की कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे दें तो हमारी यह छोटी-मोटीकोआपरेटिव सोसाइटीज अपना कुछ इससे चला सकती हैं और पढ़े लिखे नौजवानों को उस काम में लगाया जा सकता है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि प्रान्तीय स्तर पर इसकी कोई इंडस्ट्री न हो लेकिन जहां हमको बेकारी की समस्या हल करनी है वहां पर आवश्यकीय हो जाता है कि कोआपरेटिवसोसाइटीज को छोटे-छोटे उद्योग धंधे दिये जायं जिनमें कि हमारे नौजवान काम कर सकें।

हमारे जंगलों में बहुत से पेड़ चीड़ के होते हैं जो ईंधन के रूप में चलाने के काम में आते हैं। हमें लाखों बक्सों और पेटियों की जरूरत होती है, चाय की पेटियां होती हैं फलों की पेटियां होती हैं लाखों की तादाद में पेटियां बनती हैं। ऐसे छोटे मोटे पेड़ जो काम में नहीं आते हैं अगर उनको काट कर कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे दिया जाय और वह सरकार उनको कुछ थोड़ी सी मदद देकर उनसे काम कराये तो हमारे प्रान्त की बहुत कुछ बेकारी दूर हो सकती है।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

रिपोर्ट में एक जगह है कि अफारेस्टेशन की स्कीम को ले कर बेकारी दूर करना चाहते हैं। अफारेस्टेशन से बेकारी कैसे दूर हो सकती है यह मेरी समझ में नहीं आता। इसमें यह लिखा है—

"It is proposed to take up a special afforestation programme with a view to relieving unemployment."

मैं समझ नहीं पाया कि क्या स्कीम है। शायद मन्त्री जी इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। एक टूरिस्ट इंडस्ट्री भी हमारे यहां हो सकती है। कश्मीर में अगर जाइये तो वहां पर जहां हरे हरे देवदार के पेड़ हैं, जंगल हैं दूर-दूर तक मोटर की सड़कें जाती हैं, वहां छोटी-छोटी झोपड़ियां बनी हुई हैं और उनका किराया आठ आने रोज है। जो कोई टूरिस्ट जाता है वह आठ आने में रह सकता है। हमारे पहाड़ों पर जहां अच्छे पेड़ और जंगल हैं, सुन्दर दृश्य हैं हमारी सरकार ने टूरिस्ट इंडस्ट्री की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जंगलों में सड़कें बनवा कर उनके आसपास झोपड़ियां बनवा दें जिनमें हिन्दुस्तान के लोग जाकर रहें और वहां के सुन्दर दृश्यों को देख कर अपनी तृप्ति करें। सरकार ने सिर्फ सड़कों के लिये ६ लाख रुपया रखा जहां पर बिल्डिंग के लिये आठ लाख रुपया रखा गया है। मैं समझता हूं कि आज हमारे लिये बिल्डिंगज की इतनी आवश्यकता नहीं है। हम झोपड़ियों में रह कर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन सड़कों की बहुत आवश्यकता है। जिसके बिना हमारी इंडस्ट्री की उन्नति नहीं हो सकती। आज हमें आवश्यकता है कि सड़कों द्वारा चीजें आ कर सस्ती से सस्ती बिक सकें। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि सड़कों के लिये जो रुपया रखा गया है वह बहुत कम है इससे हम अपनी बेकारी को दूर करने में सहायता कर सकते हैं इसलिये इधर विशेष ध्यान की आवश्यकता है।

एक चीज और है, अध्यक्ष महोदय। जहां पर हमारे जंगल हैं उन इलाकों के लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, इसलिये वहां से जो आमदनी होती है उसका थोड़ा हिस्सा उनको दिया जाना चाहिये।

हमारे प्रान्त के सरकारी विभागों में, कालेजों और स्कूलों में लाखों रुपये का फर्नीचर खरीदा जाता है। बड़े-बड़े कारखानों से खरीदने के बजाय अगर कोआपरेटिव सोसाइटीज को यह इंडस्ट्री दे दी जाय और इन्हीं कोआपरेटिव सोसाइटीज से फर्नीचर खरीदा जाय तो उसमें हमारे बहुत से बेकार नौजवानों को रोजी मिल सकती है। इसी प्रकार और बहुत सी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। हमारे यहां पांगर एक पेड़ होता है। उसका बीज बेकार पड़ा-पड़ा सड़ जाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने खोज की है कि हम उससे स्टार्च पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से चेस्टनट को इस्तेमाल करने के लिये इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में गांवों में जो रहने वाले हैं उनको अगर सस्ते भाव पर लकड़ी मिल सके तो जो खाद गोबर, अरहर के पेड़ और मिर्चों के पेड़ जो लोग जला डालते हैं उसे हम बचा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। प्लानिंग हर तरफ होना चाहिए। एक तरफ जंगल लगाये जायं और दूसरी तरफ खेती की पैदावार भी बढ़ाई जाय।

एक चीज की मुझे और शिकायत है। पहले सरकार फारेस्ट प्रोड्यूस ठेकेदारों को देती थी, वे ऊंची कीमत दे कर ठेका ले लेते थे जिससे रेवेन्यू को बड़ा फायदा होता था। लेकिन अब कोआपरेटिव सोसाइटीज को कम क़ीमत पर फारेस्ट प्रोड्यूस दे दिये जाते हैं। कभी-कभी बोगस सोसाइटीज को भी दे दिये जाते हैं। इससे रेवेन्यू भी कम होती है और वहां के लोग फायदा भी नहीं उठा पाते। वे सोसाइटीज बाजार में उनको बेच कर खुद फायदा उठा लेती हैं। इसलिये लोकल कोआपरेटिव सोसाइटीज को ये फारेस्ट प्रोड्यूस दिये जाया करें ताकि वे फायदा उठा सकें।

सरकार का मैं इस ओर भी ध्यान दिलाऊंगा कि ये फारेस्ट्स स्टेट वेल्थ हैं। हमारी फौज के लिये स्लीपर्स यहीं से जाते हैं। इसलिये मुझे उम्मीद है कि सरकार अपने बजट में और रुपया फारेस्ट्स पर खर्च करने के लिये रक्खेगी। जो आमदनी वहां से होती है फिलहाल उसे बन्द किया जाय दस साल बाद आमदनी अच्छी लगेगी। इस वक्त तो खर्च ही किया जाय तो अच्छा है।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, डिप्टी मिनिस्टर साहब ने डिमार्केशन का जिक्र करते हुये बताया कि १५० फुट डिमार्केशन कर रहे हैं। १५० फुट ह्यूमेन हैबीटेशन से डिमार्केशन किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि ह्यूमेन हैबीटेशन की परिभाषा क्या है और किस तरह से आप ने इस सम्बन्ध में अपने विभाग के कर्मचारियों को आदेश दे रक्खे हैं। चक के बारे में उन्होंने कहा कि जंगलों के बीच में जो निजी कब्जे हैं उनमें चक बनाना अहितकर है। मेरा मतलब यह था कि जब आप डिमार्केशन कर रहे हैं और मैंने देखा है कि ऐसी भी बहुत सी जमीनें हैं जो रेवेन्यू रिकार्ड्स में आई हैं लेकिन जंगलात वाले अपने पिलर्स लगाये हुये हैं। जब डिमार्केशन का काम हो रहा है तो जो जमीनें रेवेन्यू रिकार्ड्स में आयी हैं उनको आप जंगलात के बाहर कर दीजिये। यह तभी हो सकता है जब डिमार्केशन आफिसर के साथ-साथ सिविल आफिसर रक्खा जाय और दोनों आफिसर्स अपने मैप कम्पेयर करके डिमार्केशन करें।

दूसरी समस्या यह है कि पहले सोयम फारेस्ट्स पंचायतों के अधिकार में थे और उनकी आमदनी पंचायतों को मिलती थी लेकिन अभी तक उनको जंगलात डिपार्टमेंट के अधीन सरकार रक्खे हुये है। पहले आन्दोलन के समय पेड़ों की रोकथाम के लिये कि वे काटे न जायं उस वक्त टिहरी-मंत्रिमंडल ने इनको टेम्पोरेरिली गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया था और यह आदेश था कि जो आमदनी होगी वह पंचायतों को दी जायगी। अब आन्दोलन तथा डिफारेस्टेशन खत्म हो गया है लेकिन ये फारेस्ट्स पंचायतों को नहीं दिये गये जिससे पंचायतों की आमदनी मारी जाती है और साथ ही सोयम फारेस्ट का बुरी तरह से एक्सप्लायटेशन हो रहा है। मैं उदाहरण देता हूं कि जो यह सोयम फारेस्ट है उससे सरकार के फारेस्ट कर्मचारी खुद नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मसलन् रोगों को फ्री ग्रान्ट्स मिलना चाहिये लेकिन वहां के कर्मचारी फारेस्ट एरिया से न दे कर सोयम जंगल से लकड़ी दे देते हैं इसके अतिरिक्त जो आमदनी होती है वह पंचायत को जानी चाहिये लेकिन वह नहीं दी जाती है। रेजिन और टर्पेन्टाइन भी निकाला जाता है पिछली बार जब सोयम फारेस्ट से लीसा निकाला गया तो मैंने डि०एफ०ओ० से मालूम किया था तो उन्होंने कहा कि कन्ट्रैक्टर ने निकाला है और कान्ट्रैक्टर ने कहा कि जंगलात विभाग ने उन्हें ठेका दिया है इस प्रकार से सोयम फारेस्ट की जो आमदनी होती है वह उन कर्मचारियों द्वारा ही वसूल की जाती है जो कि पंचायत को आनी चाहिये और पंचायत उससे वंचित रह जाती है। इस प्रकार से वन विभाग सोयम जंगलों की उन्नति नहीं कर सकता है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर चराई तथा राहदारी चार्ज की जाती है यह कहां के न्याय की बात है कि एक ही जिले में और एक तहसील में जो रहते है उनसे चराई तथा राहदारी चार्ज किया जाय। अगर ग्राम सभा वालों की तरफ से एतराज किया जाता है कि एक ग्राम सभा के अन्तर्गत दूसरी ग्राम सभा के लोग पशु ले कर न जावें तो कुछ उचित भी है लेकिन जंगलात विभाग द्वारा चराई ली जाय मेरे ख्याल में बेइन्साफी की बात है।

इसके अतिरिक्त एक बात यह कहना चाहता हूं कि अभी तक गूजरों की जो समस्या है वह सरकार ने हल नहीं की है। गूजर लोगों को जब सरकार परमिट देती है तो वह वन विभाग के कमचारी इस बात का ख्याल नहीं करते हैं कि उनसे कुछ हानि होगी। गूजर लोग ऐसे मौके पर जंगल में आते हैं जब कि गेहूं की फसल तैयार होती है। उस वक्त वह फसल को नुक्सान करते हैं। जब वह वापस जाते हैं तो धान का नुक्सान करते हैं और कितना नुक्सान होता है

[श्री जगेन्द्रसिंह विष्ट]

इसका अन्दाजा आप नहीं लगा सकते हैं। सरकार को जो १२ रुपया भैंस मिल जाता है लेकिन उसके कर्मचारियों को सस्ते घी दूध उससे मिल जाता है। इस कारण मैं यह नहीं कहूंगा कि गूजरों को बाहर न आने दिया जाय। किन्तु जहां पर जंगल कम हैं और स्थानिक लोगों के जानवरों के वास्ते चरागाह कम मिलते है वहां पर गूजरों को न आने दिया जाय। इसका परिणाम यह होता है कि सरकार उस आदमी को ले कर कुछ गूजरों को परमिट दे देती है उनसे कुछ चराई तो जरूर मिल जाती है लेकिन स्थानिक लोगों को संकट पैदा हो जाता है जिससे उन्हें अपने मवेशी हिमालय प्रदेश में ले जाने पड़ते हैं।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री महोदय को वन विभाग का अनुदान उपस्थित करने के लिये बधाई देता हूं। विशेष कर इसलिये कि अब एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में यह वन विभाग आया है जो कि उस प्रदेश के रहने वाले हैं जहां पर वन फैला हुआ है। मैं समझता हूं कि उनके कार्यकाल में अर्थात् इन ५ वर्षों के अन्दर वन विभाग ऐसा हो जायगा कि जो कुछ तरक्की कर सके। लकड़ी के, जड़ीबूटियों के और इमारती लकड़ी के हिसाब से हमारा प्रान्त स्वावलम्बी हो जायगा। इस रिपोर्ट में जो हमको मिली है उसमें यह बताया गया है कि आगरा, मथुरा की सरहद पर पिछले साल जंगल लगाया गया। वह इसलिये किया गया है कि रेगिस्तान जो बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। किन्तु मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। अगर उधर ठीक तरह से नहीं देखा गया तो वहां से भी रेगिस्तान बन सकता है और वह रेगिस्तान हिमालय के उत्तर की ओर से आता है। मैंने स्वयं घूम कर देखा है, आज से २०, २५ वर्ष पहले जब मैं तिब्बत गया था तब हिमालय की ऊंची श्रेणी में जंगल ही जंगल थे और अब जब १०, १२ साल पहले गया तो वहां के जंगल कट गये हैं। इसी तरह से हरिद्वार के इलाके में जहां वन विभाग के मंत्री स्वयं रहते हैं, उनके गांव को जाने के लिये चाहे किसी भी रास्ते से जावें कई चौड़े-चौड़े नाले बन गये हैं। वह तो ३, ४ फर्लांग और १ मील तक चौड़े हो गये हैं। इसका कारण यह है कि हमने पिछले २०, २५ वर्षों में जंगलों को ऐसा काटा है कि पहाड़ की मिट्टी बह कर आने लगी है और वे नाले चौड़े होते जाते हैं और हमारी कृषि योग्य भूमि को भी खराब करते हैं।

इसके बाद शिवालिक पर आइये तो वहां पर कई बड़ी-बड़ी धारायें सहारनपुर के उत्तरी हिस्से को बर्बाद करती रही हैं। वहां पर जंगल बुरी तरह से काटे जाते हैं स्वयं मन्त्री महोदय ने भी इसका कारण यही बतलाया और वह इसका इलाज करना चाहते हैं।

अब मैं अपने जिले के बारे में दो एक बातें कहना चाहता हूं। शिवालिक पहाड़ की ऊंचाई ३ हजार से ५ हजार फीट तक है। अगर उसमें चीड़ के और इसी प्रकार के दूसरे पेड़ लगाये जावें तो लीसा बहुत प्राप्त हो सकता है। इससे सहारनपुर और देहरादून के बहुत से लोगों को काम मिल सकता है। इसी तरह से पथरी का जंगल भी अब कट कर बहुत छोटा हो गया है। उस जंगल का काफी हिस्सा सरकार पिछले ५ वर्षों से किसी को देना चाह रही है। पहले यह विचार था कि सहारनपुर जिले के हरिजनों को दें, फिर शरणार्थियों का विचार हुआ और उसके बाद बाढ़ग्रस्त लोगों को देने का विचार हुआ लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया है वह किसे दिया जाय। पहले जिन्होंने मांग की थी उनको और दूसरे लोगों को भी शामिल कर लिया जाय।

इस रिपोर्ट में एक जगह लिखा है कि सहारनपुर के जंगल डिवीजन से विभाग ने शहद प्राप्त की। वह शहद काले रंग की होती है और उसकी बिक्री नहीं होती। उस शहद को साफ करके हिमालय के शहद के मानिन्द बनाया जा सकता है।

मैं पिछले दिनों मन्त्री महोदय से मिला था, उन्होंने कहा कि सहारनपुर के जंगल में चोरी बहुत होती है क्योंकि निरीक्षण की कमी है। मैं भी सहमत हूं कि निरीक्षण ठीक होना चाहिये। उसका मुख्य कारण यह है कि सहारनपुर डिवीजन जंगल का दफ्तर सहारनपुर जिले

में न होकर देहरादून में है। मैं सरकार से चाहूंगा कि वह उन्हें हरिद्वार में ले आवे जहां जंगल ज्यादा है। मंत्री जी ने कहा था कि वहां मकान कहां से आवेंगे मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देहरादून में भी मैदान किराये पर हैं और हरिद्वार में भी किराये पर लिये जा सकते हैं और वे भी कम दामों पर। इन शब्दों के बाद पुनः मन्त्री जी को बधाई।

श्री रामप्रसाद सिंह (जिला गोरखपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जंगलों का हमारा सामाजिक जीवन से बहुत बड़ा सम्बन्ध है। हम उन्हीं से अपने घरों में लकड़ियां प्राप्त करते है, हमारी झोपड़ियां उन्हीं से बनाई जाती हैं और उन्हीं से बूटियां आदि तरह-तरह की चीजें भी प्राप्त की जाती हैं। जबसे जमींदारी उन्मूलन हो गया तब से काफी जंगल बनने लगे हैं। उसके पहले बहुत सी जगहों पर वह साफ हो गये थे। लेकिन अब उनके अन्दर दिन पर दिन बहुत तरक्की करने का समय आ गया है और हमारे मंत्रिगण इस विषय में अधिक ध्यान भी देने लगे हैं जैसा मन्त्री महोदय ने आज बताया कि हजारों एकड़ जंगल नये लगाये गये हैं और बहुत से बढ़ रोकने के लिये लगाये जा रहे हैं, इसके लिये उन्हें धन्यवाद है लेकिन मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि वहां भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जंगल के मुहकमे वाले जंगल के किनारे के गांवों में तरह-तरह से अत्याचार करते हैं यद्यपि गवर्नमेंट की तरफ से गांव वालों को तरह तरह की सुविधायें दी गयी हैं। बेचारे ग्रामीणों को अपने अधिकारों का पता नहीं है इसलिये मेरा सुझाव है कि वहां मंत्री जी नोटिस के द्वारा या जैसा भी हो जंगलों के इर्दगिर्द रहने वालों को बतला दें कि उनको क्या-क्या सुविधायें प्राप्त हैं। आज जबकि जमींदारी समाप्त हो गयी है और किसानों ने १० गुना भी दिया है लेकिन जो खेत जंगलों के पास है उनमें जंगल विभागवाले अभी तक लट्ठे गाड़े हुये हैं। यह मैं नहीं कहता कि इसमें कमी नहीं हुई है। कमी हुई है और हमने जिनके बारे में हमें पता चला उनके लिये उच्चाधिकारियों से भी कहा तो उन्होंने भी हमें सहायता दी है लेकिन अभी इस प्रकार की धांधली बहुत काफी है।

मैं एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं कि जो ठेकेदार लोग जंगलों में काम करते हैं उनके ऊपर भी अत्याचार की कमी नहीं है जब देखो तब फारेस्ट गार्ड तथा दूसरे छोटे अधिकारी उनको सता कर, दबा कर अपने लिये और अपने रिश्तेदारों के लिये लकड़ी मुफ्त ले लेते हैं। इसलिये ठेकेदारों को नीलाम में बोली बढ़ाने की हिम्मत नहीं पड़ती। जिससे गवर्नमेंट को बड़ा भारी नुक्सान होता है।

जो जंगल के किनारे रहने वाले हैं उनके पशु अगर जंगल में चले जाते हैं या जंगल के पास रहते हैं तो उनको फारेस्ट गार्ड लोग मवेशी खाने में ले जाते हैं और काश्तकारों से रुपया वसूल करते हैं। न देने पर तरह-तरह की दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। घी और दूध गांव वालों से मुफ्त वसूल किया जाता है कोई भी फारेस्ट का आदमी नहीं खरीदता बल्कि रसूम में वसूल करता है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये और भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी उस जंगल का नेतृत्व करते हैं जो जंगल आज हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को केवल समृद्धि ही नहीं देते हैं बल्कि उसके साथ-साथ वे पानी के उन स्त्रोतों को बहाते हैं जो तरसती हुई भूमि की प्यास बुझा कर हमारे देश को हरा भरा करते हैं। यही नहीं बल्कि जहां पर हमारे देश के ऋषि महर्षियों ने उन जंगलों में ज्ञान का स्त्रोत बहा कर हमारी ज्ञान पिपासा को भी बुझाने का पूरा-पूरा प्रयास किया है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय को उनके सौभाग्य पर उन्हें बधाई देता हूं। जितनी खूबियां हमारी सरकार के कार्यों में इस जंगल विभाग के मुतल्लिक थीं उनका पूरा-पूरा जिक्र हमारे माननीय मंत्री जी कर चुके हैं। मेरा यह दुर्भाग्य है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं छूटी जिसके ऊपर मैं रोशनी डाल सकूं परन्तु जो कुछ छोटी-मोटी कमियां आज जंगल विभाग में हैं उनपर अपने विचार प्रकट करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि "अगर न होगा जंगल तो कैसे होगा राष्ट्र का मंगल" लेकिन मुझे जनता के अन्दर इसके प्रतिकूल भावनाओं की कुछ झलक मिलती है और मैंने देखा है कि पहाड़ के जिलों के अन्दर हमारे लोगों को इस जंगल विभाग के कारण बड़ी-बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं जिनका जिक्र करना एक दर्दनाक किस्सा है और जो मैंने खुद अपनी आंखों से टेहरी गढ़वाल में देखा है। मेरे मित्र बालेन्दुशाह जो इस सदन में उपस्थित हैं और उन्होंने देखा है कि बरासू से आगे पी०डब्लू०डी० सड़क के दोनों तरफ जंगल विभाग की तरफ से आब्स्ट्रक्टिव फारेस्ट पीलर्स मौजूद हैं जो कि कानूनन नाजायज है। बावजूद माननीय मंत्री जी के वहां जाने के आब्स्ट्रक्टिव पिलर्स नहीं उठाये गये। यह पिलर्स वहां इस बहुत पुरानी आबादी को जहां खेतों में गेहूं की फसलें बहुत वर्षों से उगायी जाती हैं उनको जबरदस्ती जंगल विभाग के अन्दर बन्द किये जाने के लिये रखे गये हैं। इस तरह से उनको तंग किया जाता है। यही नहीं बल्कि उसके कई ज्वलन्त प्रमाण हैं कि यह जंगल विभाग आशीर्वाद होने के बदले लोगों के लिये एक अभिशाप साबित हो रहा है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये। हमारी जितनी भी बस्तियां पहाड़ों में हैं उन बस्तियों के पास जहां कि ओल्ड कल्टिवेशन है वहां जंगलात विभाग की ओर से जो फारेस्ट पिलर्स रख दिये गये हैं वे असहनीय हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं, इनको अवश्य हटा दिया जाना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर अवश्य ध्यान दें। वे जंगल के मंत्री हैं लेकिन उनको जंगल माइंडेड नहीं होना चाहिये, इन्सान माइंडेड होना चाहिये ताकि जो छोटी मोटी दिक्कतें लोगों की हैं वे समझौते से सद्बुद्धि से दूर हो जायं। मैंने बारबार मंत्री महोदय से जिक्र किया कि आपसी समझौते से इन दिक्कतों को दूर करें लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम समझते हैं कि जहां जंगल विभाग हमारी समृद्धि को बढ़ाते हैं उनके साथ ही साथ ये हमारे अनएम्पलायमेंट में भी कोई कम वृद्धि नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस जंगलात विभाग के जितने अफसर हैं उनको सर्विस पूरी होने पर एक्सटेंशन दिया जाता है, जो रिटायर हुये हैं उनको रिएम्पलाय किया जाता है। मैं समझता हूं कि इस जमाने में जबकि अनएम्पलायमेंट हमारे दरवाजे को खटखटा रहा है, हमारे मुल्क के अन्दर एक अव्यवस्था पैदा कर रहा है कि उन लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता जो पहले से सर्विस कर रहे हैं? अगर वे नाकाबिल हैं तो उनको फौरन् डिसमिस कर दिया जाना चाहिये। उनको नौकरी में रखने की जरूरत नहीं है। ये नौजवान जो सैकड़ों और हजारों की तादाद में मौजूद हैं तो फिर बुड्ढों को रिइम्पलाय करने या इक्सटेन्शन देने की क्या जरूरत है? ऐसे बुड्ढे लोग जिनके दांत उतर चुके हैं जो जंगल की नौकरी करने के नाकाबिल हैं आज उनको फिरसे रिइम्पलाय किया जाता है मैं समझता हूं कि यह राष्ट्र के साथ ज्यादती है और भावी सन्तान के साथ बड़ा भारी अन्याय है। हमारी सरकार की तरफ से आज इम्पलायमेंट में एक अड़चन पैदा की जा रही है और इसलिये मैं कहता हूं कि आज अनइम्पलायमेंट के बढ़ने की जिम्मेदारी सरकार पर है। इस वक्त समय कम है मैं चाहता था कि मंत्री महोदय से और भी कुछ अर्ज करता कि हमारे मुल्क के अन्दर ऐसे लोग भी हैं जिनकी जमीनों को जबर्दस्ती ले लिया गया है जिनको बेघरबार कर दिया गया है और जिनको वतन से बेवतन कर दिया गया है जंगल के नाम पर और मैं समझता हूं कि यह ज्यादती काबिले बरदाश्त नहीं है। यह सदन इस प्रदेश की व्यवस्था के लिये यहां बैठा हुआ है जिसको इस मुल्क के गरीब लोग पैसा देकर टैक्स देकर यहां बैठाये हुये हैं। उनको निकाला जा रहा है, उनके साथ यह सरकार अन्याय कर रही है और उनको निर्दयता के साथ बेघरबार किया जा रहा है। इस तरफ ध्यान देने की बहुत बड़ी जरूरत है।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं। मैंने मंत्री महोदय का भाषण बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मुझे हर्ष है कि सरकार का ध्यान एफोरेस्टेशन की तरफ इस समय काफी हो रहा है। परन्तु फिर भी थोड़ी सी बातें सुझाव के रूप में सरकार के सामने प्रस्तुत करता हूं। आशा है मंत्री महोदय उसे कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे। मुझे सबसे पहले लैन्ड मैनेजमेंट सर्किल के बारे में कहना है। राजस्थान में

बार्डर पर जो ग्रफोरेस्टेशन की स्कीम सरकार ने बनायी है वह बहुत अच्छी स्कीम है मगर मैं चाहता हूं कि जो पर्वतीय प्रदेश हैं उसमें भी स्कीम बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी जैसा शास्त्री जी ने कहा पर्वतीय प्रदेश में जितने जंगल पहले हुआ करते थे अब नहीं है भले ही उसका कारण अंग्रेजो हुकूमत में बहुत से जंगलों का काटा जाना हो, उसका कारण भले हो वहां की जनता की तादाद का बढ़ना हो जिससे लकड़ी की जरूरत हो गयी हो या खेती के लिए भूमि की जरूरत ज्यादा हो इन कारणों से भले ही जंगल बर्बाद हो गये लेकिन इस समय यह नितान्त आवश्यक है कि जितने जंगल कटते चले जा रहे हैं उस रफ्तार में रोक हो खासकर पर्वतीय प्रदेशों में तो इसकी नितान्त आवश्यकता है क्योंकि डिफारेस्टेशन अब वहां इतना नहीं होना चाहिये। वहां तो वर्किंग प्लान के मुताबिक जो पर्वतीय प्रदेश के देवदार और चीड़ वगैरह के जंगल हैं उनमें बल्कि ऐसा वर्किंग प्लान आवश्यक है जो ऐसा कंजरवेटिव हो जिसमें कम से कम जंगल काटे जायं। आज सबेरे मैंने अखबार में पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी दो करोड़ रुपये के करीब इसलिये दे रही है कि इस प्रांत में फ्लड्स से जो नुकसान होते हैं उसको बचाया जाय और फ्लडों की रोक थाम की जाय। तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन फ्लडों को रोकने के लिये सबसे आवश्यक अगर कोई कदम हो सकता है तो पर्वतीय इलाकों में ऐफोरेस्टेश का हो सकता है/वर्षा का पानी पर्वतीय प्रदेशों में बहुत तेज रफ्तार से जमीन के ऊपर बहता है यानी एक घंटे में तीन मील की रफ्तार से जमीन के ऊपर और अगर अन्दर घुसता है तो यह तीन घंटे में एक मील जाता है यह एक साइंटिफिक प्रूफ है। इसकी रोकथाम करने के लिए यही होता है कि जो दरख्त लगाये जायं वह स्वायल इरोजन को बचाने के लिए ऐसे हों कि जो जंगल जिस आबोहवा में हो सके वहां लगाकर उनकी रोकथाम की जाय, यदि दरख्त लगे हों पानी पेड़ों से रोकथाम कर सकेगा और वह ऊपर बहने के बजाय जमीन के अन्दर जड़ों द्वारा जावेगा जो ऐलूवियल स्वायल प्लेन्स में नदियों की सतह में बैठता है वह नदियों की सतह को ऊंचा करता है और फ्लड उससे ज्यादा हो जाते हैं और इन सब चीजों की रोकथाम करने के लिये यही एक जरिया ऐफोरेस्टेशन का हो सकता है। इसलिये मैं जोरदार शब्दों में कहता हूं कि पर्वतीय प्रदेशों के लिये ऐसी स्कीम बनायी जाय जिससे कि जो ऐफोरेस्टेशन अभी जो हो रहा है उससे कहीं ज्यादा रफ्तार उसकी की जाय। इससे Soil erosion भी रुकेगा, Flood भी रुकेंगे आबोहवा सुधरेगी, वर्षा समय पर होगी, ईंधन व इमारती लकड़ी का सवाल हल होगा यदि वनों में सुन्दरता होने से (tourist trade) बढ़ेगी। दूसरी प्रार्थना जो मुझे करनी है वह है पंचायती फारेस्टों के लिये और सिविल फारेस्टों के लिये। सरकार अभीतक अपने फारेस्टों की देखभाल करती है मगर पंचायती फारेस्ट्स की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है।

चूंकि गांव वालों को फारेस्ट का ज्यादा ज्ञान नहीं होता है इसलिये वह जंगलों की उतनी तरक्की नहीं कर सकते हैं जितनी की फारेस्ट डिपार्टमेंट के जरिये उन जंगलों की तरक्की हो सकती है। जंगलात विभाग जानता है कि किस जंगल में, किन दरखस्तों में कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं जैसे टी० बी० और आमी अटैक इत्यादि और उन बीमारियों को वही दूर कर सकते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि गांवों के पंचायती जंगलों की भी जंगलात विभाग देखभाल करे और उनको अपनी टेक्निकल एडवाइस दे Survival of the fittest कानून के मुताबिक जंगल अपने आप बढ़ते जाते हैं। जो दरख्त बड़े होने लायक होते हैं वह बढ़ जाते हैं और जो खराब होते हैं वह अपने आप मर जाते हैं मगर ऐसी चीजें जैसे थिनिंग, सेलेक्शन मार्किंग या यूनिफार्म मार्किंग तो फारेस्ट डिपार्टमेंट ही कर सकता है। ऐसी टेक्निकल चीजें तो उन्हीं के जरिये हो सकती हैं। ऐसे ही (Seedbearer) दरख्त हैं। जंगलों के (Northern and Southern aspects) हैं इनकी जानकारी से सिल भी कल्चर से जंगलों का उत्पादन उचित ढंग से होगा।

[श्री नरेन्द्रसिंह सिंह]

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे जंगलों का साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लायटेशन नहीं हो रहा है क्योंकि मंत्री महोदय ने कहा कि हमारी एकनामिक कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन अगर long term lease दी जाय, तीन, चार, पांच साल तक की लीजेज दी जायं तो फारेस्ट लेसीज काफी मात्रा में धन इनवेस्ट कर सकते हैं और साइंटिफिक एप्लायन्सेज भी काम में ला सकते हैं। लेकिन wire rope way, tram line log gates, felling and sawing Machind नालों को बालस्ट करके ट्रेन चलना बेट स्लाइड या ड्राई स्लाइड ऐसी चीजें तो सरकार हो कर सकती है परन्तु यदि फारेस्ट की लम्बी लीजेज दी जायेंगी तो कोई वजह नहीं है कि ठेकेदार उन पर २,४ लाख रुपया खर्च न करें। अगर ऐसा होगा तो मैकेनिकल डिवाइसेज से हमारे फारेस्टों की एफीशिएन्सी बढ़ेगी। जिससे Cost of Extraction घटेगा और फलस्वरूप रोयल्टी बढ़ेगी।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि लकड़ी की तिजारत में सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। राबिन्सन क्रूसो ने भी फलों के बीज से जैम का आविष्कार किया था पर बीसवीं शताब्दी में जो प्रथायें जंगल के कटान में चल रही हैं वह बहुत ही पुरानी हैं और उनमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज एक दरख्त जिसकी लकड़ी ७,८ सौ मन वजन में होती है उसे सरकार २०,३० रुपये में बेच देती है और फिर भी यह दिखलाना चाहती है कि हमने फारेस्ट डिपार्टमेंट से बहुत रेवेन्यू इकट्ठा की। यह बहुत गलत तरीका है। रेवेन्यू बढ़ाने का हमारा उद्देश्य नहीं है बल्कि हमें देखना चाहिये कि फारेस्टों के फिनिश्ड प्रोडक्ट से हमारी आमदनी बढ़े। अब तक रा मैटीरियल के रूप में हम लकड़ी के व्यापार को कर रहे हैं जोकि फारेस्ट डिपार्टमेंट की efficiency का द्योतक नहीं है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हिमान्चल प्रदेश के बाद विन्ध्याचल निवासी को अवसर दिया। वनों को प्रकृति बनाती है और शहरों को मनुष्य बनाता है। प्रकृति के बनाये हुये स्थान में मनुष्य बैठकर ईश्वर के नजदीक पहुंचता है और शहरों में बैठकर मनुष्य उससे दूर होता है। इसलिये वन का बड़ा महत्व है हमारे इस राज्य के लिये और इस देश के लिए। वनों का जो प्रसंग यहां छिड़ा हुआ है और वनों में जो उन्नति हो रही है, इस नये कांग्रेसी राज्य में वह एक धन्यवाद और बधाई की चीज है। मैं अपने नेगी साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े ध्यान से सदैव हम लोगों की बातें सुनीं और जो जो दिक्कतें आईं उनको उन्होंने दूर किया। कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी ओर मैंने पहले भी संकेत किया है और आज भी करना चाहता हूं। सबसे पहले उपाध्याय जी ने जो बताया कि जंगलों के अन्दर सड़कों की बहुत कमी है और बिना सड़कों के उनकी उन्नति नहीं हो सकती है वह सही है। इसलिये सड़कों का विशेषतौर से प्रबन्ध होना चाहिये और उसके लिये ग्रांट में कुछ अधिकता होनी चाहिये।

इसके बाद मिर्जापुर जिले में कुछ छोटी मोटी बातें हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सबसे पहले मैं बीड़ी की पत्तियों के बारे में कहना चाहता हूं। बीड़ी की पत्तियों का जो ठेका होता है वह अभीतक बड़े बड़े ठेकेदारों को दिया जाता है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि दूधी तहसील भर का सारा ठेका एक ही ठेकेदार को दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि एक गुजरात के निवासी ठेकेदार ने बीड़ी की पत्तियों के एकाधिकार ठेके से थोड़े ही अर्से में ५० लाख रुपया पैदा कर लिया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बीड़ी की पत्ती का ठेका एक हाथ में न देकर इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाये जायं इसका डिसेंट्रेलाइजेशन किया जाय जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे। इसी तरह से वगई, घास तथा और चीजों के बारे में भी मैं सिद्धांत के तौर पर यह निवेदन करूंगा कि ठेके बड़े-बड़े हाथों में न देकर, उसके छोटे-छोटे टुकड़े किये जायं और

वहीं के निवासियों को दिये जायं। इससे वनवासियों को अपने निकट ही व्यवसाय मिलेगा, वे अधिक काम कर सकेंगे और अधिक लाभ उठा सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि ठेके के सम्बन्ध में इस प्रकार की ही व्यवस्था की जाय।

कुछ और बातें हैं। मिर्जापुर के बगल में बनारस राज्य का जंगल है। पहले जब बनारस राज्य विलीन नहीं हुआ था तब जितने मवेशी मिर्जापुर जिले के उस जंगल में चरने को जाते थे उनसे अधिक खरचरी ली जाती थी। अब वह सरकार खत्म हो गयी है लेकिन अभी तक वह खरचरी उसी प्रकार से ली जाती है और मिर्जापुर जिले के जो मवेशी उस जंगल में जाते हैं उनसे अधिक खरचरी ली जाती है। जिस मवेशी पर १ आना, २ आना खरचरी होनी चाहिये उस पर १, २ रुपये ली जाती है। यह खरचरी का भेद खत्म होना चाहिये।

इसके अलावा एक बात और है। हमारे यहां चमड़े का रोजगार बहुत होता है। वहां जंगलों में चमार चमड़े की सिलाई करते हैं। पेड़ों की छाल से सिलाई का काम होता है किन्तु उन्हें छाल मिलने में रुकावट पैदा कर दी जाती है। वहां उनके लिये छाल की ऐसी सुविधा दी जाय जिससे उनके रोजगार में वृद्धि हो। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उनको सिलाई करने के लिये पूरी सुविधायें दी जायं।

इसके साथ-साथ मैं सरकार का ध्यान विजयगढ़ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां सरकार को जंगल की चीजों के ठेके आदि से केवल दो-ढाई सौ रुपये प्राप्त होते हैं। परन्तु उससे लोगों की दिक्कत ज्यादा बढ़ गयी है और उसका प्रभाव ५०, ६० मौजों पर पड़ता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार दो-ढाई सौ का मुंह न देखे और वहां के लोगों को पहले की तरह सुविधायें दे दी जायं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—माननीय, अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमंत्री जी ने वन के सम्बन्ध में जो एक मोहक चित्र इस सदन के समक्ष उपस्थित किया है उसको सुन करके मेरा भी उत्साह बढ़ा कि जो कुछ थोड़ी बहुत इस सूबे के अन्दर वन के सम्बन्ध में खामियां हैं उनको उपस्थित करूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली लड़ाई के सिलसिले में लखनऊ जिले में कुछ ऐसी जमीनें थी कि जिन को उस समय की सरकार ने लड़ाई के काम के वास्ते ले लिया था। जब लड़ाई का काम बन्द हुआ और उस जमीन की फौजी काम के लिये उपयोगिता नहीं रही तो हमारी सरकार ने सन् ४६ में उस जमीन को फारेस्ट के काम के लिये ले लिया। उसका रकबा करीब ५,००० एकड़ है। और उसका नाम कुकरायल रिजर्व फारेस्ट है। अभी परसों जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में एक सार्वजनिक सभा वहां हुई। मुझे भी सभा में सम्मिलित होने और वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस कथित जंगल को हम लोगों ने देखा और हमारे साथ लखनऊ जिले के काफी कांग्रेस कार्यकर्ता भी थे। लखनऊ जिले के सभापति पंडित हरिश्चन्द्र बाजपेयी जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं वे भी सौभाग्य से उस सभा में उपस्थित थे। पड़ोस में तीन चार गांव हैं जिनके करीब ५,००० एकड़ जमीन जिसमें बंजर भी शामिल है, वन भी शामिल है। कुछ गांव दुर्भाग्यवश उजाड़ दिये गये थे और उस जमीन में जिसमें गेहूं, चना, मटर वगैरह की अच्छी फस्लें होती थीं उसे फौजी काम के हेतु ले लिया गया था और अब फारेस्ट विभाग के हाथ में वह जमीन पूर्ण रूप से गयी है। मैंने वहां देखा तो कुछ जामुन के दरख्त, कुछ कत्थे के दरख्त, कुछ बबूल के दरख्त और कुछ पतली शाख वाले घने शीशम के दरख्त खुदरा ढंग से उगे हुये देख पड़ते थे। सभा में उपस्थित किसानों ने कहा कि जब यहां जंगल भी ठीक तरीके से नहीं बन रहा है तो उसे व्यर्थ में सरकार क्यों रखे हुए है। आजकल इस प्रदेश के प्राणियों को इस बात की जरूरत है कि अन्न की बड़ी फसलों को बढ़ावें। उस जमीन को किसानों को वापिस कर देना सर्वथा उचित होगा। जैसा सुन्दर चित्रण हमारे माननीय उपमंत्री जी ने इस सदन के समक्ष उपस्थित किया कि तीन करोड़ की आमदनी है जिसमें खर्च एक करोड़ का होता है और

[श्री रामकुमार शास्त्री]

दो करोड़ बचत होती है तो अगर इसी मद में कुछ वृद्धि होती तो मुझको संतोष होता। मगर ऐसी दशा कुकरायल वन की नहीं है मेरी इच्छा हुई कि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय उपमंत्री को भी वहां पर उन किसानों की तरफ से आमंत्रित करूं कि वह देखें कि शायद वहां जंगलों का काम हो सकता है या उस जमीन को किसानों को वापस कर देने से काम चलेगा। परन्तु अबतक ऐसा सुअवसर न आ सका। कुछ दिन पहले कुछ ऐसे लोगों ने वहां आंदोलन किया कि हम लोगों को यह आशंका हुई कि बहुत मुमकिन है कि यहां के किसान भाई गुमराह न हो जायं लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी के सभापति ने उन लोगों को अपने वहां बुलाया और आश्वासन दिया कि वह और उनके अन्य सहयोगी इस प्रश्न को सरकार के समक्ष उपस्थित करेंगे। ऐसी दशा में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वे गरीब किसान जो परेशान हाल हैं उनकी जमीन जब जंगल के उपयोग में भी नहीं आ रही है तो उसको कृपापूर्वक वापस दें ताकि वे उसमें अनाज पैदा करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। साथ ही जिन किसानों के पास अब जमीन थोड़ी बहुत रह गयी है उन्हें उनकी निकली हुयी जमीन देकर सहायक बनें। आशा है कि किसान इस प्रबन्ध तथा व्यवस्था से संतुष्ट हो जावेंगे।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, वनों के सम्बन्ध में जो यह अनुदान संदन के सामने मांग के लिये उपस्थित हुआ है इस अवसर पर पहाड़ इलाकों से बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव इस सम्बन्ध में दिये। हम वनों को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो सरकार के कब्जे में वे वन जो पहाड़ की तराई के इलाकों में हैं, दूसरे वे वन जो देहाती क्षेत्रों में जमींदारी एबालिशन के बाद गांव समाजों के हाथ में आये हैं और तीसरे वे वन जो वन महोत्सवों के सिलसिले में सरकार के प्रयत्नों से लगाये गये हैं। इन तीन तरह के वनों की चर्चा की जो पुस्तिका हमें मिली है उसमें दी हुयी है। हमारे जिले में भी बरवा, सिसवा, कथौली, लक्ष्मीपुर, भटियरवा और अरनहवा ये ६ जंगल हैं जो सन् ४६ के पहले तक काफी बड़े जंगल थे। इन जंगलों से देहात के लोगों को लकड़ी मिला करती थी, वहां से घास प्राप्त कर जानवरों का पालन पोषण होता था। लेकिन देखा यह गया कि जमींदारी एबालिशन का नारा अभी बुलन्द हुआ था और कार्यरूप में भी नहीं आया था तभी वहां के बड़े बड़े लोगों ने उनको काटना शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, अभी तो साल भर की बात है कि सरकार की ओर से एक जंगल बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया है जिसमें हजारों रुपये के पेड़ लगे हुये हैं। सरकार का ध्यान देना है। मुझे ख्याल है कि श्री गेंदा सिंह और श्री रामसुभग जी वर्मा ने सरकार का ध्यान दिलाया था कि जंगलों की रक्षा में किसानों को जेल भेजा गया है। मुझे आपके द्वारा सदन से निवेदन करना है कि जब लोग जंगलों की रक्षा करते हैं तो उनको जेल भेजा जाता है और इधर हम जंगलों को लगाने के लिये लाखों रुपये का अनुदान देते हैं और उस पर व्यय करते हैं और उनकी रक्षा के लिये तथा उनके रखरखाव के लिये खर्चा कुछ भी नहीं है, इसका मुझे दुख है। दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि जंगल काटे जाते हैं। अभी हमारे जिले में जो बरवा जंगल है उसमें जिले के एक मजदूर नेता को ४० एकड़ जमीन दी गयी है और किसानों ने रोका तो उनको जेल जाना पड़ा और उनको १०७ और ११७ के मुकदमों में परेशान होना पड़ा। आज भी उनके कब्जे में वह जमीन है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ऐसे जंगलों को काटने से रोकें जिनसे देहात के लोगों को लाभ है और बांधों से जो कटाव होता है वह बचता है तथा उपजाऊ जमीन बरसात की वजह से जो नालों में पानी के साथ बह जाता है जंगलों से रक्षा होती है। लेकिन अब नुकसान हो रहा है। इसलिये इन जंगलों को काटने से रोका जाय।

अध्यक्ष महोदय, गंगा नदी हमारे प्रांत में बहती है और इसके सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि इसका पानी खराब नहीं होता। इसके उद्गम स्थानों पर जड़ी बूटियां मिलती हैं। उसी से इसका पानी खराब नहीं होता है हमें इस बात पर गौर करना चाहिये कि वह कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो पानी को खराब नहीं होने देतीं। अगर उन जड़ी बूटियों का पता लग जाय तो फिर हम डिस्टिल्ड वाटर को बनायें जिसका वर्ल्ड में हमारा मार्केट बिल्कुल नहीं है। इससे बड़ा लाभ होगा।

माननीय उपाध्याय जी ने सदन का ध्यान गृह उद्योग की ओर दिलाया था मैं उसी सम्बन्ध में सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जंगल से एक हल्दू लकड़ी मिलती है। उससे होल्डर का काम बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें ५०० रुपये से अधिक की मशीनरी की जरूरत नहीं है क्योंकि छेद करने वाली और रंगने वाली मशीनें बहुत सस्ती मिल सकती हैं ४००/५०० रुपये में गांव में इंतजाम होने पर होल्डर का काम बड़ी आसानी से हो सकता है और दूसरे सूबों को सप्लाई करके अपने सूबे को भी सम्पन्न किया जा सकता है। इसके साथ ही पेंसिलें बनायी जा सकती हैं। इसके लिये लैंड और लकड़ी की जरूरत होती है। चंदन और हल्दू की लकड़ी इसके लिये उपयोग की जा सकती है।

दूसरी तरफ एक प्रश्न उठता है अगर हम जंगलों को काटने से रोकते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोगों को नागवार हो। इसमें खेती का सवाल है अनइम्प्लायमेंट का सवाल है। जंगलों को कुछ मिकदार में काटें और उसकी लकड़ी को छोटे मोटे उद्योग के काम में लायें। इससे जमीन की लोगों की प्यास भी बुझ सकती है।

एक बात और कहूंगा कि गांवों में लुहार रहते हैं। बढ़ई रहते हैं लेकिन उनको लकड़ी नहीं मिलती है जिससे वहां गृह उद्योग तरक्की नहीं कर पाते। लिहाजा इनको प्रोत्साहन के लिये जिस तरह से कि सरकार ने गांव वालों को लोहा तथा सीमेंट का प्रबंध किया है उसी तरह से गांवों में लकड़ी भी मिलनी चाहिये जिससे गृह उद्योग चला सकें और लोग अपनी रोजी कमा सकें और गांवों में किसानों को लाभ हो सके।

*मुख्य मंत्री (श्री गोविंदवल्लभ पन्त)--अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के सम्बन्ध में जो यहां पर वाद विवाद हुआ और जो विचार प्रगट किये गये उनसे यह विदित होता है कि जहाँ तक जंगल की मद का सम्बन्ध है और जिस तरीके से जंगलों के बारे में काम किया जा रहा है या किया जाना चाहिये। उनके बारे में इस सदन के सभी सदस्यों में वस्तुतः एकता सी है। यहां जो बधाई नेगी जी को दी गयी है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस वन विभाग में बहुत लगन से काम किया है। जगह-जगह दौरा करके उन्होंने वनों को खुद देखा है कि कहाँ क्या करना आवश्यक है और जो भी शिकायतें हुयीं उनको भी खुद वह मौके पर जाकर तय करने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने, एक कुछ अनोखी सी बात है कि पहली मर्तबा इस बात को मालूम किया कि झांसी के जंगलों में चन्दन के पेड़ बहुत बड़ी तादाद में, कई सौ मौजूद हैं और अब तक कोई जानता नहीं था कि हमारे सूबे में चन्दन का भी कोई ऐसा जंगल है। वह उन्होंने अपने दौरे में देखा और उसको मालूम किया। इसी तरह से और भी बातें की। जहाँ तक उसूल का ताल्लुक है यहाँ मुझे कोई आपस में विरोध या इख्तलाफ नहीं मालूम होता। हममें से कोई नहीं चाहता कि जंगल काटे जायं। जंगलों की रक्षा होनी चाहिए। जंगलों से आमदनी अगर हो सके जैसे कि और चीजों से होती है तो वह आमदनी भी होनी चाहिए परन्तु जंगलों को या पेड़ों को बिना उनके वक्त के काट डालना यह किसी तरह सही नहीं है और इसलिये जो कोई जंगलों में कटान होता है वह फारेस्ट डिपार्टमेंट के वर्किंग प्लान के मुताल्लिक होता है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

वर्किंग प्लान में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कौन पेड़ परिपक्व हो गये हैं और फिर एक अवस्था ऐसी आती है जबकि पेड़ों का काटना जंगल की रक्षा के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि पेड़ का लगाना होता है और वह काटे जाते हैं तो इस ढंग से काटे जाते हैं कि नया पेड़ उगता जाता है और जंगलों की कमी नहीं होती है । इसलिए यह समझना कि जंगलों से आमदनी करने के लिए कोई पेड़ काटे जाते हैं यह सही नहीं है और यह हमारी नीति नहीं है । हम नहीं चाहते कि इस तरीके पर जंगलों का नुकसान हो । पर मैं जो कुछ यहाँ बातें कही गयीं उससे यह नहीं चाहता कि अधिकारियों को इस बात का ध्यान न रहे कि जंगलों से आमदनी होनी चाहिए और जो कुछ भी वहाँ आमदनी के साधन हो सकते हैं उनका पूरा उपयोग करना है ।

इस वक्त जो खासतौर से जोर दिया जाता है वह तो प्लाँटेशन पर दिया जा रहा है, नये-नये पेड़ों के लगाने पर जोर दिया जा रहा है । मुझे खुशी है कि मुकाबिले पहले के आज लोगों में जंगलों के लिए और पेड़ों के लिए बहुत ज्यादा एक भावना उनके लिये, स्नेह को कहिये या यह कि उनसे हमारा लाभ होगा, यह भावना अब काफी उनमें फैल गयी है । पहले तो अगर किसी को एक छोटी सी शाख की जरूरत होती थी तो वह एक बड़ा भारी पेड़ को ही काट डालता था और इस बात की परवाह नहीं करता था कि एक बड़े पेड़ को एक छोटी सी शाख के लिए वह काट रहा है । पर अब सर्वत्र पेड़ लगाये जा रहे हैं और वन महोत्सव ने उस भावना को पैदा किया है जिससे कि उनका उधर से रुख बदला है । केवल टेहरी गढ़वाल के सम्बन्ध में यह कहा गया कि जो दोयम दर्जे के जंगल हैं वे जनता के अधिकार में दिये जायं । उस पर विचार हो सकता है जैसे कि और सभी बातों पर जो यहाँ कही गयीं विचार होना आवश्यक है और होगा । पर वह तो जो वहाँ जंगल थ, जो मिनिस्ट्री वहाँ कायम हुयी उस मिनिस्ट्री ने उसको सरकार के हाथ में ले लिया और इसलिए लिया कि जनता ने उनको बरबाद कर रखा था । यदि यह बात सही थी कि जनता में उनकी रक्षा करने की ताकत नहीं है तो यह बात उनके हित की नहीं होगी कि उन्हें बरबाद करने के लिए जनता के हाथों में इन जंगलों को सौंप दिया जाय । पर यह मिनिस्ट्री का किया हुआ काम था । कुछ यह भी पूछा गया कि ह्यूमन हैबिटेशन के मानी क्या हैं ? असल में मैं तो समझता हूं कि जहाँ कोई आबादी या मकान हों उससे कम से कम डेढ़ सौ फीट अलग हो जाना चाहिये सुनारे पहले से रियासत के जमाने के लगे हुए हैं । उनको बदलने का सवाल है और डेढ़ सौ फीट कोई ऐसा नहीं है कि बिलकुल रिजिड हो । दो सौ, ढाई सौ फीट भी हो सकता है । लेकिन डेढ़ सौ फीट से कम न हो । यह आमतौर पर लिहाज होना चाहिये । जहाँ पर छोटी छोटी जो दिक्कतें हों उनको हल करने के लिए अगर और किसी बात की जरूरत हो तो उन्हें नेगी जो खुद भी देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं ।

मदनमोहन जी ने कहा कि अफारेस्टेशन से एम्प्लायमेंट कैसे बढ़ता है ? मैं उनको जो रिपोर्ट निकली है उसमें दिखलाना चाहता हूं । पृष्ठ ९ में यह लिखा है —

"All these schemes will prove to be of great benefit to the public. The rehabilitation of the denuded private forests and their development will add to the forest wealth of the State and plantations in connection with schemes (4) and (5) above will promote various industries. All these schemes have also relieved unemployment to some extent, as will appear from the statement given below:

(1) Management of private forests—gazetted Govt. servants 8, non—gazetted Govt. servants—724, number of units employed on daily labour wages—54,000."

इसी तरह से और भी आँकड़े हैं । इस तरह से हजारों आदमी जो बे पढ़े लिखे हैं और सैकड़ों आदमी जो पढ़े लिखे हैं उनको इस किस्म के कामों में गुजारा करने का मौका

मिलता है । इसलिये अफारेस्टेशन को जो स्कीम्स हैं उनको भी अनएम्प्लायमेंट रिलीफ में फायदेमंद समझा गया है । इसमें जो पांच लाख रुपया प्लांटेशन के लिए है वह तो पूर्वी जिलों में जहाँ राप्ती एरिया में बाढ़ आती है उसको रोकनों के लिए कंजर्वेटिव एरिया में पेड़ लगाने के लिए है । इसके अलावा दस लाख रुपया एग्रीकल्चर बजट में अफारेस्टेशन के लिए रखा गया है । वह आगरा के करीब राजस्थानी रेगिस्तान बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए पेड़ और जंगल लगाये जायं ताकि वहाँ से जो रेतीला डेजर्ट बढ़ता आ रहा था उसको रोका जाय । मुझे खुशी है वहाँ इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम हुआ है । आगरा और वृन्दावन में भी बहुत अच्छी पेड़ों के लगाने में वृद्धि की गयी है और इस दस लाख रुपये से और भी कम होगा । कई उपाय इसमें इसलिए किये गये हैं कि जो बाढ़ आती है उसको रोकने के लिए कुछ न कुछ किया जाय । इसके लिये ५ लाख रुपये का प्लांटेशन होगा । इसके अलावा और भी बहुत से प्लांटेशंस हो रहे हैं सेशं के, शहतूत के, अखरोट के और सेमल के जिससे लोगों को सामान बनाने में मदद मिले और इंडस्ट्रीज वगैरह में फायदा पहुंचे । इन सब बातों से मैं उम्मीद करता हूं कि यहां कुछ और तरीके पर भी लोगों को फायदा पहुंचेगा । जंगलात की नीति यहां के उद्योग धन्धों को बढ़ाने की, जनता की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी करने के लिए, जलाने की लकड़ी, इमारती लकड़ी और और चीजों को देखकर सामान की मुहय्या करने की है । इन सब बातों में सबके सहयोग से काम होना जरूरी है ।

कुछ शिकायत इस बात की की गयी कि यहाँ कहीं कहीं लोग जो जंगलात के मुलाजिम हैं ठीक तरीके पर व्यवहार नहीं करते और कुछ रिश्वत वगैरह की बात करते हैं । यह बहुत बेजा है, इसे रोकना चाहिये । इसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश जारी है और बराबर जारी रहेगी । जहां तक मुमकिन हो काम ठीक ढंग से हो, सूबे का फायदा हो, जंगलात की तरक्की हो और जो उनमें पैदावार है, वह उद्योग धंधों को बढ़ाने के काम में और बेकारी को दूर करने के काम में काम आये और आगे के लिये पेड़ों के बढ़ने से यहाँ की आबोहवा भी ठीक हो जायगी ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है । पारसाल माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा गया था कि फारेस्ट का ऐसा डेवलपमेंट का महकमा है जिसमें विरोधी पक्ष के विचार रखने वाले प्रतिनिधि भी रक्खे जायं । मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस सुझाव को स्वीकार किया और हम लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया । इस बात का उल्लेख करना मैं जरूरी समझता था ।

एक बात और है । माननीय चन्द्र सिंह जी ने कहा कि अब हमारे मंत्री जी ऋषि हो गये हैं और सब तो ठीक है लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि जिस प्रकार हमारे विरोधी दल के नेता दाढ़ी रक्खे हुये हैं वह भी एक दाढ़ी रख लें जिससे वह पूरे ऋषि मुनि हो जायेंगे । हमारे जंगलात के जितने आफिसर्स हैं उनको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है । जंगलों में रात दिन रहते हैं । उनकी सोसाइटी वहां के जानवर ही समझिये । उनकी ओर हमारा थोड़ा सा ध्यान होना चाहिये ।

एक शिकायत और है । झांसी में चन्दन के पेड़ लगाये जा रहे हैं । फारेस्ट स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बरों की यह शिकायत है कि झांसी में उसकी बैठक हो ताकि जो माननीय सदस्य जंगलात विभाग में दिलचस्पी रखते हैं वे चन्दन के जंगल देख सकें । यह खुशी का विषय है कि इतने माननीय सदस्य जंगलात के विभाग में दिलचस्पी ले रहे हैं । इतना उत्साह देखते हुए मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ और रुपया सड़कों के लिये सप्लीमेंटरी बजट में या और किसी तरह से रख देंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस कटमोशन को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—ऋण के अन्तर्गत १,५३,३१,७०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इस समय १ बजकर १२ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—यहां पर कुछ यह प्रश्न था कि यह जो दो अनुदान अलग अलग हैं इनको एक साथ अगर ले लिया जाय तो अच्छा है ।

श्री उपाध्यक्ष—सदन की यही अनुमति है कि इन दोनों को एक साथ ले लिया जाय ।

*श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय (लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत २,२८,२७,७०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय और मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय (लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत २,७३,९१,००० रुपये की माँग स्वीकार की जाय ।

इन दोनों अनुदानों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहने में हिचकता हूं कि अगर कुछ कहने लगूं तो कितना समय इस सदन का ले लूंगा क्योंकि एक दिक्कत ज्यादा इससे भी हो जाती है कि जो कटौती के प्रस्ताव हैं उनमें खास बात लिखी हुयी नहीं है अगर कुछ खास खास बात मालूम हो जाय कि किन-किन बातों से सम्बन्ध है जिनके बारे में कटौती का प्रस्ताव है तब तो फिर मैं उस विषय पर कुछ कहने की कोशिश करूं, लेकिन नहीं तो सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में वैसे कहने मे काफी समय लग सकता है । इसलिये जहाँ तक इसके खर्चे की बात है गोकि हमारे सूबे का कुल खर्चा जैसा कि मैंने पहले कहा था एक सौ करोड़ के ऊपर इस साल के बजट में है उस सारे खर्चे का असर सामान्य प्रशासन पर पड़ता है क्योंकि सेक्रेटेरियट से, लेजिस्लेचर से और जो कोई भी ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये चीज यहाँ पर होती है जिसके जरिये से और भी काम बहुत से हुआ करते हैं, बहुत हद तक उन पर असर पड़ता है । परन्तु बावजूद इन सब बातों के इनका खर्चा कोई इस साल बढ़ा नहीं है । करीब करीब उतना ही है । और उसमें कोई इजाफा खास नहीं हुआ है और इस बात को सामने रखते हुये सालाना कुछ न कुछ इन्क्रीमेंट हुआ करते हैं और बातें भी हैं । लेकिन खर्चा काफी कम रखा गया है । उसके बारे में मैं समझता हूं कि कोई खास शिकायत खर्चे की नहीं हो सकती और जहां तक सूबे की नीति का सम्बन्ध है उसके बारे में तो अक्सर चर्चा होती है । इसलिये मैं कोई नीति का प्रश्न नहीं उठाना चाहता हूं और कम से कम मुझे हमेशा इस बात का ख्याल रहता है कि और खासकर बजट के जमाने में कि हम लोग जितना फायदा उठा सकें औरों के कहने का उतना फायदा उठावें और जो गलतफहमी पैदा हो जाय उनको दूर करने की कोशिश करें । इसलिये मैं इस समय कुछ कहना नहीं चाहता हूं और मैं अपने प्रस्ताव को पेश करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदानों में १२ और १३ में १,१ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वतः स्वीकार किया, इस अनुदान में सारे प्रदेश की शासन व्यवस्था आ जाती है और इससे हमारे प्रदेश की ६ करोड़ ३२ लाख जनता के जीवन का बहुत घनिष्ट सम्बन्ध हो जाता है। यदि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के मुंह से पहले कुछ सुनता तो अपनी बुद्धि के मुताबिक अपनी उक्ति अधिक अच्छी तरह से रख सकता था। मेरी यह कठिनायी इसलिये और भी बढ़ गयी कि जहाँ और विभागों की ओर से हमारे सामने पुस्तिकायें आयीं वहाँ इस विभाग के बारे में कोई पुस्तिका भी नहीं आयी। फिर भी मैं जो कुछ समझ पा रहा हूं वह आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा।

जब मैंने जेल में अखबार में यह पढ़ा कि यह बजट धनियों को अधिक धनी बनाने वाला और गरीबों को अधिक गरीब बनाने वाला है तो मैं भी कुछ भ्रम में पड़ गया। मेरे सामने बजट की प्रति नहीं थी, इसलिये मैं यह निश्चय करने में नाकामयाब रहा कि इस सदन के माननीय सदस्यों की यह राय कहाँ तक सच है। इसके बाद मैंने बजट को देखने की कोशिश की है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहने के लिये क्षमा चाहूंगा कि मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस बजट का असर सुखियों को और अधिक सुखी करने का और दुखियों को और अधिक दुखी करने का होगा। भले ही जानबूझ कर यह नहीं किया गया है लेकिन जो काम होता है अगर उसका यही प्रभाव पड़ता है तो फिर हम ऐसा ही सोचने के लिये मजबूर हैं।

मैं उन रकमों की ओर निगाह डालने की दरख्वास्त करूंगा जो माननीय मंत्रियों के खर्चे की मद में या माननीय राज्यपाल के खर्चे की मद में हैं और जिनके कम करने की कोई कोशिश नहीं की गयी है। जब मैंने यह देखा कि उन्हीं महकमों के निम्नश्रेणी के लोगों में, उतना ही काम करने पर भी, उनमें कमी करने की गुंजाइश रखी गयी है और वह कमी की गयी है इस बजट में, तो मेरी वह धारणा पुष्ट हो जाती है जो माननीय सदस्यों ने इस सदन में जाहिर की थी। इसी प्रकार जो दूसरे कार्य हैं उनमें मैं देखता यह हूं कि कुछ केन्द्रीयकरण की भावना अधिक मजबूत होती जा रही है सेन्ट्रेलाइजेशन की तरफ ज्यादा ध्यान मालूम पड़ता है। चाहे तो आप सिविल सेक्रेटेरियट के मामले में ले लीजिये, चाहे लैन्ड रिफार्म्स के दफ्तर के बारे में ले लीजिये या प्रतिकर निर्धारण करने की मद को ले लीजिये, इस प्रकार से किसी मद को भी क्यों न देखा जाय यही मालूम पड़ता है कि सारी ताकत धीरे-धीरे नीचे से उठाकर राजधानी में रखने का यत्न किया जा रहा है। पिछले साल मुख्य मंत्री जी ने बहस के दौरान में यह कहा था कि कमिश्नरों की संख्या को कम करने का प्रयत्न किया जायगा। लेकिन मैंने इस बजट में देखा कि कमिश्नरों की संख्या कम तो नहीं हुयी बल्कि उनकी संख्या ७ की जगह पर १२ कर दी गयी है और उस पर रकम भी बढ़ी है, यद्यपि वह संख्या के हिसाब से तो नहीं बढ़ी, कम रकम अवश्य बढ़ी है। तेरहवें अनुदान में कमिश्नरों की संख्या बढ़ायी गयी है चाहे तो वह लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर हो, डेवलपमेंट कमिश्नर हो या केन कमिश्नर हो, लेकिन कमिश्नरों की संख्या बढ़ी है। मैं कमिश्नरों की संख्या से घबराता नहीं हूं, लेकिन उसके साथ ही साथ गांवों में रहने वाली करोड़ों जो जनता है उसके जीवन स्तर में भी तरक्की होनी चाहिये। अगर ऐसा होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि उन्हीं लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का यत्न किया गया है जिन लोगों का जीवन स्तर अंग्रेजों के राज्य में भी ऊंचा था। जो लोग अंग्रेजों के जमाने में लाभ उठाते थे वही आज भी लाभ उठा रहे हैं और जो लोग उस राज्य में गिरे हुए थे वे आज भी गिरे हुए हैं। इस ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना मैं आवश्यक समझता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

बचपन में हम यह भी सुना करते थे कि हमारे मुख्य मंत्री जी जब केन्द्रीय असेम्बली में थे तो उनका उत्तर देने में वहां के अर्थमंत्री को बड़ी कठिनाई होती थी । लेकिन जब आज हमारे देश में आजादी आयी तो इसलिये नहीं आयी कि कुछ सफेदपोश लोग जो कि अंग्रेजों के जमाने में आनन्द से जीवन काटते थे वह उन माननीय मुख्य मंत्री के जमाने में भी आनन्द से काटते चले जायं और उनकी कलम से उसमें और इजाफा होता जाय । उनकी कलम से तो हम यह आशा करते थे कि ६ करोड़ ३२ लाख लोग जो कि खाने पीने और कपड़े की मुसीबत उठा रहे हैं उस मुसीबत से छुटकारा पाते और उनको ऊंचा उठाने का यत्न किया जाता । हम देखते हैं कि बजट ऐसी चीज है जिसके लिये माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि वह शीशा है जिसमें सरकार की सूरत देखी जा सकती है । मैं देखता हूं कि उस एक लाख ३० हजार रुपये की रकम में से, जो कि गवर्नर साहब के रखरखाव के लिये रक्खी गयी है उसमें एक पैसे की कमी भी नहीं की गयी है । उनकी ६० हजार की तनख्वाह में भी एक पैसे की कमी नहीं की गयी है । मंत्रियों के बंगलों में जो सजावट में खर्च किया जाता है उसमें भी एक पैसे की कमी नहीं हुयी है और न उनकी तनख्वाहों मे किसी प्रकार की कमी की गयी है। लेकिन पारसाल नीचे के काम करनेवाले जो चपरासी थे वे ५,४३४ ही रहे और उन पर पिछले वर्ष २६ लाख ८० हजार रुपया खर्च किया गया था जब कि इस साल २५ लाख खर्च किया गया है । यानी इसमें १ लाख ८० हजार रुपये की कमी हुयी है । यह कमी इन लोगों के हिस्से में आयी जो कि ५,४३४ थे लेकिन एक आदमी के खर्चे में एक पैसे की भी गुंजाइश नहीं निकली । हमारी सरकार के लिये समझने की सबसे बड़ी चीज यह है कि उसको घर से भी कुछ खैरात करने की सोचना चाहिये । जब तक वे नेता हैं तब तक हम नहीं जानते कि वे इस तरह की बात सोचते हैं कि नहीं कि जो सरकार के वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनके विभाग में कभी आ सकता है कि नेशन के नाम पर हम भी कुछ कुरबानी करें । हमारे माननीय नेताओं ने मुल्क के नाम पर बड़ी-बड़ी कुरबानियां अगर की हैं तो मैं उपदेश के ख्याल से नहीं कह रहा हूं बल्कि दरख्वास्त के ख्याल से कहता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि मुल्क के ऊपर आज भी संकट है । इस संकट युग में जिस तरह मद्रास के मंत्रियों ने १० प्रतिशत अपनी तनख्वाह में कमी की है उसी तरह माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, क्या उस सरकार के अधिकारी और उस सरकार के सदस्य इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार न होंगे जिस बात को स्वीकार करने के लिये राजा जी ने तैयार कर लिया था ? मेरी समझ में इकनामी का मतलब यह नहीं होता है कि जो नीचे गिरे लोग हैं उनमें इकनामी की जाय और जो ऊपर बढ़े लोग हैं उनको और आगे बढ़ाया जाय । वक्त ज्यादा नहीं है कि एक-एक आइटम मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में रखूं लेकिन मैं रख सकता हूं उन चीजों को और मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है ।

मैं दो एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । कलेक्टरों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस वक्त ५१,५२ कलेक्टर जो हैं अगर ये सहूरदार हो जायं और हुकूमत के पूरे वफादार हों तो मैं समझता हूं कि यह हुकूमत चमक सकती है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मुझे मालूम है कि इन कलेक्टरों में से इस नीति पर चलने वाले कम हैं, उनकी अपनी नीति है और अपनी ही नीति से वे गाइड होते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी इसको स्वीकार नहीं कर सकते । माननीय मुख्य मंत्री जी जिस कलेक्टर को जहां पर भेजते हैं उसको अकलमंद समझ कर ही भेजते हैं लेकिन मैं उनकी खिदमत में यह पेश करना चाहता हूं कि उनके ये कलेक्टर उनकी हुकूमत को गड्ढे में ले जाकर डाल देंगे । ये तमाम ऐसे कलेक्टर हैं जो चाहते हैं कि हुकूमत बरबाद हो जाय, तबाह हो जाय । सरकार कुछ और चाहती है, वे कुछ और चाहते हैं । क्या सरकार यह कहती है कि मिनिस्टर्स जब दौरे पर जायं तो उनके लिये बड़े-बड़े लोगों के यहां दावतों का इन्तजाम करो ? मैं समझता हूं कि ऐसा कोई हुक्म नहीं है और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इसका स्पष्टीकरण होगा । आज हालत यह है कि जब कोई मंत्री दौरे पर जाता है तो कलेक्टर को सबसे पहले यह फिक्र होती है कि उसे सबसे पहले इस बात का इन्तजाम करना

है कि माननीय मंत्री जी की दावत कहां करायी जाय। पिछले जमाने में जब चुनाव हुआ था तो हमारे यहां ५,६ मंत्री गये थे और सब को हमारे यहां के कलेक्टर ने दावत दी। इस पर एक मंत्री ने पूछ भी दिया था कि तुम तो बड़े धनी मालूम पड़ते हो, इतना कहां से इकट्ठा कर लेते हो? इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे जरा इसका पता तो लगावें कि आखिर यह रकम आती कहां से है? यह रकम उन्हीं लोगों के घर से आती है जो काश्तकारों की जमीन छीनते हैं, उनके घर से आती है जो गन्ने का दाम नहीं देते हैं, उनके घर से आती है जो गन्ना दो मन का एक मन करते हैं और उस बड़ी रकम से दावतें होती हैं। मैं उस दावत में शामिल होना एक बड़ा पाप समझता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे स्ट्रिक्ट आर्डर इस तरह का दें कि कोई उनकी दावत न करे जब कि कोई मिनिस्टर दौरे पर जाय। दौरे पर जाने का मतलब यह नहीं है कि कलेक्टर उनकी दावत का इन्तजाम करता फिरे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं जो कहना चाहता हूं वह जुडिशियल अफसरों के बारे में है। जुडिशियल अफसरों के लिये पिछले वर्ष जितनी रकम थी इस साल उनकी तनख्वाह की रकम बढ़ायी गयी है। जुडिशियल आफिसर और एस०डी०एम० की योग्यता बराबर है लेकिन जुडिशियल आफिसर की तनख्वाह क्यों कम है और फिर जुडिशियल आफिसर और कलेक्टर के अधिकार से क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि हमारे जैसे लोग जब पकड़े जायं तो जुडिशियल आफिसर हमें फांस ले और फिर वह दो वर्ष की सजा दे-दे जब कि जज हमें एक दिन की भी सजा न देकर छोड़ दे। तो मैं चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि यह शक्ति का लोभ होता है, उससे हम भी बाहर नहीं हैं। लेकिन कम से कम मुख्य मंत्री जी से तो मैं आशा करता हूं कि इस उम्र में अब शक्ति का माया मोह कुछ कम हो गया है और उस मायामोह को छोड़ कर जुडिशियरी से एक्जीक्यूटिव को अलग करेंगे और यदि वे इस बात को कर पायेंगे तो डिमोक्रेसी का रूप इस प्रदेश में आयेगा। इसके बाद मैं जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के इस अनुदान में जेनरल तरीके से यह कहना चाहता हूं कि करप्शन की चर्चामात्र करने से ही काम नहीं चलता। जिलों में ऐंटी करप्शन कमेटियां बनी हुयी हैं लेकिन वह क्या कर रही हैं। मैं तो चाहूंगा कि यदि आप वास्तव में करप्शन को दूर करना चाहते हैं तो ऊपर से करप्शन को दूर करने की तरफ सोचिये और अगर ऊपर से करप्शन दूर हो जायेगा तो नीचे के लोग उसमें आप ही नहीं पड़ेंगे और अगर कुछ करप्शन वहां रहेगा भी उसका इलाज भी हो सकता है। ऐसा कार्य आरम्भ कीजिये जिससे ऐंटी करप्शन कमेटियों में जिन्दगी तो आ सके। मैं भी ऐंटी करप्शन कमेटी का मेम्बर हूं। लेकिन कभी वह मुल्तवी हो जाती है और कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ। मैं प्लानिंग और ऐंटी करप्शन दो कमेटियों में जाना चाहता हूं और उनको छोड़ना नहीं चाहता लेकिन मैं नहीं पहुंच पाता। मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैं चाहता हूं कि करप्शन को दूर करने का तरीका ऊपर से सोचना चाहिये और अगर यह ऊपर से शुरू नहीं होगा तो करप्शन दूर नहीं होगा और देश के सामने बड़ी भारी समस्या सदा के लिये बनी रहेगी।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरीगढ़वाल)––उपाध्यक्ष महोदय, १० मिनट के समय में सामान्य प्रशासन के बारे में बहुत कुछ कहना सम्भव नहीं है और नहीं आज इस सामान्य विवाद पर मुझसे यह आशा की जाती है कि मैं किसी एक जिले के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करूंगा। माननीय गैंदा सिंह जी ने कुछ शब्दों में केवल सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जिक्र किया। पिछले वर्ष इस सम्बन्ध में बहुत चर्चा हुयी और संतोषजनक उत्तर भी मुख्य मंत्री जी के मुंह से सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रश्नों का उत्तर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[महाराज कुमार बालेन्दुशाह]

अंतिम बार बोलने का अवसर जब प्राप्त हो और यदि किसी और व्यक्ति को भाषण देने का अवसर हो जाय तो सम्भव है उसका अन्त कभी न हो ।

डिसेंट्रलाइजेशन के सम्बन्ध में चर्चा अवसर होती है और वह तो जिस तरीके से और भी चर्चा होती है हमेशा होती रहेगी और चाहे हमारे मुख्य मंत्री जी जनता को यह कहें कि वह अपने देखभाल करने के लिये योग्य हैं और चाहे किसी कारण से मुख्य मंत्री जी डिसेन्ट्रलाइजेशन के खिलाफ हों लेकिन फिर भी मैं नम्रतापूर्वक उनसे यह कहूंगा कि डेमोक्रेसी में जब तक डिसेंट्रलाइजेशन के स्टैंड को कार्यरूप में परिणत नहीं किया जाता तब तक यह डिमोक्रेसी एक फार्स ही रहेगी । मुख्य मंत्री जी यहां विराज कर और मंचों से खड़े होकर भाषण दें कि यह सरकार जनता की सरकार है और उनकी इच्छा जनता की इच्छा है किन्तु जिलों में यह जनता की सरकार नहीं मानी जाती है । यह पंत सरकार कही जाती है। मुझ आपत्ति नहीं है कि यह पन्त सरकार क्यों कही जाती है, लेकिन जो पिछड़े हुये जिले हैं उनमें जो सरकार है और यहां लखनऊ में जो बैठी हुयी सरकार है उनमें परस्पर कोई सम्पर्क नहीं है और यह एक गलत बात होगी अगर कोई इसको जनता की सरकार कहे ? मैं अपने जिले के बारे में कहूंगा कि वहां के लोगों की यह भावना है कि वहां की जो वर्तमान सरकार है वह नहीं है उनके लिये कलेक्टर ही उनका शासक है और न कोई पंत जी हैं और न कोई मंत्री महोदय । जब तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के दिल में यह डर नहीं होता कि सरकार का एक अंग है तब तक जनता को केवल शिकायत का मौका रहेगा और उसको हमेशा यह बहाना रहेगा कि तुम्हारी शिकायत ऊपर पहुंचा देंगे और वहां से जो उत्तर मिलेगा वही कहेंगे तब तक यह सरकार जनता की सरकार नहीं कही जा सकती । इसलिये मैं विशेषकर आज माननीय मुख्य मंत्री जी से यही कहूंगा कि वे इस डिसेन्ट्रलाइजेशन के विषय पर तर्क वितर्क द्वारा उत्तर न दें किन्तु किसी न किसी रूप में कुछ हद तक डिसेंट्रलाइजेशन करने की अवश्य चेष्टा करें ।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के बारे में भी यही कहा जाता है कि वे चल नहीं पा रहे हैं और उनकी बुराइयों को स्पष्ट करने की कोशिश की जाती है कि अभी जनता अपनी देख-भाल करने के लायक नहीं है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार के तर्क उपस्थित करना अनुचित है ।

अध्यक्ष महोदय, यह तो मानना ही पड़ेगा कि जिस प्रकार भारतवर्ष प्रदेशों में बटा हुआ है उसी प्रकार हर एक प्रदेश डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है और यह भी सब को मानना ही पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट्स ही केवल मात्र होगी जीनियस माने जा सकते हैं । अगर कहीं किसी प्राविंस को मिलाने की बात हो तो वह भी डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर ही बटवारा होगा । इससे यह साबित होता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट्स ही मुख्य यूनिट बनेंगे और होना भी यही चाहिये । चाहे डेवलपमेंट की कोई स्कीम हो या शासन प्रबंध का कोई विषय हो हमेशा सरकार डिस्ट्रिक्ट्स को ही यूनिट बनाती है । इसलिये मेरा सुझाव है कि किसी न किसी तरह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में अगर वह संस्थायें अनुचित हों तो उनमें सुधार ला करके, डिस्ट्रिक्ट लेविल पर वहां के शासन प्रबंध में, वहां की जनता का कुछ न कुछ हाथ होना आवश्यक है । इसे किस प्रकार किया जाय और इसमें क्या क्या दिक्कतें सामने आयेंगी इसकी जानकारी मुख्य मंत्री जी को मुझसे अधिक होगी । मैं विश्वास करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री इन बाधाओं को अवश्य दूर कर सकते हैं जैसे कि वे और दिक्कतों को दूर किया करते हैं और मैं आशा करता हूं कि वे विचार करके किसी न किसी रूप में डिस्ट्रिक्ट्स की जनता को अपने डिस्ट्रिक्ट्स की देखभाल करने में अधिक भाग लेने का अवसर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां एक विषय और छेड़ना चाहता हूं वह यह है कि स्टेबिल गवर्नमेंट के लिये यह बात बहुत आवश्यक मानी जाती है कि उसके पीछे एक बहुमत हो। इसलिये जबकि वर्तमान सरकार के पीछे इतना बहुमत है तो फिर मैं नहीं समझ

पाता कि वह इतना लाभदायक कदम उठाने में क्यों हेसिटेट करती है ? मुझे विश्वास है कि जो मैंने विचार यहां पर प्रकट किये मुमकिन है कि उनसे यहां के कोई माननीय सदस्य सहमत न हों लेकिन मेरा विचार है कि और भी सदस्यों के यह विचार होंगे कि जब तक डेलीगेशन आफ एथारिटी और शासन की सुव्यवस्था नहीं की जायगी तब तक वर्तमान सरकार और प्रांतीय सरकार की एक प्रकार से बदनामी ही होगी। इसलिये यदि इस प्रकार की कोई स्कीम बनायी जाय और सरकार उस पर काम करे कि डिस्ट्रिक्ट की जनता के सिपुर्द कुछ कार्य किया जाय तो मुझे विश्वास है कि जनता अपने सुख और दुख और जो दिक्कतें उसके सामने होंगी उनका सामना करेगी और वर्तमान सरकार के प्रति उनकी सहानुभूति भी होगी। यह स्पष्ट है कि जिस बहुमत के साथ जनता ने इस सरकार को छोटा था वह बहुमत आज भी उतना ही है किन्तु कुछ जगह कुछ हद तक उसमें ढील पड़ती जा रही है। मैं विरोधी दल का सदस्य होने के नाते भी सरकार को सुझाव देता हूं, जिससे कि वह कायम रहे कि वह डिस्ट्रिक्ट्स में रूलर्स और रूल्ड में एक परस्पर सम्पर्क बनावें। यह नहीं कि यहां लखनऊ में बैठकर हमारे मंत्री महोदय जो हैं, हमारे उप मंत्री महोदय जो हैं वह हुक्म जारी करें और वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब आपके हुक्म की तामील अगर कर सकें तो करें, और अगर न कर सकें तो हमेशा लखनऊ का बहाना बनावें। यह चाहे सत्य हो चाहे झूठ हो, लेकिन यह बहाना हमेशा पेश होता है कि लखनऊ की सरकार ने ऐसा किया है, आप लखनऊ की सरकार के पास जाइये और वहां अपनी शिकायत पेश कीजिये। यह मेरा सुझाव है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे और वे केवल जवाब देने के विचार से ही ध्यान नहीं देंगे। भले ही वे हमारा जवाब न दें, लेकिन मैं आशा करूंगा कि वे कुछ हद तक इसे कार्यरूप में परिणत करने की चेष्टा करेंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भाई गेंदासिंह जी के व्याख्यान को बहुत गौर से सुना। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों को गरीब बनाने वाला और अमीरों को अमीर बनाने वाला बजट है। इस सम्बन्ध में तुलसीदास जी ने एक चौपाई कही है—

"जा की रही भावना जैसी,
प्रभु मूरति देखी तिन तैसी।"

यदि इस बजट को हम ध्यान से देखें तो वास्तव में यह बजट गरीबों को मालदार और धनवान् बनाने वाला बजट है। इस बजट में जितना रुपया फाइव ईयर प्लान को पूरा करने के लिये रखा गया है उससे क्या अमीरों की वृद्धि होगी या गरीबों की या देहात में रहने वाले ८० फीसदी किसानों का स्तर ऊंचा होगा? यह कहना कि यह गरीबों को गरीब बनायेगा और अमीरों को अमीर बनायेगा, यह कम से कम आदरणीय भाई गेंदासिंह जी के मुंह से शोभा नहीं देता क्योंकि वह विरोधी दल के एक सुलझे हुए नेता हैं अमीरों की हालत माननीय बालेन्दुशाह जी जानते हैं कि कितनी खराब हो रही है। तो यह बात कह देना कि यह बजट गरीबों को गरीब और अमीरों की अमीर बनायेगा कोई माने नहीं रखता।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि सरकार का केन्द्रीयकरण हो रहा है और केन्द्रीयकरण की नीति की उन्होंने बड़ी कटु आलोचना की। पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड, लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी आदि जो एकाइयां हमने स्थापित की हैं वे क्या सेंट्रेलाइजेशन की तरफ ले जा रही हैं या डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ले जा रही हैं। इसलिये यह कह देना कि सेंट्रेलाइजेशन की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, कुछ मेरी समझ में नहीं आता।

तीसरी बात उन्होंने यह कही कि जुडिशियरी और एक्जीक्युटिव का सेपरेशन होना चाहिये। हमारी सरकार ने जुडीशियल मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर रखे हैं और यह हमारी सरकार

[श्री लेखराम शर्मा]

का इस तरफ एक कदम है। प्रशासन की उन्होंने बहुत सी खराबियां बतलायीं। लेकिन जो कुछ प्रशासन में हो रहा है और जो कुछ हुआ है उसके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं। खुद माननीय गेंदासिंह जी ने उसकी सराहना की है। किसी व्यक्ति विशेष से असन्तुष्ट होने के कारण किसी एक इंस्टांस को जनरेसाइज करना और सारे कर्मचारियों को एक दृष्टि से देखना उचित नहीं है। हमारे बहुत से कर्मचारी जो केन्द्रीय सरकार में विदेशों और यू० एन० ओ० में कार्य कर रहे हैं, वे आज अपने कार्य से हमारे देश प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। कुछ आदमी ऐसे हो सकते हैं जिनके प्रति शिकायतें हो सकती हैं। परन्तु उनके सम्बन्ध में हमारे मुख्य मंत्री जी काफी सचेत हैं।

उन्होंने कुछ करप्शन की भी बात कही। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं मुख्य मंत्री जी के उस भाषण को आपके सामने पेश करता हूं जिसमें उन्होंने यह घोषणा की है कि "आगे तरक्की वगैरह जो होगी वह ईमानदारी और इंटेग्रिटी की बिना पर होगी" दूसरे यह कि अफसर का काम यह जरूरी नहीं है कि वह खुद ईमानदार हो, बल्कि वह देखे कि उसके मातहत जो काम करते हैं वह ईमानदार हों, और यह भी उसे देखना है कि कोई अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करके बसर तो नहीं कर रहा है, अगर कोई अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करता है तो फिर वह उसकी जांच करे या कराये। इस तरह से उन्होंने घोषणा की है और यह कदम उठाया जा चुका है। लेकिन वह यह चाहते हैं कि इतनी जल्दी एक कदम उठाने के बाद दूसरा कदम भी तत्काल उठाया जाना चाहिये। मेरी राय में तमाम परिस्थितियों को देख कर के एक मजबूत कदम उठाया जाय। हमें अंग्रेजी विरासत से कर्मचारी मिले उसमें नये-नये आदमियों को तरक्की देनी पड़ी, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान चले गये थे। लेकिन जितनी ईमानदारी और जिम्मेदारी से उन्होंने कार्य किया उसके लिये दो रायें नहीं हो सकतीं। साथ ही साथ प्रशासन प्रणाली के सुधार के लिये दो तीन बातों की खासतौर पर व्यवस्था की गयी। एक तो एकोनामी ड्राइव किया गया, जिसमें काफी सफलता मिली और लाखों रुपये की इसमें बचत दिखायी गयी है। आप देखें कि मद १२ में करीब साढ़े छह लाख रुपये की बचत की गयी है और भी बचत की इसमें संभावना है। दूसरी तरफ यह बात कही गयी कि कमिश्नर अधिक रखे गए हैं। एक तरफ तो हमारे विरोधी दल की तरफ से यह शिकायत की जाती है कि अपीलों में बड़ी देर होती है, काम बहुत देर में होती है और जब हम काम को जल्दी करने के लिये नियुक्तियां करते हैं तो उस पर यह कहा जाता है कि आदमी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कही और जो बड़ी महत्व की है वह है लोअर रैंक में करप्शन की। इसके लिये सबसे पहले आवश्यकता यह है कि हम अपने आपको सुधारें। जनता में ही से हमारे कर्मचारी बनते हैं। तो यह कह देना कि अफसरों का सारा दोष है, यह ठीक नहीं है। जैसा सदन में पहले भी कहा जा चुका है कि समाज के नैतिक स्तर पर ऐसी मनोवृत्ति जनता के अन्दर घुस गयी है और इनको बदलने के लिये हमें और आपको आन्दोलन करना पड़ेगा। इस वक्त हम एक खतरे के फेज से गुजर रहे हैं और उसके साथ-साथ हम चाहते हैं कि हमारे देश का कल्याण हो। इसके लिये हमें पंचवर्षीय योजना को कार्य रूप में परिणित करना होगा और जब वह कार्यरूप में परिणित हो जायगी तो हमारा प्रदेश धनधान्य से परिपूर्ण होगा और जब हमारा प्रदेश धनधान्य से परिपूर्ण होगा तो निश्चय ही जीवन का स्तर ऊंचा होगा और जीवन का स्तर ऊंचा होने से हमें जो आजकल निराशा है वह दूर होगी।

इसके साथ-साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने दो तीन सुझाव रखना चाहता हूं। अक्सर यह बात देखी जाती है कि जिन कर्मचारियों का ट्रांसफर वगैरह होता है तो वे बहुत एप्रोच करते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे कर्मचारी जो ट्रांसफर रुकवाने के लिये एप्रोच करते हैं उनका सस्पेंशन होना चाहिये जिससे उनकी यह आदत छूटे। दूसरी बात यह है कि जो सर्विसेज का एक्सटेंशन होता है उससे दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलता है और उनक

उत्साह कम हो जाता है। तो सर्विसेज का एक्सटेंशन नहीं होना चाहिये। वे दूसरे प्रदेशों में जा सकते हैं लेकिन निश्चित समय के बाद एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिये। तीसरी बात यह है कि उनकी कार्यक्षमता की बिना पर ही प्रोमोशन दिया जाना चाहिये और सीनियारिटी का सवाल कुछ अनुपात तक खत्म कर देना चाहिये।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय गेंदासिंह जी और माननीय बालेन्दुशाह जी दोनों ही माननीय सदस्यों के भाषण सुने। मुझे खेद हुआ यह देख कर कि माननीय गेंदासिंह जी जैसे गम्भीर व्यक्ति जिनको सभी लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं उन्होंने प्रशासन की आलोचना करने में कोई इस प्रकार के रचनात्मक सुझाव नहीं रखे जिनसे यह समझा जाय कि वह किस प्रकार प्रशासन को समुन्नत देखना चाहते हैं। शायद ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य हों या सार्वजनिक जीवन का दूसरा व्यक्ति हो वह प्रशासन को या अधिकारियों को "क्षणे रुष्टाः क्षणे तुष्टाः" वाली नियत से कसौटी में कसना चाहते हैं। वे इस बात को नहीं देखते कि प्रशासन की जो नीति है उसके अनुरूप हमारे अधिकारी चल रहे हैं या नहीं। वे इस बात की आकांक्षा करते हैं कि अधिकारी हम जिस नीति के प्रतिपालक हैं उस नीति के वे अनुवर्तक हैं या नहीं। शायद यही कारण है कि उनको निराशा होती है और प्रशासन से शिकायत होती है। आज शासन को समुन्नत करने का उत्तरदायित्व हम लोगों के ऊपर कम नहीं है। जो कमियाँ हैं उनको हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम स्वयं पहले अपने ऊपर संयम करें, अपने ऊपर अनुशासन करें, फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा अधिकारी है जो हमारी राजनीति है उसके विरुद्ध वह जा सकता है।

विकेन्द्रीयकरण की बात कही गयी, माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा लेकिन उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया। श्री बालेन्दुशाह जी ने सुझाव दिया और उनका खयाल यह है कि जिला कौंसिल को नियुक्त किया जाय किन्तु विकेन्द्रीयकरण की जो स्थिति है जैसे हमारी गाँव-सभा, गाँव समाज, म्युनिसिपल बोर्ड्स तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह इनको जो पावर्स ट्रांस्फर की गई हैं, वह क्या सेंट्रलाइजेशन किया गया है या डिसेंट्रेलाइजेशन किया गया है। अभी कल स्वायत्त शासन के बजट पर जो भाषण किये गये उनमें और आज के भाषणों में महान् अन्तर है। हमारा यह प्रयोग जिस परिणाम और अनुपात में सफल होता चला जायगा उसी अनुपात में और परिणाम में हम इसको करते चले जा रहे हैं। यही हमारी नीति है।

अभी हमारे मित्र माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि कलेक्टर्स मंत्रियों को दावतें दिलवाते हैं। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं क्योंकि मैं अपने जिले में देखता हूं और उसका अनुभव भी रखता हूं क्योंकि हमारे यहाँ भी मिनिस्टर्स जाते हैं और यह भी सही है कि दावतें कहीं-कहीं होती हैं लेकिन वह जनता की ओर से और जनता के प्रतिनिधियों की ओर से दी जाती हैं और इस बात को मैं कह सकता हूं कि कहीं-कहीं इस बात पर प्रतिद्वंद्विता होती है वह चाहते हैं कि उनकी तरफ से दावत दी जाय और दूसरे लोग चाहते हैं कि उनकी तरफ से दावत दी जाय। किसी के यहाँ अगर कोई माननीय व्यक्ति आता है तो साधारण शिष्टाचार है और हमारे यहां की भारतीय परम्परा है कि अगर कोई माननीय व्यक्ति आता है तो उसके साथ १०, २० आदमी बैठ कर एक साथ एक शाम या रात को भोजन करें। यह दावतें इसलिये नहीं दी जाती हैं कि इससे उनका महत्त्व बढ़ जाता है बल्कि इसलिये आदमी के अन्दर यह भावना होती है कि हमारे क्षेत्र में यह आये हैं इसलिये उनका अधिक से अधिक आदर और सम्मादार करें। मैंने अपने जिले की बात कही। हमारे यहाँ एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि किसी कलेक्टर ने जबर्दस्ती या संकेतपूर्वक किसी मिनिस्टर को या डिप्टी मिनिस्टर को दावत दिलाई हो।

[श्री देवदत्त मिश्र]

करप्शन की बात कही गई और यह कहा गया कि जब तक ऊपर से करप्शन जायेगा नहीं तब तक दूर नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा ख़याल यह है कि माननीय सदस्य मर्ज को ठीक तरह से समझें। अभी हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण मौजूद है कि २७,००० पटवारियों ने इस्तीफा दिया और १८,००० नये लेखपाल नियुक्त किये गये। अगर भ्रष्टाचार समाज के जन जन में प्रविष्ट नहीं हुआ होता तो उन्होंने एक नवीन व्यवस्था और परिवर्तन समाज में ला दिया होता। किन्तु उनकी नियुक्ति के बावजूद आज पटवारी और लेखपालों में नाम के परिवर्तन के अतिरिक्त और दूसरा कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। इससे स्पष्ट है कि समाज की जड़ में यह घुसा हुआ है। जब तक माननीय सदस्य इसको जड़ से उखाड़ने की चेष्टा नहीं करेंगे तब तक डाल और शाखाओं को उखाड़ने से भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। आज उनका भी कर्त्तव्य है कि वह इस पर गंभीरतापूर्वक सोचें क्योंकि शासन का उत्तरदायित्व सारे माननीय सदस्यों के ऊपर है। चाहे वह इधर के हों या उधर के हों। इसलिये दोनों ओर के सदस्यों को सोचना है कि आज जो यह मानस में कलुष है इसको कैसे दूर करें। जैसा मैंने अभी कहा कि आप अपने संयम द्वारा समाज को समुन्नत कर सकते हैं और उसके साथ-साथ अधिकारियों को भी एक रास्ता दिखा सकते हैं। आज अधिकारियों से हम अपना स्वार्थ चाहते हैं, उनसे कोई कंसेशन चाहते हैं, उनसे किसी प्रकार की कृपा चाहते हैं और उसके बाद हम यह चाहते हैं कि वह ठीक और सुन्दर नीति से काम करें तो यह आशा केवल दुराशा मात्र है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इस भ्रष्टाचार के गम्भीर प्रश्न को ऊपर हम दोनों ही पक्षों के माननीय सदस्य बैठ कर के विचार करें कि इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं।

*श्री वसी नकवी (जिला रायबरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस बजट सेशन के सिलसिले में आज मुझको पहली मर्तबे इस बात का मौक़ा दिया है कि मैं अपने विचार इस सदन के समक्ष रख सकूं। मैं अपना यह फर्ज समझता हूं कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बजट पर बधाई दूं। एतराज करना बहुत आसान है लेकिन जिनको काम करना पड़ता है, जिनको काम का तजुर्बा है उनका दिल व दिमाग़ इसको जानता है कि वह किस तरीक़े पर काम को चला रहे हैं। विरोधी दल के नेताओं ने इस तरह की तकरीर की है कि वह चाहते हैं कि हम अगर सीधे रास्ते पर चलें तो वह सीधे रास्ते से पलट कर उलटे रास्ते पर आ जायं। न हमको सीधे रास्ते पर चलने दिया जाता है न उलटे रास्ते पर चलने दिया जाता है। हर बात की आलोचना, हर बात की शिकायत होती है। यह कहा गया कि कमिश्नर्स की तादाद बढ़ी हुई है। १३ कमिश्नर्स हैं वह चाहे डेवलपमेंट के कमिश्नर हों, डिवीजन के कमिश्नर हों, कमिश्नर तो सब है ही। मेरी समझ में यह नहीं आया। आप अगर बजट को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस वक्त सारे प्रदेश में कुल तीन कमिश्नर हैं। लेकिन डेवलपमेन्ट कमिश्नर के ऊपर भी एतराज है। एक तरफ तो आप यह चाहते हैं कि गरीबों की हालत सुधारी जाय, फाइव इयर प्लान लागू हो, दूसरी तरफ उस काम के चलाने के लिये कोई सेंट्रल एथारिटी कायम की जाती है तो आप कहते हैं कि यह डेवलपमेंट कमिश्नर कैसे कायम किये गये। इस तरीके के ऊपर यह कहा गया माननीय गेंदा सिंह जी की तरफ से जुडीशियल आफिसर्स जो हैं वह एक्जीक्यूटिव के मातहत न रहें। ठीक है। मेरे ख्याल में हमारी सरकार ने यह क़दम उठाया है और जिन लोगों को उन जुडीशल आफिसर्स का तजुर्बा है वह इस बात को जानते हैं कि वह आजादी के साथ अपने फैसले दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं या कि वह एक्जीक्यूटिव के इशारों पर चलते हैं। मेरे ख्याल में जो माननीय सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं वह इस चीज को जानते हैं कि कितना काम जुडीशल आफिसर्स कर रहे हैं और किस इन्साफ और न्याय के साथ कर रहे हैं। उसका सारा समय मुकदमात सुनने, मुकदमात करने और उनका फैसला देने में गुजर जाता है और उस लिहाज से मुझे कुछ दिनों तक यह ताज्जुब था कि जुडीशल आफिसर्स की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, उनकी मुश्तकिल तनख्वाह है, उन्हें कोई तरक्की नहीं मिल रही है। लेकिन मुझे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बात की खुशी है कि इस तरफ भी मुख्य मंत्री जी ने तवज्जह की और उनकी तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं और उनको अगर वह इस काम के लायक हैं तो तरक्कियाँ भी दी जा रही हैं। मुझे ऐसा भी मालूम हुआ है कि बहुत से जुडिशल आफिसर्स को ए० डी० एम० जुडीशियल भी बनाया गया है। महज इसलिये कि यह आइटम इस बजट में एक जगह है महज इसी वजह से तो आप यह नहीं कह सकते कि अब भी जुडिशियरी, एक्जीक्युटिव के मातहत काम कर रही है। मेरे ख्याल में कुछ दिनों में यह आइटम भी बजट में अलाहिदा कर दिया जायगा और उसके बाद कम्प्लीट सेपरेशन जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव का हो जायगा। तीसरी बात यह कही गयी कि माननीय मुख्य मंत्री और दूसरे उप मंत्रियों की तनख्वाहें ज्यादा हैं। बार बार यह कहा जा रहा है कि आप अपनी तनख्वाहें कम करें लेकिन आपने यह गौर किया कि १००करोड़ के बजट में साढ़े बारह सौ रुपया माहवार का तनख्वाह आप को इस जमाने में बहुत दिखायी दे रही है। मैं तो यह कह रहा हूं कि मामूली तरीके पर गुजर बसर के लिये आज कल हजार बारह सौ रुपये कोई चीज नहीं है। लेकिन वह कमी जो चाहते हैं वह सिर्फ मंत्रियों की तनख्वाह में। कितनी योजनाएं हैं, कितना रुपया डेवलपमेंट पर खर्च किया जा रहा है, उसका गवाह यह खुद बजट है। बजट को चेक कीजिये। यह फैक्ट्स ऐण्ड फीगर्स की बात है। हवा पर उड़ायी हुई बातें नहीं हैं। यह बजट मौजूद है जिससे आपको मालूम होगा कि कितना रुपया विकास योजनाओं पर सर्फ किया जा रहा है। इसके अलावा मुझे अर्ज करना है कि कहा गया कि कलेक्टर्स ठीक काम नहीं कर रहे हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि जिलों के कलेक्टर्स उन अहकामात की तामील पूरे तरीके से कर रहे हैं जो अहकामात यहाँ से सादिर किये जाते हैं। हाँ जो दिक्कतें वह महसूस करते हैं उन पर भी गौर करना हमारा फर्ज हैं। और वह दिक्कतें यह है कि मैं अपने काम को ले कर गया। मैंने कलेक्टर से यह चाहा कि वह मेरी मरजी के मुताबिक काम करे और दूसरे साहब गये उन्होंने चाहा कि उनकी मरजी के मुताबिक काम करे। मुख्तलिफ राजनीति दलों के लोग अपनी मरजी के मुताबिक काम कराना चाहते हैं। लेकिन उसको सारी जनता को साथ लेकर चलना है। उस हैसियत से कभी उसने आपका साथ दिया कभी उसने दूसरे साहब का साथ दिया। जो मुनासिब मालूम हुआ उसने किया। यह कठिनाई भी है। जनता से डील करना आसान नहीं हुआ करता है और इस शिकायत की वजह यही है कि हर शख्स चाहता है कि जो मैं चाहूं वही हो। अगर यही जहनियत हमारी और आपकी है तो इस तरीके से कोई शासन नहीं चल सकता है। हमारे सामने वह फैक्ट्स व फिगर्स रखे जायं जिनसे मालूम हो कि ये चीजें खिलाफ हुक्म और खिलाफ कानून की गई हैं। और अगर ऐसी चीजें मालूम होंगी तो मुझे यकीन है कि माननीय मुख्य मंत्री ऐसे हाकिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे जो इस तरीके पर कानून और अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य यह चाहता है और उत्तर प्रदेश में जो ६ करोड़ जनता रहती है वह भी यही चाहती है कि हमारा जो शासन हो उसमें इफीशेंसी आये, उस शासन में इकानोमी आये और उस शासन में किसी तरह से वेस्ट न हो। इस उद्देश्य को ले कर जैसे हमारे ट्रेजरी बेचेंज के बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे पक्ष से जो बातें कही गयी हैं वह उचित नहीं हैं इसको तो उन्हें मानना ही पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस सदन के अन्दर है वह चाहता है कि प्रदेश के अन्दर इफीशेंसी आये, इकोनामी आये और वेस्ट न हो और इस प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि प्रजातन्त्र पद्धति जो जितनी शासन पद्धतियाँ हैं उन सब में सबसे बेहतर और अच्छी बतायी जाती है क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति जिसको वोट देने का अधिकार है उसका शासन की प्रत्येक बात का जानने का भी अधिकार है। और वह यह समझते हैं कि यह हमारा राज्य है और हम इसके वफादार हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि यह बात हमारे सामने नहीं आती है। यह तो अवश्य ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से कहा जायगा और बहुत दिनों से बृटिश शासन के कारण से शासन के ढांचे के अन्दर बहुत सी बुराइयाँ थीं। लेकिन उस ढांचे पर जो व्हाइट वाशिंग कर दी गयी है उससे हमारे देश का उद्धार होने वाला नहीं है। जब तक इस देश के शासन का ढांचा आमूल

[श्री गंगाधर भंटाणी]

परिवर्तित नहीं किया जायगा तब तक देश का प्रत्येक नागरिक यह नहीं समझ पायेगा कि यह हमारी अपनी सरकार है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र पद्धति में इक्जिक्यूटिव, जुडीशियरी और लेजिस्लेचर तीन अंग हैं। उनका अपना अलग अलग काम है। लेकिन हम आज देखते हैं कि इन तीनों विभागों में अधिक से अधिक हस्तक्षेप किया जाता है। जहां तक जुडीशल आफिसर्स का ताल्लुक है अगर उनको हाईकोर्ट के अधीन कर दिया जाय तो शायद जुडीशयल मामलों में शासन की ओर से हस्तक्षेप करने का मौका न आये। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आर्डिनेन्स के द्वारा यहां बहुत से ऐसे कार्य किये जाते हैं जिनमें एक्जिक्यूटिव लेजिस्लेचर की पावर्स खत्म करके अपना प्रभुत्व जमाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों की यह कामना है कि देश का असल खाका हमारे सामने रखा जाय। तर्कवाद से उद्धार होने वाला नहीं है जब तक देश के हर गरीब को अंचा नहीं उठाया जाता। मैं उस इलाके का रहने वाला हूं जो तिब्बत के बार्डर से मिला हुआ है। वहां अंग्रेजी राज्य में पटवारियों का राज्य था। उसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ग्राम पंचायतें बनीं लेकिन लोगों की दिक्कतें वैसी ही बनी हुई हैं और वे किसी प्रकार से दूर नहीं होतीं।

दूसरी बात मैं यह देखता हूं कि यू० पी० भर के जितने निकम्मे लोग हैं वे गढ़वाल में भेज दिये जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है आफिसर्स तीन कैटेगरीज याने पनिसमेंट, प्रोमोशन और प्रोबेशन के कारणों से लोगों को वहां भेजा जाता है। यह जिला आवागमन का साधन भी है। अभी अप्रैल का महीना आयेगा। उस वक्त यहां के बड़े-बड़े अधिकारी यात्रा मार्ग में बद्रीनाथ तक पहुंच जायंगे। उस वक्त कलेक्टर से लेकर नीचे तक का कर्मचारी अपने काम पर नहीं रह जाता। जिले के अधिकारी स्वागत में रहते हैं, मैजिस्ट्रेट अदालत में नहीं पहुंचते। लोगों को परेशानी होती है क्योंकि ५०, १०० मील पैदल चल कर लोगों को अदालतों में आना पड़ता है।

मुझे प्रसन्नता है कि अभी ४ जनवरी को चीफ सेक्रेटरी ने प्रत्येक जिले को एक सर्कुलर भेजा है। उसमें कहा गया है कि प्रत्येक जिले में कान्फ्रेन्सेज होंगी और जिलों की दिक्कतों को जिला लेविल पर सुलझाया जायगा। हम आशा करते हैं कि इसका कुछ अच्छा फल होगा। लेकिन देखा यह गया है कि जब बातें सेक्रेटेरियट लेविल पर आ जाती हैं तो उनको जिला लेविल की दृष्टि से नहीं सुलझाया जाता। किसी बात की अर्जेन्सी या लोगों की दिक्कतों को सामने रखकर कोई मसला हल नहीं किया जाता। जिसके पास पैसा नहीं है जो गरीब है वह आधुनिक साधनों को प्राप्त नहीं कर पाता। इस तरह से लोगों की दिक्कतें दूर हों इसके लिये कोई चीज नजर नहीं आती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि इसमें एक आइटम लिखा हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि जितनी भी पुरानी सूचियां मतदाताओं की हैं वे सब संशोधित कर दी जायगी लेकिन पिछले समय में हमने देखा कि जितनी सूचियां बनीं उनमें एक भी आदमी का नाम शुद्ध नहीं है उसके बाप का नाम शुद्ध नहीं है। यह कितने दुःख की बात है कि लाखों रुपया सूचियां बनाने में व्यय किया जाता है और बाप का नाम ग़लत लिखा जाता है। यह बड़े अफसोस की बात मालूम होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात स्टैटिस्टिक्स के बारे में कहनी है। वह यह है कि देश में तब तक सुचारुरूप से अध्ययन नहीं किया जाता, किसी प्राब्लम को, जब तक उस सम्बन्ध में स्टैटिस्टिक्स सही तैयार न हों लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर स्टैटिस्टिक्स गलत पाये जाते हैं। वे देश की वास्तविकता को नहीं दिखाते। इसका मुझे परम दुख है और आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री इस विषय में विभाग को आदेश देंगे जिससे सही आंकड़े हमारे सामने उपस्थित हो सकें।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि कई रोज के उठने बैठने के बाद आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज का जो यह अनुदान है मैं समझता हूं कि सभी प्रान्तों में यह सब से बड़ा और मुख्य अनुदान है। इसी अनुदान के ऊपर हमारे प्रदेश के शासन का मुख्य भार है और इसी से जिलों और प्रान्त की शासन

व्यवस्था ठीक रहने पर हमारे देश का शासन ठीक रह सकता है। कई प्रकार की आलोचनायें दूसरे दल के लोगों से इसमें की। कुछ ने तो यह समझा कि अगर जिलों का शासन बदल दिया जाय और विकेन्द्रीयकरण कर दिया जाय तो उनका ख्याल है कि शायद सारा का सारा शासन ठीक हो जायगा मगर मुझे यह बात कुछ ऐसी नजर नहीं आती। विकेन्द्रीयकरण का यह मतलब नहीं हो सकता कि जैसी असेम्बली यहां पर लखनऊ में बैठती है उसी प्रकार से असेम्बली काउन्टी कौंसिल के रूप में जिलों में भी बैठा करेगी। विकेन्द्रीयकरण का अगर कोई मतलब हो सकता है तो यह हो सकता है कि जो कानून यहां पर बनें उसको ठीक रूप से लागू करने के लिये जैसा कि आजकल कलेक्टर या उच्चाधिकारी जिलों के बेसिस पर काम करते हैं उनके बजाय जनता के नुमायन्दे और शामिल कर लिये जायं और वह देखभाल करके काम करें और जो जिलों की जरूरत हो वह अपनी जरूरतों को यहां पर सुचारुरूप से लिख कर भेजें और उसके लिये यहां पर कुछ धन मंजूर हो जाया करे। मैं समझता हूं कि यह अपने प्रान्त के लिये और अपने राज्य के लिये कांग्रेस सरकार की बड़ी भारी देन है कि उन्होंने विकेंद्रीयकरण को शुरू कर दिया और उसी स्पीड के साथ और उसी तेजी के साथ किया जैसा कि उसकी जनता को जरूरत थी और मांग थी। कोई काम ऐसे काल में जब कि हमारे चारों तरफ लड़ाई और युद्ध के बादल मंडरा रहे हों हमको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे हमारी शासन व्यवस्था में कोई ऐसा हेरफेर हो जाय जिससे हमारे देश के लिये हानि हो। अभी हम यह देख रहे हैं कि उस नीति को बदला गया है मगर हम इस बात को नहीं जानते कि जो हमारी पंचायतें और ग्राम सभायें हैं जो प्रान्त में इस समय काम कर रही हैं उनके अन्दर कितनी खराबियां आयीं। हम इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि सारी व्यवस्था ठीक होने पर जो भूमि गरीब आदमियों के काम में लायी जा सकती है वह सारी की सारी भूमि चली गयी। जो भूमि खाली पड़ी हुई थी जो जमींदारों के जमाने में बहुत सी भूमि ऐसी पड़ी हुई थी और ऐसी समझी जाती थी कि गरीब आदमियों को मिल जायगी आज वह भूमि देखने को भी नहीं मिलती है। मैं यह कह रहा था कि विकेन्द्रीयकरण एक ढंग के साथ और समय के अनुसार करना पड़ता है और यदि उसमें कोई जल्दबाजी की जाती है या वह जनता के असर से अलग होकर की जाती है तो उसमें सदैव नुक्सान होता है। मगर इसके साथ-साथ मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि आज जो हमारी हुकूमत है चाहे वह यहां लखनऊ की हो चाहे वह जिले की हो वह ठीक प्रकार से काम कर रही है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री के व्याख्यान को कम तनख्वाहों के बढ़ाने के बारे में और बढ़ी हुई तनख्वाहों को घटाने के बारे में कई मर्तबा सुना है मगर मेरी धारणा अभी तक वैसी की वैसी ही है जैसी कि कभी पहले थी कि हमारे यहां भ्रष्टाचार का मुख्य कारण इन लोगों की बढ़ी हुई तनख्वाह है। तो मैं एक सबसे बड़ा कारण यह समझता हूं कि कुछ आदमी हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं कि जिनकी तनख्वाहें बहुत बड़ी है और उसके साथ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी तनख्वाहें बहुत छोटी हैं। जो छोटी तनख्वाह वाले लोग हैं वह उन ऊपर वालों से डाह करते हैं उनकी बढ़ी हुई तनख्वाह की हालत को और उनकी बातों को देखकर। एक बढ़ी हुई तनख्वाह के आदमी के तीन बच्चे हैं और एक छोटी तनख्वाह के आदमी के तीन बच्चे हैं तो उस बढ़ी हुयी तनख्वाह के आदमी के जो तीन बच्चे हैं उनको हमेशा इस बात का मौका मिलेगा कि उनके बच्चे हमेशा के लिये बड़ी तनख्वाह पाते जायं जो कि छोटी नौकरी वालों को नहीं मिलता। मैं यह मानता हूं कि आर्थिक दृष्टि से कोई विशेष बात या लाभ नहीं होगा। बढ़ी हुई तनख्वाहों को कम करने से ज्यादा से ज्यादा १०, २० लाख रुपये की बचत हो जायगी। लेकिन जो जलन छोटे तबके के लोगों में होती है वह हमेशा के लिये कम हो जायगी और जो लोगों में भावना होती है कि मैं भी अपने बैलेंस को बढ़ाऊं वह भी खत्म हो जायगी। हमारी कांग्रेस संस्था ने जब शुरू-शुरू में यह तय किया था कि तनख्वाहें हर एक व्यक्ति की कम की जावेंगी और थोड़ी तनख्वाह वालों को ज्यादा दी जावेंगी तो उसका मुख्य कारण यही था कि एक तरह से आर्थिक समन्वय लोगों के जीवन में होगा जो कि अत्यन्त ही लाभकारी होगा।

[श्री बलवन्त सिंह]

एक सुझाव मैं देना चाहता हूं, और मुझे खुशी है कि इधर कुछ कदम भी बढ़ाया गया है, और वह यह है कि एक कमीशन सीक्रेट लेविल पर ऐसा जरूर मुकर्रर होना चाहिये जो इस बात को देखता रहे कि सरकारी अफसर अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। इससे इस बात का पता लग जाता है कि कौन आदमी भ्रष्टाचार का जीवन व्यतीत करता है। हम इस बात को जानते हैं कि बाज दफा बहुत छोटे-छोटे लोग मोटरें रखते हैं। इसी प्रकार से उनका रहन-सहन लार्डली या प्रिंसली तरीके का होता है। इसकी देखभाल बहुत ही आवश्यक है।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों अनुदानों का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। इस देश को विदेशी साम्राज्यवादी व्यवस्था ने इस तरह से बरबाद कर दिया था कि उसके सामने जनता की पुकार और ललकार हुई और न्याय का तकाजा हुआ कि जिसकी वजह से अंग्रेजों को यह मुल्क छोड़ कर जाना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के लिये यह आवश्यकता थी कि सरकारी अधिकारियों का हृदय परिवर्तित हो। इस तरफ हम अपने को काफी आगे ले जा चुके हैं।

विरोधी दल की ओर से अभी गेंदा सिंह जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है और अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में जिस प्रकार सफेद पोश वाले लूटते और खसोटते थे आज भी वही हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि गांव वालों का जीवन स्तर अभी ऊंचा नहीं है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि अंग्रेजी जमाने में जब कि हमारे सफेद पोश वाले जमींदार भाई थे और उन्होंने अंग्रेजों की खुशामदें की थीं और अंग्रेजों ने उन्हें काफी तरजीह दी लेकिन भाई गेंदा सिंह जी भूल जाते हैं कि इन सफेद पोश वालों को इस हुकूमत ने किस प्रकार से खत्म कर दिया है। वह उन दिनों को भूल गये जब कि जमींदारों के जुल्म होते थे और हरी-बेगारी ली जाती थी और जिस-जिस प्रकार से उन से काम लिया जाता था। लेकिन आज कोई ऐसा नहीं कर सकता है। जो ऐसा करेंगे वे जेलों के शिकार होंगे। उनका यह भी कहना है कि इस हुकूमत में कलेक्टर वफादार हैं तो मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि जिस समय उनकी वह सरकार होगी जिसकी वह कल्पना कर रहे हैं तो क्या उस समय कलेक्टर वफादार नहीं रहेंगे? कोई भी राज्य होगा, कोई भी हुकूमत होगी, कलेक्टर तो उसका वफादार ही होगा। उन्होंने आक्षेप किया कि मंत्रीगण बातें खाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब समाजवादी सरकार होगी तो क्या होगा और क्या वे अपने पेट में हवा भरा कर संतोष कर लेंगे। यह तो उनकी आलोचना ही हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि कचहरियों में भ्रष्टाचार है। हां, कचहरियों में भ्रष्टाचार है लेकिन क्या कहीं से उन्होंने भ्रष्टाचार को उन्मूलन करने की कोशिश की है। यह वही बता सकते हैं। यह मैं साफ-साफ बता सकता हूं कि जो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार लोग हैं, जो कि अंग्रेजों के जमाने हमारे गांव में रास्ते से नहीं गुजरते थे, अपने बंगले की चहारदीवारी के अन्दर से शेर की तरह गरजते थे वही जिलाधीश, हाकिम परगना और तहसीलदार आज गांवों के रास्तों पर भटकते फिरते हैं, अपनी सिरों पर टोकरी रख कर जनता की बीच में काम करने में लोगों को उत्साहित करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि समाजवादी व्यवस्था कैसी होगी, सरकारी कार्यवाही उसमें कैसी होगी। क्या उसमें लोग आसमान से गिरेंगे या आसमान से कूद कर देश का निर्माण करेंगे। यह वही जान सकते हैं।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं उस जगह से आता हूं जो पहले गोरखपुर जिले में थी और अब देवरिया में कर दी गयी है। देवरिया जिले में २२ लाख आदमी हैं जब कि गोरखपुर जिले में २६ लाख है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उस क्षेत्र की जनता को काफी दूर चल कर देवरिया की मुंसफी में जाना पड़ता है। इस के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान बांसगांव मुकाम जो तहसील पड़रौना में है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं और वहां पर मुंसिफी का हेड क्वार्टर कर दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। हाटा तहसील इसी जगह पर है

और ऐसी पिछड़ी हुई है कि वहां आने जाने के कोई साधन नहीं हैं। उसको अगर कप्तानगंज में कर दिया जाय तो काफी सुविधा होगी। आज हमें, चाहे हम किसी दल के भी हों, यह देखना चाहिये कि हमारा देश उत्थान की तरफ जाय, तरक्की की तरफ जाय और दूसरे देशों के मुकाबले में हमें अपने देश को मजबूत बनाना है। दूसरे देशों के मुकाबले में हमें उसे आदर्श बनाना है और ऐसा बनाना है कि कोई भी मुल्क उसकी तरफ आंख उठा कर न देख सके।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कई दिन के पश्चात् मुझे अवसर मिला। हमारे देश में जब से राष्ट्रीय सरकार आयी है बहुत कुछ उन्नति हुई है और जैसी व्यवस्था हमारी पहले थी उसके मुकाबले में बहुत सुन्दर व्यवस्था हो गयी है। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। आज के इस अनुदान पर कई आक्षेप किये गये हैं। श्री गेंदा सिंह जी का यह आक्षेप सुनकर कि यह बजट मालदारों को मालदार और ग़रीबों को और गरीब बनाने वाला है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारा यह बजट ८१ करोड़ का है और २१ करोड़ पूंजी से व्यय होगा इस प्रकार से १०१ करोड़ रुपया ख़र्च किया जायगा जिसमें से ६० करोड़ रुपया ऐसा है जो कि नहरों, सड़क और शिक्षा आदि पर ख़र्च किया जायगा। सिंचाई में अगर तरक्की होगी, सड़कें सुधरेंगी या बिजली बनेगी तो क्या उससे ग़रीबों को कोई लाभ न होगा। क्या इससे किसानों को फायदा नहीं होगा? क्या इससे अमीरों को फायदा होगा? तो इस तरह से इनके ये तमाम जो आक्षेप हैं उनमें कोई तत्व नहीं है। उन्होंने सरकारी नौकरियों के मुताल्लिक़ यह कहा कि बड़े-बड़े अफसरों की तनख्वाहें बढ़ाई गयी हैं जब कि क्लर्कों की तनख्वाह नहीं बढ़ायी गयी है। जब हम इस बजट के अन्दर देखते हैं तो असेम्बली के क्लर्क और पिअन्स का गत वर्ष १ लाख ७५ हजार खर्च था लेकिन इस साल १ लाख ९६ हजार है। इसी तरह से जब हम यहां के प्रशासन के क्लर्क आदि के वेतन को देखते हैं तो यह देखते हैं कि पहले ४१ लाख व्यय था लेकिन अब ४२ लाख है। अब अगर हम जिले के शासन में जायं जो क्लर्क्स और पिअन्स वहां हैं उनके ऊपर पहले ६६ लाख ख़र्च था लेकिन इस साल ७० लाख है। ये आंकड़े जो मैं बता रहा हूं ये बजट के अन्दर हैं और इसके देखने से मालूम होता है कि क्लर्क्स और पिअन्स की तनख्वाहें बढ़ायी गयी हैं। और जो खर्चा पिछले साल था वही क़रीब-क़रीब इस साल भी है। गो कि देखने से मालूम होता है कि पिछले साल की अपेक्षा अब के बजट में कमी हुई है। गो इस हिसाब से फर्क यह है कि कुछ खर्चा जो पिछले साल इस मद में प्रशासन में डाल दिया गया था वह अब दूसरी मद में डाल दिया गया है तो क़रीब-क़रीब बजट पहिला सा ही है। हम देखते हैं कि क्लर्क्स और पिअन्स की तनख्वाह में कमी नहीं हुई है वरन् बढ़ौत्री हुई है। जब ये आंकड़े हैं तो कैसे कह सकते हैं कि इस बजट में गरीबों का ध्यान नहीं रखा गया है? मालदारों का ध्यान रक्खा गया है। मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह और सब लोगों को मालूम है कि इस जमाने में जो कि मध्यवर्ती थे या मालदार थे वे अब एक तरह से रहे ही नहीं और उनकी आर्थिक स्थिति गिर गयी है, जब कि साधारण व्यक्ति के आर्थिक स्तर और रहने के तरीके में काफी ऊंचापन आ गया है।

दूसरा आक्षेप यह किया गया है कि यह सरकार विकेन्द्रीयकरण के लिये तो कहती है परन्तु विकेन्द्रीयकरण है कहां? यह सरकार तो केन्द्रीयकरण के पक्ष में है। यहां हमारे विरोधी पक्ष के कुंवर बालेन्दुशाह और श्री मैठाणी जी ने कहा कि जिस स्तर पर जो अफसर लोग हैं वे जनता से सहयोग नहीं कर रहे हैं। मगर मैं उन्हीं से यह पूछना चाहता हूं कि ये जो तमाम ग्राम सभायें बनायी गई हैं जो गांव के विकास का कार्य करती हैं आख़िर यह विकेन्द्रीयकरण नहीं है तो क्या है? म्युनिसिपैलिटीज का कानून पहले आया था। म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज के कानून में जो पावर इनकी बढ़ाई गई है वह विकेन्द्रीयकरण नहीं है तो और क्या है? तो इस तरह से जो नीचे की हमारी संस्थायें हैं उनके शासन में उनको ज्यादा

[श्री रतन लाल जैन]

शक्ति देना यह विकेन्द्रीयकरण ही है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कानून पेश है। वहां भी यह समस्या है कि किस तरह से उसकी शक्ति बढ़ाई जाय जिससे जिले का प्रशासन ठीक हो और एक तरह से जिले के कामों में वे ज्यादा हिस्सा ले सकें।

अब रहा जिले का सहयोग। जिनको जिले का अनुभव है वे जानते हैं कि जिले के कलेक्टर लोग आजकल जनता से पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। पहले के जमाने में कलेक्टर अलग थे और जनता बिलकुल अलग थी। श्रमदान जो हमारे प्रदेश में हुआ है उस श्रमदान में जिस तरह से जनता ने उत्साह दिखलाया है और जिस तरह से उसने सड़कें बनायी हैं, रास्तों को पक्का किया है, उसमें कितना बड़ा सहयोग सरकारी अफसरों का है। मैं अपने जिले की बात जानता हूं कि वहां के कलेक्टर और अफसर लोग एक ऐसी भावना को लेकर जाते हैं और जनता से मिल कर काम करते हैं तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि वे सहयोग नहीं करते हैं। हमने यह देखा है कि बिजनौर के भंगी क्वार्टर में कलेक्टर साहब के एक हाथ में झाड़ू थी तो दूसरे में फावड़ा था और वे जनता से मिल कर काम कर रहे थे। तो फिर यह सहयोग नहीं है तो इसको और क्या कह सकते हैं? अब मुझे दो एक सुझाव भी देने हैं। जो मुझे अनुभव पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में हुआ है उसके देखने से मुझे एक बात मालूम होती है कि जहां तक हमारा ऊपर का लखनऊ का प्रशासन है वह तो संतोषजनक है यहां पर भ्रष्टाचार नहीं है और क़रीब-क़रीब ठीक हालत है लेकिन एक बात है किसी मामले के पूरे होने में बड़ी देर लगती है। मिसलों के निकलने में बहुत देर लगती है। बजट में जो पास हो जाता है उसका रुपया चीफ़ इंजीनियर पी० डब्ल्यू० डी० या चीफ इंजीनियर इर्रीगेशन तक सुपुर्द होने में बड़ी देर लगती है। तीन चार महीना तक लग जाना तो मामूली बात है, ६ महीने लग जाते हैं और कभी कभी तो ९ महीने तक लग जाते हैं। इससे होता यह है कि कभी-कभी काम बहुत जल्दी में पूरा करना होता है और इसलिये उसमें बेजा खर्च करना पड़ जाता है। यह बात खास तौर से पब्लिक एकाउन्ट कमेटी की मीटिंग में ध्यान में लायी गयी है और इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह स्पष्ट आदेश होने चाहिये कि जिस समय बजट पास हो उसके एक महीने के अन्दर जो उच्चाधिकारी हैं उनके पास रुपया पहुंच जाय और तीन महीने से तो अधिक किसी भी दशा में नहीं लगना चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय गेंदा सिंह जी के कटौती का प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, किसी भी प्रदेश का सामान्य प्रशासन समस्त शासकीय शाखाओं का विद्युत केन्द्र होता है और इसी केन्द्र से चलने वाली शिराओं द्वारा सारे प्रदेश का शासन व्यवस्थित होता है। इसलिये जब इस दृष्टिकोण से हम एक पिछड़े हुये प्रदेश के प्रजातांत्रिक आधार पर स्थापित सामान्य प्रशासन की स्थिति को देखते हैं, तो बहुत से मामलों में हम उसको अधूरा पाते हैं। उदाहरण के लिये अभी हमारी पुरानी प्रणाली प्रचलित है और बजट का वर्ष अब भी पहली अप्रैल यानी 'अप्रैल फूल डे' से आरम्भ होता है। वही अंग्रेजों की प्रणाली कि गरमी के महीनों मई, और जून में इंग्लैंड हो आयें, अभी तक चल रही है और हमारा आर्थिक साल पहली अप्रैल से चलता है जब कि आवश्यकता इस बात की थी कि बरसात के मौसम के बाद जब हमारे यहां व्यवसाय का मौसम शुरू होता है, उस समय हमारा आर्थिक वर्ष, नया वर्ष शुरू होना चाहिये था। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के समान ऐग्रीकल्चरल मैनुअल, एजूकेशनल मैनुअल, इंडस्ट्रियल मैनुअल इन सब में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ट्रांसपोर्ट मैनुअल में कई मैनुअल अभी बनने बाकी हैं। अभी जैन साहब ने कहा कि नौ-नौ महीने तक लोगों को ग्रांट का रुपया नहीं पहुंचता और विकास कार्यों के लिये रुपया समय से न मिलने के कारण काम में नुकसान होता है। कभी कभी तो देखा गया है कि मार्च के महीने तक अनुदान जिले में पहुंचता है। इसके लिये मैनुअल जितने हैं खासकर बजट मैनुअल, उन सब में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

दूसरी बात है वेशभूषा की। श्रीमन्, हमने कितने ही सरकुलर देखे. अभी हाल ही में पंडित जवाहर लाल जी का सर्कुलर पढ़ा कि हमारे अधिकारियों की वेशभूषा इस प्रकार होनी चाहिये कि वे जनता तक पहुंच सकें। मैं नहीं कहता कि सब को पैंट, कोट या नकटाई पहनना छोड़ देना चाहिये और इस वेशभूषा के सम्बन्ध में कोई जबरदस्ती की जाय मैं इसका पक्षपाती नहीं हूं लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि जब कोई अधिकारी इस तरह किसानों के मध्य में जाता है तो उसका पुराना डर जनता के हृदय में बना रहता है। तो हमारे अधिकारियों की वेशभूषा जनता के दृष्टिकोण के अनुरूप होनी चाहिये और उनको उनके दृष्टिकोण के अनुसार अपने आचार और वेशभूषा को बलदना चाहिये। आज कोई सर्कुलर मैं समझता हूं कि वेशभूषा के सम्बन्ध में इस प्रकार का नहीं है कि जनता का विकास कार्य में सहयोग प्राप्त करने के लिये अधिकारियों को अपने आचार विचार में और अपने वेशभूषा में आमूल परिवर्तन करना चाहिये। आज सब डिवीजन, एक तहसील से लेकर यू० पी० के सबसे ऊंचे आफीसर तक को देखिये, वेशभूषा का वही तरीका है। कोई बदलाव उसमें नहीं हुआ है और इस माने में सामान्य प्रशासन जनता का समर्थन प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। यही दिक्कत भाषा की है। अगर हम जनता की भाषा को शुद्ध हिन्दी ही करते हैं तो भी बड़ी मुश्किल है। हम कोई ऐसा आधार नहीं निकाल पा रहे हैं कि जिससे हम जनता की भाषा के अनुसार अपने कार्यक्रम को चला सकें।

स्थायित्व का भी प्रश्न है। आज जो कर्मचारी वर्ग एक्जीक्यूटिव फंक्शन्स को कार्य रूप में परिणित कर रहा है उसे कार्य करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे खुशी है कि कुछ टेम्पोरेरी कर्मचारियों को परमानेन्ट करने की ओर ध्यान दिया गया है। इसे और तीव्र करने की आवश्यकता है कि जितने भी टेम्पोरेरी कर्मचारी हों उन्हें परमानेन्ट किया जाय।

जहां तक, सेक्रेटेरियट का प्रश्न है मैं कुछ बातें सरकार के सामने रखना चाहता हूं। पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि आज हमारे सेक्रेटेरियट और डिपार्टमेंट्स में क्या फर्क है, इसे जानना बड़ा मुश्किल हो गया है। दोनों के बीच में कोई 'डिमारकेशन' लाइन नहीं है। यह सही है कि 'कागजी' विकेन्द्रीयकरण किया जाता है लेकिन विकेन्द्रीयकरण की पहचान क्या है, इसकी पहचान यह है कि सब फैसलों को ऊपर के स्तर पर ही करने की नौबत न आये बल्कि जितने भी आखिरी फैसले हों उनमें से कुछ जिले और सबडिवीजन की लेविल पर हो जायं। लेकिन आज-कल सब फैसले ऊपर प्रान्त के स्तर पर ही होते हैं। यह एक बहुत बड़ी कमी है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर स्पष्टीकरण करें।

इसके अतिरिक्त आज कल 'एफीशियन्सी आडिट' करने का कोई प्रबन्ध नहीं है मैं जानना चाहूंगा कि क्या कभी किन्हीं माननीय मंत्री जी ने 'सरप्राइज विजिट' किसी अपने कार्यालय का किया है, यह जानने के लिये कि किस फाइल में फैसला करने में कितने दिन लगे और न रिटायरमेंट का कोई नियम है। कभी तो किसी का रिटायरमेंट समय से पहले हो गया और किसी का समय बीतने पर भी बढ़ता जा रहा है।

जिलों की सीमाओं का प्रश्न भी हमारे सामने है। जैसा कि माननीय रामकुमार शास्त्री जी ने कहा कि उनके यहां ३ बड़ी-बड़ी तहसीलें हैं और वहां जिला अधिकारी दूरी के कारण पहुंच ही नहीं पाते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में एक कमेटी (प्रान्तीय कमीशन) बैठाना चाहिये और उसके द्वारा जिलों की सीमायें शासकीय आवश्यकताओं और जनता के सहूलियत के अनुसार निर्धारित की जायं। दूसरी तरफ सब-डिवीजन्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं एक जिला जानता हूं जहां सब डिवीजनल आफिसर इतनी दूर हैं कि जहां जनता पहुंच ही नहीं पाती है। पंचवर्षीय योजना में भी इस बात को कहा गया है कि सब-डिवीजन्स बढ़ाये जायं। तीसरे जिला मैजिस्ट्रेटों के पद को एबालिश करने की जरूरत है। सब भाई जानते होंगे कि हर चीज के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सर्वाधिकारी है, इससे दिक्कत बढ़ती जा रही है। साथ

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

ही साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि सरकारी अधिकारियों को उच्च अधिकारियों के स्वागतार्थ रहने की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये। इससे जो रोजमर्रा के काम होते हैं उससे इसमें बड़ी बाधा पड़ती है क्योंकि उन्हें अटेन्डेन्स के लिये और रेसेप्शन के लिये जाना पड़ता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं कि आज प्रशासन पर विवाद ५ बजे बन्द हो जाय और कल सवा बजे तक जारी रहे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जितना समय इसमें अधिक लेंगे वह दूसरे में कम हो जायगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—कल टाइम बढ़ा लेंगे।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जैसा आपको पसन्द हो।

श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो अनुदान उपस्थित है मैं उसके समर्थन के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूं, लेकिन अन्धकार में रहकर मैं उसका समर्थन नहीं करना चाहता हूं। इसमें सन्देह नहीं है कि विभाजन के बाद मुल्क का निर्माण, मुल्क की व्यवस्था, मुल्क की रचना और मुल्क में शान्ति स्थापित करने में जो सहयोग हमारे यहां की नौकरशाही ने दिया है, उसको इतिहास कभी नहीं भुला सकता है। लेकिन उसके बाद मुल्क के अन्दर जो निर्माण और रचना के कार्य आरम्भ हुये, उसमें जो योग आज नौकरशाही कागजोरूप से दे रही है वह मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। मैं उन लोगों में पैदा हुआ हूं जो दूर देहात में रहते हैं और दूर देहात में मैं २०, २५ वर्ष से जनता की सेवा करता आ रहा हूं। मेरा यह दृढ़ अनुमान है कि जो कुछ तकलीफें आज देहातों में हो रही है वह आज से पहले कभी नहीं हुआ करती थी। और वह यह है कि जिस राज्य को हम कल्याणकारी राज्य बनाने जा रहे हैं, जिसके लिये हमने सब कुछ त्याग किया है, उसका स्वरूप भले ही आप हमारे भाई बहन कागजों में कल्याणकारी देख लें, लेकिन वास्तव में उसका स्वरूप आज गांवों में नहीं है। मैंने देखा है कि आज नौकरशाही इतनी गैरजिम्मेदार हो गयी है कि उसका आज काम केवल अपने अफसरों और मंत्रिमण्डल को खुश करना है। उसकी वास्तविक ड्यूटी जो होनी चाहिये उससे वह बिलकुल रहित है। मैं अपने ही जिले में देखता हूं कि वहां तीन वर्ष से लगातार फसलें मारी जा रही हैं और वहां के लोग अन्न की कमी से पीड़ित हैं। मैंने कई बार सरकार को लिखा और मैंने भरसक इस बात का प्रयत्न किया कि ऐसे वक्त में हम जनता का साथ दे सकें और उनके दुख सुख में रह कर वहां के लोगों की वास्तविक सेवा कर सकें। जो वहां लोक हित का कार्य करने वाले लोग हैं उनमें से भी कई साथियों ने दिलचस्पी लेकर के मेरा साथ दिया। लेकिन वहां के जो कर्मचारी हैं वह ऐसे निकम्मे हैं कि उन बीहड़ स्थानों तक जाने में खुश नहीं होते हैं जहां ८०-८०, १००-१०० मील तक न रेलवे लाइन है, और न मोटर बसेज चलती हैं, न डाक बंगले हैं, न रहने की कोई सुविधायें हैं और न आजकल के भौतिक साधन हैं। इसलिए झंझटों में न पड़ कर के वहां जाने में टालमटोल किया करते हैं और जो उनकी असली ड्यूटी है उसको न कर के झूठी रिपोर्टें दे देते हैं।

हमारे यहां लैंसडाउन तहसील का एक हिस्सा है जहां एक आना भी झंगोरा धान नहीं हुआ, लेकिन वहां अधिकारियों द्वारा १२ आने की रिपोर्ट की गयी है ताकि उनको कागजातों में कोई कमी बेशी न करनी पड़े और कोई दिक्कत न उठानी पड़े। इस तरह जनता की वास्तविक सेवा न करके जनता को धोखा दिया जाता है और सरकार को जनता की नजर से गिरा कर धोखे में रखा जाता है। आज क्या कारण है कि देश के निर्माण में सरकार का करोड़ों रुपया खर्च

हो रहा है लेकिन फिर भी जनता खुश नहीं है । आखिर इसका कारण क्या है ? मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैं झूठ मूठ में सरकार की प्रशंसा नहीं करना चाहता हूं, मैं वह वास्तविकता बताना चाहता हूं जो आज मुल्क में बीत रही है । मैं कहता हूं कि आज मुल्क का ग़रीब तबका बहुत दुखी है, उसका सुनने वाला आज इस सरकार में कोई नहीं है । कितने अच्छे दृष्टिकोण से सरकार ने पंचवर्षीय योजना और पंचायत राज बनाया था कि इससे वास्तविक में राम राज्य की रचना हो सकती थी, लेकिन जिन अफसरों को यह काम सौंपा गया है वे बड़े काम चोर हैं। जब तक ऐसे लोगों के सुपुर्द यह काम नहीं दिया जायगा जिनके दिल में मुल्क का दर्द है, जिनके दिल में मुल्क की मुहब्बत है, तब तक मुल्क का वास्तविक उद्धार नहीं हो सकता है । यह तो त्याग और बलिदान की भावना वाले ही व्यक्ति कर सकते हैं और सरकार का फर्ज हो जाता है कि ऐसे लोगों को मुल्क में पैदा करे। इसलिये अगर सही ऐडमिनिस्ट्रेशन को हिन्दुस्तान में और इस प्रदेश में कायम करना है तो इस सदन को इन अफसरों के रवैये को जरूर बदलना होगा ताकि वह कामचोर निकम्मे न बनने पावें। मैंने पहले ही कहा कि गढ़वाल में एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, आफिसर को छोड़कर जो अधिकांश आफिसर्स हैं वे निकम्मे और कामचोर हैं जिसकी वजह से वहां की जनता बहुत दुःखी व परेशान है। मैं बहुत अदब के साथ अपने माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस निकम्मे स्टाफ को वहां से बदल दें। इसके अलावा मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हू कि इस मुल्क को गांधी जी का आशिर्वाद है, जवाहर लाल का प्यार है और पन्त जी का आदर है परन्तु यहां की जनता बहुत दुखी है और मैं फिर उस जनता की तरफ से यह आवाहन आप के सामने रखता हू कि आप अपने कानों को बहरा न करें।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)––श्रीमन्, आज हमारे सरकारी कर्मचारियों की कार्य करने की क्षमता इतनी कम होती जा रही है जिसके कारण हमारे राज्य के कार्यों में बड़ी गड़बड़ी होती जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं आपकी मारफ़त इस सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि सन् १९४८ में ३०० रुपये सिक्योरिटी के एक पक्का कुआं बनाने के लिये मैंने जमा किये थे और कम से कम १०, १२ रुपये रजिस्टर्ड और ऐकानालेजमेंट ड्यू पत्रों में भेजने में खर्च किये। उसके बाद भी वह रुपया मुझे वापस नहीं मिला। फिर जब मैंने मंत्री जी को दोबारा लिखा तो सन् ५४ में मुझे यह जवाब मिला कि वह रुपया प्लानिंग डिपार्टमेंट में रखा गया है। तो जब इस तरह का व्यवहार जो असेम्बली के सदस्य हैं उनके साथ होता है तो फिर जनता के एक ऐसे मामूली आदमी के साथ कैसा बर्ताव होता होगा जिसके पास न तो बीसों रुपये डाक के टिकट लगाने के लिए हैं और जो न आसानी से सेक्रेटेरियट में घुस पाता है और न माननीय मंत्रियों के पास पहुंच पाता है ? श्रीमन्, आपके द्वारा मैं यह बात कहना चाहता हूं कि मामूली सी बात है सरकारी सचिवालय के अन्दर लाल फीता इतना लम्बा हो गया है कि जिसका अन्त नजर में नहीं आता। पेंशनों के क्लेम्स को ले लीजिये। सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होता है तो किसको नहीं मालूम होता कि अमुक कर्मचारी कब रिटायर होगा और उसके पेंशन के क्लेम्स पहले से बन जाने चाहिये। लेकिन ५, ६ साल लग जाते हैं तब जाकर उनके पेंशन के क्लेम्स बन पाते हैं और आज हमारे वे सरकारी कर्मचारी जिनको ४–५ सौ रुपये पेंशन के मिलते वे तकलीफ और जरूरत में मर जाते हैं और उसके बाद उनके वारिसों को पेंशन मिलती है। यह हालत हो गयी है। इसके अलावा, श्रीमन्, अंग्रेजों के जमाने में सचिवालय के कर्मचारियों के लिये क़ायदा था कि जब तक जिले के ऐडमिनिस्ट्रेशन का उनको पूरा तजुर्बा न हो तब तक वे सचिवालय के अन्दर सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी के पद पर नहीं रखे जाते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि दो-दो और तीन-तीन साल के डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन के तजुर्बे के आदमी सात-सात, आठ-आठ साल से इस सचिवालय के अन्दर बैठे हुये हैं। मैं उनकी ईमानदारी पर शुबहा नहीं करता, लेकिन उनकी अपनी लाईकिंग और डिसलाईकिंग बन जाती है और जिस पर उनकी लाईकिंग हो जाती है उसकी तरक्की भी होती है और उसको अच्छी पोस्टिंग

[श्री भगवान सहाय]

भी मिलती है लेकिन वह कर्मचारी जो दुर्भाग्य से उनकी डिसलाइकिंग का शिकार बन जाता है उसको न प्रोमोशन मिलता है, न अच्छी पोस्टिंग मिलती है। इसके अलावा मैं समझता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में यह भी होता था कि दो तीन साल से ज्यादा कोई आदमी सचिवालय में नहीं रखा जाता था। मेरे ख्याल में वह नीति सही थी और माननीय पंत जी का ध्यान इस ओर खास तौर से दिलाना चाहता हूं। तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो हमने नये सर्विस रूल्स बनाये हैं जिनके अन्दर हमने यह रखा है कि हम सरकारी कर्मचारियों उनको सीनियारिटी की बेसिस पर नहीं बल्कि उनकी मेरिट की बेसिस पर प्रोमोशन देंगे। तो इसमें मुझे यह कहना है कि यह रूल्स तो अच्छा हो सकता है परन्तु उसको लागू करने वाले आदमी किसी ईमानदारी से लागू करेंगे, कहां तक वे अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग से ऊपर उठ कर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे इसमें मुझे शुबहा है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से खासतौर से प्रार्थना करूंगा कि जैसे आजकल होता है कि अगर किसी को सुपरसीड करना हुआ तो एक बेग सा रिमार्क लिख दिया, तो यह नहीं होना चाहिये। करेक्टर रोल्स में कुछ होना चाहिये जिसमें लिखें कि यह आदमी कितना ईमानदार है, कितना योग्य है, इसकी पहले माली हैसियत क्या थी और अब क्या है। कौन आदमी को सुपरसीड किया है तो उसके क्या कारण हैं, किसी को प्रमोट किया है तो उसके क्या कारण हैं। यह सब होने चाहिये ताकि दुरुपयोग न हो सके।

इसके अलावा हमारी जो इनडिसेशन की पालिसी है उससे बड़ा नुकसान होता है। मैं यह कहना चाहता कि सन् १९४८ ई० से इस सेक्रेटेरियट के रिआर्गेनाइजेशन का सवाल सरकार के सामने विचाराधीन है लेकिन इन ६ सालों में भी हम तय नहीं कर पाये हैं कि हमें सचिवालय के रिआर्गेनाइजेशन में क्या करना है। इसी तरह से अपोइंटमेंट्स में भी होता है कि रिटायरमेंट के वक्त तक हम कुछ नहीं सोच पाते कि किसको करना है किसको नहीं। इससे लोगों में भाग दौड़ शुरू हो जाती है, जिससे बड़ा नैतिक नुकसान होता है।

इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य के ५१ जिलों में से ३७ जिले ऐसे हैं जिनमें गबन है। जिन जिलों में ५०,००० से ऊपर का गबन है उनमें बरेली और मेरठ इत्यादि हैं। बरेली में १,६४,००० रुपये का गबन है। ६ आइटम्स हैं जिनमें गबन है। लेकिन जिला कर्मचारियों को क्या सजा मिली? अगर हम गलत आदमी को सजा नहीं देंगे और सच्चे आदमी को इनाम नहीं देंगे तो हम कर्मचारियों के सामने क्या आदर्श रखेंगे? जिससे वह सही काम करें और उनको ऐसा करने का प्रोत्साहन मिले। इसी तरीके से मेरठ जिले के अन्दर ५४,००० रुपये का गबन है। यह हमारे जिलों के एडमिनिस्ट्रेशन की ऐफीशियेन्सी की हालत हो गई है कि ५१ जिलों में ३७ में सरकारी रुपये का गबन है। हम यह भी देखते हैं कि हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स की तरफ से न तो लोगों को सजा मिली है और न उनका चालान हुआ है बल्कि मामूली आदमी जिनको संबंधित कहा जाता है, उनको सजा दी गयी है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चन्द मिनटों में मुझे यह शब्द कहने हैं कि जिस खूबी के साथ इस बजट को हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है और कर्मचारियों ने सपोर्ट किया है। इसके लिये मैं तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं और यह रस्मी तरह से नहीं।

मंहगाई आने की वजह से किसान तबका तो अच्छा हो गया है, लेकिन सरकारी कर्मचारी घाटे में पड़ गये। उनके सामने आज आर्थिक सवाल पैदा हो गया है और इस हाउस के अन्दर जो बौछारें उनके ऊपर चलायी जाती हैं उसको भी वह सहते हैं। सिर्फ मुखालिफ पार्टी के ही नहीं बल्कि अपने साथी भी बौछारें छोड़ते हैं। इसके बावजूद भी इतना अच्छा बजट पेश किया है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया है इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। रीजन्स दूंगा, जुबानी जमा खर्च नहीं। अभी हमारे सोशलिस्ट साथियों ने उनको

क्रिटिसाइज किया । उनकी शिकायत तो समझ में आती है कि सही या गलत सरकार को बदनाम करो और आइन्दा हुकूमत हासिल करो । लेकिन अपने साथी भी उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं । यह बड़ी भारी गलतफहमी है । इसको मैं आपको बतलाऊंगा कि यह क्यों है ? किन्तु पहले मैं अपने सोशलिस्ट भाइयों से अर्ज करता हूं कि जब स्वराज्य नहीं हुआ था और २६ जनवरी को हम कहा करते थे कि अंग्रेजों ने हमें गरीब किया, मूर्ख बनाया और हमारे चरित्र को गिराया किन्तु अब हमारी गुलामी गयी, हमें आजादी मिल गयी । लेकिन काम करने का मौका मिलते ही, एक दिन में चरित्र नहीं बनता । उसमें तो समय लगा करता है । आप सरकारी कर्मचारियों की शिकायत करते हैं । पहले आप शीशे में अपना चेहरा देखें । क्या आपकी पार्टी में सब लोग अच्छे हैं या जो आपकी पार्टी में लोग हैं उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई नहीं होती है? क्या आपकी पार्टी के छोड़कर, लोग दूसरी पार्टी में नहीं गये हैं । जैसे आपकी पार्टी

(इस समय ४ बज कर २ मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

में अच्छे आदमी हैं और बुरे आदमी भी हैं ठीक उसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों में भी अच्छे आदमी भी हैं और बुरे आदमी भी हैं । तो जहां उनकी निन्दा करते हैं वहां उनकी तारीफ भी तो कीजिये । मैं कई सरकारी कर्मचारियों को जानता हूं जिन्होंने ऐसे-ऐसे काम किये हैं कि अगर उस जमाने में मालूम हो जाता कि इसने पोलिटिकल सफरर की मदद की है तो वह नौकरी से बरखास्त हो जाते । तो जहां सरकारी कर्मचारी बुरे हैं वहां अच्छे भी हैं । मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे । मैं यह अर्ज कर रहा था माननीय बालेन्दुशाह जी जरा टोक देते हैं ताकि स्पीच खराब हो जाय लेकिन वह नहीं होगा । हुजूरवाला मैंने ऐसा बहुत देखा है तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि एक नवजवान जब देखता है कि गरीबी नहीं गयी और यह देखता है कि हमारे माननीय पंत जी के हाथ में हुकूमत आयी फिर भी गरीबी नहीं गयी, उसके सामने ये भाई जाकर प्रचार करते हैं तो वह समझता है कि भ्रष्टाचार को तत्काल गवर्नमेंट दूर कर सकती है । लेकिन हुजूरवाला मैं यह अर्ज करूं कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है पर सब कुछ नहीं कर सकती । सरपंच और पंच तो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं । पब्लिक ने उन्हें चुना है । वे आज चुने गये और कल से शिकायत होने लगी । यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि एक दिन में कैरेक्टर नहीं बन सकता । कैरेक्टर बनने में टाइम लगता है । लेकिन इतना ही कह कर मैं बैठना नहीं चाहता । मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान इनकी शिकायतों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि क्या दरअसल वे शिकायतें जायज हैं ? मेरे ख्याल में यह शिकायतें उनके अपने प्रचार के लिये हैं ।

मैं अर्ज करता हूं कि एवरेस्ट की चोटी सारी दुनिया में चमकती है । उसे दुनियां देखने आती है । एवरेस्ट दुनियां में सबसे ऊंची चोटी है । उसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश के महान् विभूति हमारे पंत जी जोकि हमारे सामने विद्यमान हैं जिन्हें पंडित्य-वक्तृत्व कला लेखन कला, सद्बुद्धि, सूझ बूझ सब कुछ भगवान् ने दिया है फिर भी आपकी शिकायत क्यों होती है? क्यों आपके शासन की शिकायत की जाती है, इसका कारण केवल प्रचार है, और कुछ नहीं । इसलिये थोड़ी सी मेहरबानी करके प्रचार की तरफ ध्यान दीजिए । १५ लाख एक हजार रुपये का सूचना विभाग का बजट है । यह बहुत ही कम है । अगर आप चाहें तो सरकारी कर्मचारी आनरेरी काम कर सकते हैं । पेंशन होने के बाद अगर आप चाहें तो वह मुफ्त आपका काम कर सकते हैं । आप उस पैसे को बचाइये और दूसरे काम में लाइये । लेकिन जरा प्रचार की तरफ भी ध्यान दीजिये । आप देखें कि अमेरिका और रूस वगैरह में कितनी किताबें छपवाकर भारतवर्ष में मुफ्त बांटी जाती हैं, तो आप अपना प्रचार अपने प्रांत में भी नहीं करेंगे, कृपा करके व्याख्यानदाताओं को इमदाद कीजिये अपने भी अखबार छपवा कर लोगों में बटवाइये । तो जनता की गलत फहमी दूर हो सकती है ।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है, मैं समझता हूं कि इसमें जो अच्छाइयां हैं, जो खूबियां हैं उन पर कम ध्यान दिया जा रहा है और छोटी-छोटी बातों पर बहस की जा रही है। बहुत सी बातें तो ऐसी हैं, जो कि इस अनुदान से असल में सम्बन्ध भी नहीं रखतीं हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो अनुदान पेश किया गया है हम अगर उसको गौर से देखें तो हमको यह मालूम होता है कि किफायत की तरफ सरकार ने इसमें काफी ध्यान दिया है। एक शिकायत हमारे माननीय गेंदा सिंह जी ने यह की कि मिनिस्टरों के खर्चे में कोई भी कमी नहीं की गयी, लेकिन मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने जो मिनिस्टरों की मद को देखा तो उसमें ३३ लाख की एक रकम और ३० लाख की दूसरी रकम कम की गयी है। उसका उन्होंने जरा भी जिक्र नहीं किया। जहां तक उनके वेतन का सवाल है उसके लिए हमारे और माननीय सदस्य बतला चुके हैं कि वह इतनी कम है कि उस पर बराबर जोर देना बार-बार उसी बात को कहना उचित नहीं है। इसके बाद गवर्नर महोदय के खर्चे पर भी उन्होंने बात कही थी। लेकिन उसमें भी मैं १८ लाख की कमी पाता हूं। इस तौर पर जहां-जहां कमी की गुंजायश थी वहां पर कमी की गयी है और मेरी समझ में इस मद में यह कहना कि इसमें और कमी करनी चाहिये, उचित नहीं है। अगर हम उसमें और कमी करते हैं तो नतीजा यह होता है कि हम अच्छी तरह उस काम को नहीं कर सकते जिस काम को करना हमारा फर्ज है।

माननीय गेंदा सिंह जी ने यह भी कहा था कि यहां पर कमिश्नर्स बहुत ज्यादा मुकर्रर कर दिये गये हैं, यह तो हमारे माननीय सदस्य उनको बतला चुके कि वास्तव में कम किये गये हैं। जहां तक डेवलपमेंट कमिश्नर या और कमिश्नरों की बात है अगर हम को कमिश्नर के नाम से चिढ़ है तो उनका नाम बदला जा सकता है। लेकिन क्या वह इस बात को उचित समझेंगे कि कोई विभाग, जो उन्नति का विभाग हो उसकी देखरेख के लिए उसका कोई हेड न मुकर्रर किया जाय? यह कहां तक उचित बात होगी? क्या वह यह चाहते हैं कि एक योग्य व्यक्ति जो कि काफी योग्यता रखता हो वह वहां पर हेड बनाया जाय और उसको अपनी योग्यता के अनुसार तनख्वाह न दी जाय? यह कहां तक उचित होगा? मैं समझता हूं कि जो लोग अपनी योग्यता के अनुसार हक रखते हैं उनको अधिक तनख्वाह मिले अगर उनकी तनख्वाह कम कर दी जाय तो हमें कम योग्यता वाले लोग मिलेंगे। इसके बाद वह यह शिकायत करेंगे कि कम योग्यता के लोग रख दिये जाते हैं, अधिक योग्यता के लोग क्यों नहीं रखे जाते हैं जो उसका काम अच्छी तरह से कर सकें। यह तो आलोचना करने की बात होती है। कोई भी बात की जाय आप जरूर आलोचना करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अपने नीचे के तबके के लोगों की बात कही है उसी तरीके से आपको इस बात पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम अच्छी योग्यता के लोगों को चाहते हैं तो उनको हमें काफी तनख्वाहें देनी चाहियें। उसमें कमी करने के मानी यह होते हैं कि हम ठीक काम नहीं करना चाहते हैं, खराब काम चाहते हैं।

चपरासियों के लिए जो उन्होंने बात कही उसके लिए मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि वह असल में एक किफायतशारी की चीज थी। उसमें अगर किफायतशारी हुयी तो उसमें शिकायत नहीं होनी चाहिये। हमें एक डायरेक्टर आफ इनफारमेशन की जरूरत थी। लेकिन उस काम को करने के लिए सेक्रेटेरियट में एक आदमी था वही काम कर रहा है। तो जहां हम किसी काम को कम खर्च में कर सकते हैं तो हम को इसमें दिलचस्पी नहीं है कि खामख्वाह ज्यादा खर्चा करें। हम को एक आदमी मिल गया। हम उससे काम ले रहे हैं। जहां तक क्लार्कों और चपरासियों की बात है, यह बोर्ड आफ रेवेन्यू और लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर्स के यहां हमने बहुतों के लिए प्राविजन किया है। उनको हम मुकर्रर करने जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि छोटे लोगों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है या हम उनके लिये कोई बात करना नहीं चाहते।

मैं सेक्रेटेरियट के एक जरूरी मामले की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फाइनेन्स डिपार्टमेंट में ६ जगहों को १-४-५२ से परमानेन्ट करने के लिये ऐलान किया गया था और उसके बाद डिपार्टमेंट के लोगों ने इम्तहान भी दिया और वे पास भी हुए। बावजूद इसके कि सन् ५२-५३ में इसकी व्यवस्था की गयी थी, लेकिन अभी तक वे जगहें खाली पड़ी हुयी हैं और उनको परमानेन्ट नहीं किया गया जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह ऐलान कर दिया है कि वे ६ उसमें योग्य हैं फिर कोई वजह नहीं मालूम होती कि वे ६ आदमी क्यों न मुकर्रर किये जाय।

श्री व्रज विहारी मिश्र---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चन्द भाषण प्रस्तुत विषय पर दिये गये हैं मैंने उन सबको ध्यान से सुना। माननीय गेंदा सिंह जी ने विशेष तौर पर यह शिकायत की कि इस बजट से गरीब ज्यादा गरीब और अमीर ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। बजट के जनरल डिस्कशन के समय विरोधी पक्ष के नेता ने जो दलील दी थी उन्होंने उसी को दोहराया है, लेकिन मेरी समझ में उनकी यह बात आयी नहीं। सैकड़ों मील नहरें बन रही हैं, विद्युत् योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है, रेहन्द स्कीम पर ४ करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं तो क्या इससे अमीर हों और गरीब और गरीब होंगे? यह दलील मेरी समझ में नहीं आती। इससे मालूम होता है कि सिर्फ विरोध के लिये बात कही जाती है। मैं माननीय गेंदा सिंह जी से जैसे भाषण की आशा करता था वैसा भाषण उनका नहीं हुआ।

माननीय बालेन्दुशाह जी ने एक तर्क उपस्थित किया, जो मुझे उचित प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा कि सत्ता सैंट्रेलाइजेशन न हो कर डिसेंट्रेलाइज होनी चाहिये। क्या आप यह समझते हैं कि सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है? सरकार का ध्यान इस तरफ है और इसी लिये पंचायतों की स्थापना की गयी और उसके लिये नियोजन समितियां हर जिले में स्थापित की गयीं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड जैसी संस्थायें स्थापित की गयीं। इससे जाहिर होता है कि सरकार का इरादा केन्द्रीयकरण का नहीं है बल्कि विकेन्द्रीयकरण का ही है। कोई काम आप करेंगे तो धीरे-धीरे करने से ही अधिक कामयाबी हासिल हो सकती है। यकबयक कोई स्कीम कार्यान्वित कर दी जाय यह उचित प्रतीत नहीं होता।

इसके अतिरिक्त और माननीय सदस्यों के भाषणों को सुन कर आश्चर्य हुआ। बातें केवल विरोध की भावना से न कही जायं, कुछ कांस्ट्रक्टिव सुझाव भी उपस्थित किये जाने चाहियें, जिन पर अमल किया जा सके जिससे हमारे प्रदेश की उन्नति हो। विरोधी पक्ष के नेता ने, खास कर गेंदा सिंह जी ने कहा कि हमारे जो कलेक्टर हैं उनके तरीके में कोई फर्क नहीं आया। वे सरकार की नीति का पालन नहीं कर रहे हैं। मुझे इससे विरोध है। मैं अपने जिले की बात जानता हूं, और जिलों के लिये तो नहीं कह सकता, कि कलेक्टर वहां हाथ में फावड़ा और सर पर डलिया लेकर श्रमदान के अवसर पर हमारे साथ घूमता है। माननीय गेंदा सिंह जी को तजुर्बा होगा कि अंग्रेजों के जमाने में कलेक्टर के दर्शन के लिये घंटों उसके बंगले पर बैठना पड़ता था। तब कहीं कलेक्टर के दर्शन हुआ करते थे। कलेक्टर को सुनाने के लिये और अधिकारियों को अपनी बात सुनाने के लिये आपको अर्जी भेजनी पड़ती थी। तब दर्शन होते थे। आज क्या है? आज आप आधी रात को भी जाइये वह आपका काम करने के लिये तैयार है। मैंने स्वयं रात को जाकर कलेक्टर को जगाया है और उसने ११ बजे मेरा काम किया है। एक ऐसा ही जरूरी काम पड़ गया था, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का था उसको सुनाने का अवसर नहीं है, लेकिन कलेक्टर ने बीमारी की हालत में हमारी बात सुनी और उसको कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया। तो ऐसी हालत में यह कहना और सबको एक लाठी से हांकना, सब को एक तरफ से यह कह देना कि जितने कलेक्टर लोग हैं वह सब खराब हैं, यह नीति उचित नहीं है। हां, हो सकता है कि कोई खराब हो, हमारे कलेक्टर में कोई खराब हो सकता है, लेकिन जिसमें खराबी है उसको दूर करने के लिये माननीय मुख्य

[श्री ब्रजविहारी मिश्र]

मंत्री से कहे, वह ऐसे व्यक्ति हैं तो वह खराबी दूरी की जायगी किन्तु उसको जनरलाइज करना और तमाम सर्विसेज को बुरा कहना और उन पर नुक्ताचीनी करना कि सब खराब है और वह हमारी स्कीम को खराब कर रहे हैं और सरकार को वह गढ़े में ले जा रहे हैं, यह उचित नहीं प्रतीत होता है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं है बल्कि उनको कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन दीजिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष अपने कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

हमारे जिले में करीब २३ नदियां हैं। वहां पूर्वी जिलों के लिये इस बजट में कुछ नावें तथा मोटर बोट उन नदियों के लिये बाढ़ के समय के लिये बनाये जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि पूर्वी जिलों के रहने वाले जो हम लोग हैं उनको वह भूल जायं या अधिकारी वर्ग ही भूल जाय। मेरे जिले का नाम उसमें नहीं आया है तो मैं यह चाहता हूं कि कुछ न कुछ वहां के लिये भी प्रबन्ध किया जाय। कुछ मोटर बोट वहां के लिये भी बनायी जायं और आजमगढ़ जिले के लिये भी कुछ कार्यवाही होनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में जो कलेक्टरी है वहां पर हर कमरे में इजलास होता है। कोई जगह नहीं है। इस लिये जरूरत इस बात की है कि कुछ इमारतें वहां पर बढ़ायी जायं। जहां पर दफ्तर हैं वहीं पर अलहमद बैठता है और दूसरे अहलकार भी वहीं पर बैठते हैं। इससे वहां बड़ी मुश्किल है।

तीसरी बात जिसकी तरफ मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह यह है कि आज यह वास्तव में जनता की हुकूमत है। जनतन्त्र राज्य की हुकूमत यहां पर चल रही है। आवश्यकता इस बात की है कि जो मुवक्किल कचहरियों में आते हैं उनके लिये कोई बैठने का समुचित स्थान हो। हमारे जिले में बरसात के दिनों में, गर्मी के दिनों में और जाड़े के दिनों में मुवक्किलों के बैठने के लिये स्थान नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि उनके लिये कोई स्थान बैठने का जरूर होना चाहिये ताकि उनको मालूम हो कि अब हुकूमत बदल गयी है और गैरों की अब हुकूमत नहीं है बल्कि असल हुकूमत अपनी है। इन शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बजट के पेश करने के लिये बधाई देता हूं।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय, इस समय जो बजट इस सदन के सामने प्रस्तुत है और उसमें जो कटौती का प्रस्ताव श्री गेंदा सिंह ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यदि किसी को किसी प्रदेश की हालत को देखना हो तो वह उसकी दशा को उसके ऐडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से जान सकता है। अभी हमने अपने यहां उत्तर प्रदेश के शासन की जो हालत थी उसको पुलिस के बजट के समय देखा कि चारों तरफ से चाहे वह इस बेंच के हो चाहे उस बेंच के हों सब ने एक तरह की ही अपनी आवाज उठायी और कहा कि चारों तरफ करेप्शन का ही भरमार है और प्रदेश के अन्दर कहीं पर भी न्याय का नाम सुनाई नहीं दिया। जब १५ अगस्त, सन् १९४७ ई० को स्वराज्य हुआ तो हम रामराज्य का स्वप्न देख रहे थे और यह सोच रहे थे कि महात्मा गांधी ने जिस देश के गरीबों को साथ लेकर इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की और जो इस देश को उन्नति के शिखर पर देखना चाहता था तो क्या वह उनका स्वप्न पूरा हो गया? हमारे लिये रोटी और कपड़े की कठिनाई दूर होगी। लेकिन आज हमको न्याय भी नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, हमारे संविधान में है और जिसकी शपथ हम लोगों ने पहले ही दिन यहां ली थी, कि सब को राइज करने की बराबर अपरचुनिटी दी जायगी लेकिन वह नहीं किया जा रहा है। बापू ने मरने से १ दिन पहले कहा था कि हम चाहते हैं कि सचिवालय में किसान और उनके प्रतिनिधि हों और नेहरू उनके मंत्री हों। मुझे खुशी है कि आज हरिजनों को कुछ स्थान मिले हैं लेकिन अफसोस है कि पिछड़ी जातियों के लिये कुछ नहीं किया गया है।

आज उनका खात्मा हो रहा है। यह मौका किसी को नहीं होना चाहिये कि हमको शिक्षा की या किसी बात की ईक्वल अपारचुनिटी नहीं मिल रही है। हमारे देश में लड़ाई के बादल जो मंडरा रहे हैं उनका भी मुकाबिला करना है। आज हमें देश की शासनव्यवस्था को सुधारना है। जो मर्दानगी हमारे अफसरों ने कम्यूनल रायट्स को सन् १९३७ में दबाने में दिखायी वह आज हम नहीं देखते हैं। आज जातीयता और पक्षपात भरा हुआ है। मैं यह प्रार्थना करूंगा मुख्य मंत्री जी से कि यदि हमारे पूर्वी जिलों में पश्चिम के अफसर जावें तो हमारा ज्यादा भला हो सकता है क्योंकि मुझे विश्वास है कि उनमें इतनी जातीयता और पक्षपात नहीं है जितना पूर्वी जिलों के अफसरों में है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है कि माननीय पंत जी ने जो पिछली बार भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होती तब तक किसी मुल्क के मसले हल नहीं हो सकते। कहा जाता है कि इस प्रदेश में हम बेकारी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी सदन में मैंने एक प्रश्न पूछा कि ३,२०० अध्यापकों में पिछड़ी कौमों के कितने लोग लिये जावेंगे, तो शिक्षा मंत्री जी ने उत्तर दिया कि उनके लिये कोई रिजर्वेशन नहीं है। मुझे अफसोस है कि बजट को जब हम पढ़ते हैं तो यह लिखा है कि पिछड़ी जातियों का उत्थान हो रहा है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल वर्किंग देखते हैं तो मुझे निराशा ही निराशा मालूम होती है। इस प्रदेश के अन्दर अभी तक पिछड़ी कौमों के अन्दर केवल ९ ही जातियां रखी गयी थी और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि उन्हें हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय पंत जी ने उस कठिनाई को कुछ हद तक दूर कर दिया है, लेकिन जो प्रतिनिधित्व पिछड़ी कौमों का है उसे देखते हुये मुझे इन कौमों के लिये निराशा मालूम होती है। पैरा १६ के क्लाज ४ में लिखा है :—

"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

मैं तो माननीय पंत जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे पिछड़े हुए लोगों की हालत को देखें और यह कोशिश करें कि उनका भी प्रतिनिधित्व सर्विसेज में हो। मैं यह तो नहीं कहता कि उनकी पोप्यूलेशन के हिसाब से उनका रिप्रेजेन्टेशन हो, लेकिन यह जरूर कहता हूं कि उनको भी ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेन्टेशन दिया जाय ताकि बेकारी की समस्या दूर हो जो कि उनके सामने आज बड़े भयंकर रूप में है। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय एक चीज और कहना चाहता हूं वह यह है कि अगर आप पूर्वी जिलों की हालत देखें और खासकर गाजीपुर में, अंग्रेजों के जमाने से रस्से से उतरा चढ़ा जाता था। रस्से से उतरने की समस्या कलेक्टरी के अन्दर पायी जाती है। उसके द्वारा बस्ते उतारे जाते हैं और लोग भी उतरते हैं और अगर उतरने वाला कहीं गिर जाय तो वह भी जमीन पर बस्ते की तरह आ जाय और गिर कर उसका भी खात्मा हो जाय। इस तरह से बस्ते भी खराब होते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की दिक्कत को दूर किया जाना चाहिये।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भाषणों को बड़े ध्यान से सुना। उनमें मुझे विशेष रूप से चार बातें सुनायी पड़ी। यह कहा गया कि प्रशासन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों में कर्त्तव्यहीनता और करप्शन है तथा कमिश्नरों की संख्या बढ़ा दी गयी है। इसके अतिरिक्त एक बुनियादी प्रश्न भी लाने का प्रयत्न किया गया कि शासन में विकेन्द्रीयकरण इस हद तक होना चाहिये कि कलेक्टर को भी हटा दिया जाय और वहां के शासन में जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मेरे एक मित्र ने यहां तक कहा कि जिलों की ठीक सरहद बनाने के लिये

[श्री रामनरेश शुक्ल]

एक कमेटी जिले के स्तर पर बनायी जाय व उसके लिये कमीशन मुकर्रर कर दिया जाय । मुझे बेहद तकलीफ होती है इस बात को देखकर कि आज इस देश में जो पृथक्करण की मनोवृत्ति हो रही है उनका थोड़ा सा असर और भावना यहां भी आ गयी है। विकेन्द्रीयकरण अच्छी चीज है लेकिन वह हद तक होना चाहिये । क्या यह बात सही नहीं है कि इन बातों से हमारा देश टुकड़ों में बंट सकता है और टुकड़ों में बंटने के बाद इतना कमजोर हो सकता है कि वह फिर दासता का शिकार हो जाय । ऐसा ही हमें इतिहास से मालूम होता है। मैं आपके द्वारा उन साथियों से कहना चाहता हूं कि जब वे ऐसे मौलिक प्रश्नों को उठावें तो जरा ठंढे दिल से, देश भक्ति और राष्ट्रीय भावना से उसकी तरफ देखें ।

दूसरी बात जो गेंदा सिंह जी ने कही वह यह कि कमिश्नरों की तादाद बढ़ा दी गयी जब कि वाकया यह है कि कमिश्नरों की संख्या कुल ३ रह गयी है । मुझे तो यह दिखायी पड़ता है कि उनको कमिश्नर शब्द से ही कुछ परेशानी हो जाती है, अगर ऐसा है तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि यह १२,१३ कमिश्नर ही नहीं, अगर उनमें म्युनिसिपल कमिश्नरों को और जोड़ दिया जाय तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जायगी । जहां तक कर्त्तव्यहीनता और करप्शन की बात कही जाती है मुझे ताज्जुब हुआ कि जो भी व्यक्ति जरा सी भी जानकारी रखता है और जिसने यह जानने की कोशिश की हो कि प्रशासन विभाग में कौन से अधिकारी आते है और उसको जानने के बाद भी जानबूझ कर यह कहे कि इस विभाग में किसी प्रकार का करप्शन है तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती । जहां तक कर्त्तव्यहीनता की बात कही गयी है, यह बात तो प्रचार की बात हो सकती है । जहां तक इस विभाग के कर्मचारियों का सवाल है आज नहीं पिछले दिनों को भी उठा कर देखा जाय तो अध्यक्ष महोदय, मजबूर होकर विरोधी दल के सदस्यों ने अपने भाषणों में कहा है कि वे कर्मचारी जिन्होंने इस देश में साम्प्रदायिक दंगों के अवसर पर जिस प्रकार से काम किया था उसी प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं । तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि देश का जिस समय बटवारा हुआ था, जिस समय देश स्वतंत्र हो गया था और यदि विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इस सरकार की नीति को इस गहराई तक समझते थे कि उस समय साम्प्रदायिकता का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो आज ६,७ वर्ष काम करने के बाद भी जब कोई माननीय सदस्य खड़े होकर यह कहते हैं कि पूरब के अधिकारियों के अन्दर जातीयता की भावना हो रही है और उसके साथ यह भी कहना कि पश्चिम में नहीं है, तो समझ में यह बात आती नहीं है । पूरब के अधिकारी क्या पूरब में ही पैदा हुए हैं ? अधिकारियों का ट्रांसफर होता है, स्थानान्तरण होता है । अगर किसी अधिकारी की मनोवृत्ति जातीयता युक्त है तो वह पूरब से पश्चिम में भी हो सकती है और अगर पश्चिम में नहीं है तो पूरब में भी नहीं हो सकती है । इसलिये मुझे तो अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य का कुछ मंशा मालूम नहीं हुआ । यह बात दूसरी है कि भावना वहीं हो सकती है जिस स्थान पर जातीयता को ज्यादा स्थान दिया गया हो ।

दूसरी बात मैं इन कर्मचारियों की कर्त्तव्यपरायणता के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, इसी विभाग के कर्मचारियों ने इस प्रांत के अन्दर जेनरल एलेक्शन कराया और वह भी बिना किसी लड़ाई झगड़ा के शांति के साथ एलेक्शन हुआ । इसी विभाग के अधिकारियों ने पंचायत राज की स्थापना की । एक नया प्रयोग इस देश में ही नहीं बल्कि संसार में सबसे बड़ा प्रयोग उत्तर प्रदेश के प्रशासन अधिकारियों ने करके दिखला दिया । आज हम देखते हैं कि इस विभाग के अधिकारी रात दिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के आदर्श पर चल कर पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उनके बलिदान, उनकी मेहनत और मशक्कत से ही पंचवर्षीय योजना का हमारा आर्थिक संगठन पूरा होगा ।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस अनुदान के सम्बन्ध में दो प्रकार की बातें कही गयी हैं। पहली तो वह बात है जो सिद्धान्त से सम्बन्ध रखती है। और दूसरी बातें कुछ व्यावहारिकता के सम्बंध में कही गयीं हैं। श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि जो सिद्धान्त की बातें थीं वह तो उस समय कही जानी चाहिये जब हम कोई विधान या विधेयक यहाँ पास कर रहे हों या ज्यादा ऐसी के बातें कहने लिये सामान्य वाद विवाद का अवसर हो सकता है लेकिन हर जगह सिद्धान्त की बात कहना केन्द्रीय और विकेन्द्रीयकरण की बात करना मैं समझता हूं कि यह राजनीतिक प्रोपेगेंडा की बात है। मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थकों को यह बतला दूं कि किसी तरह भी अपने को उनसे कम प्रगतिशील नहीं मानता और इतना ही नहीं मैं यह भी समझता हूं कि मुख्य मन्त्री महोदय जिनके हाथ में हमारे प्रान्त के शासन की बागडोर है वह भी मुझसे या उनसे किसी प्रकार भी कम प्रगतिशील विचारों के नहीं है बल्कि मैं तो इससे भी ज्यादा कहने को तैयार हूं कि वह मुझसे और उनसे भी ज्यादा प्रगति की बात सोचते हैं और जहाँ तक इस प्रदेश के गरीबों, पीड़ितों और असहाय निर्धनों की सहायता और उनके प्रति सहानुभूति का सम्बन्ध है उसके बारे में मेरा दृढ़ विश्वास है कि माननीय मुख्य मन्त्री के हृदय में किसी प्रकार भी कटौती के प्रस्ताव या समर्थकों से कम स्थान उनको हमदर्दी का नहीं है परन्तु विचारणीय बात यह है कि एक ओर इन विचारों का व्यवहार में लाना है और दूसरी ओर के बाहर कह देना है।

जहाँ तक केन्द्रीयकरण या विकेन्द्रीयकरण का प्रश्न है बहुत सी बातें कही जा चुकी है और इस बात से मेरे वह मित्र भी इन्कार नहीं कर सकते कि इस थोड़े से समय में जितना शक्ति का विकेन्द्रीयकरण इस पार्टी की सरकार द्वारा हुआ है कम से कम इस ढंग से दूसरी पार्टियों के लिये जिनमें कि नेताओं का अभाव है अर्थात् उनके पास काँग्रेस जैसा नेतृत्व नहीं है करना असम्भव ही जैसा होता। मैं तो वह कहने को तैयार हूं कि यदि दूसरी पार्टी के लोग जिनके पास नेतृत्व का अभाव है इतने क्रान्तिकारी कदम इतनी जल्दी-जल्दी उठाते तो सम्भव था कि इस देश में अराजकता फैल जाती और वह स्वतन्त्रता जिसके लिये हमारे देश के नवजवानों ने खुन बहाया खतरे में पड़ जाती। हर स्थान पर विकेन्द्रीयकरण का पाठ पढ़ाना और विकेन्द्रीय-करण की बात कहना शोभा नहीं देता। मैं यह भी बतला देना आवश्यक समझता हूं कि शान्तिमय क्रान्ति द्वारा यह शक्ति का विकेन्द्रीयकरण हुआ है वह ऐसे पिछड़े हुये देश के लिये जहाँ की जनता में शिक्षा का अभाव हो, जिस देश में साम्प्रदायिकता, जातीयता और वर्गभेद का इतना जोर हो उस देश में इतनी जल्दी शक्ति का विकेन्द्रीयकरण होना बड़े गर्व की बात है। जमींदारी सिस्टम का उन्मूलन, बड़ी-बड़ी रियासतों का विघटन और समाज के विचारों में इतना परिवर्तन जितना अब तक हुआ है मामूली बात नहीं है। इसके साथ ही मैं इतना कह देना जरूरी समझता हूं कि जब हम शासन की समालोचना करें तो यह विचार कर करें कि आज जनतंत्रीय सरकार है और उस समाज की जनतंत्रीय सरकार है जिसके अन्दर तमाम बुराइयाँ जोकि यहाँ बताई गई हैं मौजूद हैं। उन्हीं बुराइयों को शासन के अन्दर पा रहे हैं मैं नहीं समझता कि अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति होता या मान लीजिये कटौती के प्रस्ताव के प्रस्तावक ही होते तो कहां से ईमानदार, निष्पक्ष, और जातीयता में विश्वास न रखने वाले व्यक्ति कौन से देश से लाकर हमारे देश में रखते। मैं उनको इन तमाम बुराइयों को मानता हूं जो कि आज शासन में हैं जैसे जातीयता है, भ्रष्टाचार है और पक्षपात भी है, लेकिन यह हमारे समाज की मुख्य बुराइयाँ हैं जो एक साथ नहीं मिटेंगी। जिनके लिये समय की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और साथ ही माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देते हुये यह कह देना चाहता हूं कि सतर्कता

[श्री मही लाल]

और सावधानी के साथ आज हमारे प्रान्त के अधिकारियों से काम लिया जा रहा है परन्तु उसमें और अधिक कड़ी दृष्टि रखने की आवश्यकता है। मेरा यह मतलब नहीं है कि उनके प्रति सहानुभूति और हमदर्दी न रक्खी जाय। वहाँ साथ ही साथ उन पर कड़ी नजर रखने की भी जरूरत है। मैं नहीं समझता कि वह बात सच है या गलत जो कि माननीय भगवान सहाय जी ने कही कि ३७ जिलों में गबन हुआ है अगर ऐसा है तो यह हमारे शासन के लिये और हमारे प्रान्त के अधिकारियों के लिये एक बड़ी लज्जा की बात है और शासन से इस तरह की अनियमितायें दूर होनी चाहिये। मैं इस सरकार के अधिकारियों से भी अपील करना चाहता हूं कि उन्हें आज समाज की जो माँग है उसी के साथ साथ चलना चाहिये और इसी में उनकी, हमारी और हमारे पूरे समाज की भलाई है।

*श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इन दोनों अनुदानों पर जो बहस हो रही है उसे मैंने बड़े गौर से सुना। माननीय सदस्यगणों ने जो अपने बहस के दौरान में जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की बुराइयां बयान करने की कोशिश की उनपर हर सख्स गौर करते हुये इस राय पर पहुंचेगा कि किसी भी संस्था में किसी भी इंस्टीटूशन में खामियां होना जरूरी है। इसमें शुभा नहीं कि हमारे सूबे में सर्विसेज के ऊपर ही शासन का पूरे तौर से दारोमदार है। अपनी अपनी राय के मुताबिक़ जिसको जो खामी नजर आती थी उसका उसने बयान किया लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सब इस राय के होंगे कि कोई भी संस्था या कोई भी इंस्टीटूशन परफेक्ट होने की स्टेट तक नहीं पहुंच सका है और हमारी सरकार शायद इस बात का दावा भी नहीं करती कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन जो है वह त्रिकाल परफेक्ट है। लेकिन हमें इस चीज पर गौर करते समय खास तौर से यह देखना चाहिये कि किन सरकम्सटांसेज में और किन हालतों में इन सर्विसेज ने काम किया है। ओमन्, इन्डेपेंडेन्स के सिलसिले में जो देश का बटवारा हुआ उस समय जो दिक्कतें इस राज्य के सामने आईं, उनपर बहस न करते हुये मैं कहूंगा कि उस समय से लेकर आज तक रेफ्यूजी को बसाने को और ला एन्ड आर्डर के मामले को जिस तरह से इस ऐडमिनिस्ट्रेशन ने हल किया उसकी तारीफ किये बगैर नहीं रहा जा सकता। उसके अलावा स्केरसिटी कन्डीशन्स और पूर्वी जिलों में पानी न बरसने की कारण जो कठिनाइयाँ रहीं उसका मुकाबिला भी इस राज्य ने और यहाँ के ऐडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से किया उसकी भी तारीफ किये बगैर नहीं रहा जा सकता। उसके अलावा जमींदारी एबालिशन और जनरल एलेक्शन के सिलसिले में इस ऐडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया उसकी भी तारीफ जरूर करना चाहिये। लेकिन सवाल यह है कि इस देश में जब अंग्रेजी शासन खत्म हुआ तब हमारे सामने जो मैटीरियल सरकारी अफसरों में और पब्लिक में था उसी को ले करके इस सरकार को चलना था। हम मानते हैं कि हमारे अफसरान जो बटवारे के बाद रह गये वह उतने तजुर्बेकार और उतने एफिसेंट नहीं थे जो उससे पहले रह चुके थे। इसके साथ साथ जो कठिनाइयाँ पड़ीं उनको देखते हुये जिस तरह से उन्होंने काम किया उसकी तारीफ किये बगैर नहीं रहा जा सकता। हमें यह भी देखना है कि हमारी पब्लिक और खुद हम किस स्टैंडर्ड के हैं, कैसा मारल स्टैंडर्ड हमारा है, कैसा मारल स्टैंडर्ड हमारे देश और राज्य का है। हम जब घूसखोरी की बातें करते हैं तो उस समय हमें यह नहीं भूलना चाहिये और क्या हमारे विरोधी पक्ष के लोग यह कहने के लिये तैयार हैं कि पब्लिक में से ऐसे लोग उनके जिले में दो चार छंगिने हुये मिल सकते हैं जिनके लिये वे वह कांफिडेंस के साथ कह सकते हैं कि वह तो नान आफिशल तो हैं लेकिन पूरे तौर से उनकी इंटगरिटी और आनेस्टी के बारे में उनको यकीन है। जो हमारा मारल स्टैंडर्ड है उसको ले करके ही हम काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से जिन तरीकों से हमारी सरकार इस मुश्किल वक्त में इस एडमिनिस्ट्रेशन को ले चल रही है और धीरे धीरे सुधार की कोशिश कर रही है उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डिसेंट्रेलाइजेशन के सिलसिले में कहा गया कि कमिश्नर्स ७ के बजाय १२ हो गये लेकिन जैसा हमारे एक दोस्त ने कहा कि कैसे कमिश्नर्स को पहले हटाना मकसूद था और उनके बजाय अब कैसे कमिश्नर्स बढ़ाये गये हैं। बहरहाल सवाल यह था कि डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन और हैडक्वार्टर्स के दरमियान जो दूसरा एक लिंक कमिश्नर्स का मौजूद था जिससे हर मामले में खतोकिताबत करने में देर लगती थी असुविधा होती थी, वह चीज खत्म हो रही है, और अब अब हैडक्वार्टर्स का डिस्ट्रिक्ट से सीधा ताल्लुक रहता है। इस सिलसिले में मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के सामने एक सुझाव जरूर रखूंगा। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है जो हालत जिलों में है, उसको देखते हुये मैं पूरे तौर से इस राय का हूं कि जो हालत जिलों के कोने-कोने की होती है, उसको जिस तरह से वहाँ के लोकल लोग जानते हैं उसके मुकाबिले में एक नया आफिसर बाहर से आता है तो एक महीना, दो महीना, एक साल या दो साल रहने के बाद भी उसको उतनी जानकारी नहीं होती है। इस लिये मेरा सुझाव यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में वहां पर एक एडवाइजरी कमेटी के बजाय एक शक्तिशाली कमेटी रखी जाय, जिसका काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्जिक्यूटिव आफिसर की हैसियत से करे। इसके साथ साथ बजाय इसके कि जिले के बेहतरीन लोगों को बुला करके लखनऊ में ऊंची जगहों पर रक्खा जाय, उनको अपने ही जिले में रक्खा जाय और उन कमेटियों का काम उनके सुपुर्द किया जाय तब मेरा ख्याल है कि वह शिकायतें जो वहाँ के जनता को होती रहती हैं कि हमारे जिले का हित जो है उसका ख्याल नहीं किया जाता है यह शिकायत रफा हो जायगी।

*श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, जिस परिस्थिति में और जिस वातावरण में हम चल रहे हैं उसकी ओर दृष्टि करते हुये हमारे बीच में जो भ्रष्टाचार और त्रुटियां हैं उनके लिये पूर्ण रूप से केवल सरकार के शासन को ही दोषी ठहराना मैं ठीक नहीं समझता। श्रीमन्, सदस्यों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता को मिले हुये अभी सात ही वर्ष हुये हैं और अभी हम लोगों का नैतिक स्तर इतना ऊंचा नहीं है। भ्रष्टाचार की बातें मैंने इस ओर से भी सुनी और सुनता रहता हूं। परन्तु मुझे आश्चर्य होता है कि जब हम जरा यह नहीं सोचते कि भ्रष्टाचार करने वाला कौन है। मैं जानना चाहूंगा, श्रीमन् क्या माननीय पंत जी यहां बैठे-बैठे घूस दिया करते हैं मैं जानना चाहूंगा कि क्या जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट घूस देते और लेते हैं। श्रीमन्, घूस देने वाले और घूस लेने वाले हम हैं। आप देखें बार एसोसियेशन रेजोल्यूशन्स पास करते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है और सरकार कुछ करती नहीं है और वही वकील साहबान वही रेजोल्यूशन पास करने के पांच मिनट बाद जब बाहर मिलते हैं तब अपने मुवक्किलों से कहते हैं कि फलाने बाबू को पांच रुपये दे दो जिसमें नकल जल्दी मिल जाय। श्रीमन् मैं यह विश्वास नहीं करता कि भ्रष्टाचार जैसी चीज ऐसी है जो सरकार के ही प्रयास से खत्म हो सकती है। इस लिये मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार की सफलता उसके शासन में कुछ भ्रष्टाचार है या गबन है या घूस खोरी है इस पर निर्भर नहीं है। जनता की सरकार की सफलता इस पर निर्भर है कि जनता की भलाई के लिये जो योजनाएं बनायी जाती हैं वे देहातों और जिलों में किस प्रकार कार्यान्वित की जाती हैं। मुझे इस विषय पर कुछ आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करना है। मैं यह समझता हूं कि जो सरकार की योजनायें हैं उनको कार्य रूप में बिलकुल ठीक परिणत नहीं किया जा रहा है। देहातों में आप किसी भी योजना को देखलें। आप प्लानिंग को ही देख लें। यहां से जितने आदेश जाते हैं उनका आधा भी काम जिले में नहीं होता।

श्रीमन्, हमारा एक मेम्बर की हैसियत से या किसी और का एक पब्लिक सर्वेंट होने की हैसियत से सिर्फ यही कर्त्तव्य नहीं है कि हम सरकार के हर काम की बड़ाई करते जांय और प्रशंसा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

करते जाते चूंकि उनकी योजनायें अच्छी हैं, परन्तु हमारा कर्त्तव्य यह भी है कि हम सरकार को यह बतायें कि कहां-कहां पर उनमें त्रुटियां हैं। श्रीमन्, माननीय पंतजी तो केवल एक ही हैं और सूबा है करीब ६ करोड़ से ज्यादा का। वह हर जगह तो जा नहीं सकते, हर जिले में तो जा नहीं सकते, हर गांव में तो पहुंच नहीं सकते यह देखने के लिये कि जो उनकी कोई योजना है उस पर वहां किस तरह से काम हो रहा है। परन्तु श्रीमन्, उनका शासन कैसे ठीक रहेगा और वह कैसे हमारे प्रदेश को उन्नति के रास्ते पर ले जा सकेंगे यदि यहां के सदस्य से लेकर एक छोटे से कर्मचारी तक डरते हों या इसमें कुछ अजीब बात समझते हों कि पंत जी या माननीय मन्त्री जी को यह बतला दिया जाय कि यह योजना यहां पर ठीक से चल नहीं रही है या उसमें इतनी त्रुटियां हैं। श्रीमन्, एक श्रमदान का ही उदाहरण मैं देता हूं। मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने जिले में श्रमदान की वह हलचल नहीं पाते जो मैं और जिलों में सुनता हूं। मैंने कोशिश की कि सरकारी कर्मचारियों से इस पर बात करूं और उनसे पूछूं कि हमारे प्रयत्नों में क्या कमी है या कुछ योजना में त्रुटि है जो श्रमदान ऐसा नहीं चल रहा है जैसा चलना चाहिये। श्रीमन्, मुझे दुख और आश्चर्य है कि मैं यह समझता हूं कि अगर सरकारी कर्मचारी यह समझता है कि इस योजना में यह त्रुटि है या इसको अगर इस प्रकार लागू किया जाय तो बड़ी सफलता मिलेगी तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वह आने से ऊंचे अफसर से या माननीय मन्त्री जी से बता सके यहां से एक आदेश गया। उस पर जैसे तैसे उन्होंने काम किया और मुझे तो ऐसा आभास होता है कि उनकी कुछ ऐसी मैंटेलिटी है कि अगर उसके खिलाफ हमने कोई रिपोर्ट भेजी अगर हमने कोई अपनी कमी बताई या कोई दिक्कतें भी पेश की तो शायद सरकार हमसे नाराज हो जायगी। इसलिये जैसे वह कहते हैं वैसे ही काम करते हैं चाहे उसमें सफलता मिले और चाहे न मिले। इस सिलसिले में श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि मुझे कुछ ऐसा मालूम होता है कि जिला के कर्मचारी खासतौर से ऊंचे कर्मचारी अपनी जगह पर अपने को कुछ सिक्योर नहीं समझते। उनके दिल में शायद यह भावना है कि आज कल के वातावरण में यदि सख्ती न की जाय तो काम ठीक तरह से नहीं हो सकता और यदि वह सख्ती से काम करें तो उनके खिलाफ शिकायतें की जाती हैं और नतीजा यह होता है कि कुछ शिकायतों के बाद उनका तबादला हो जाता है। मेरा एक अनुभव है यदि ऐसी भावना है तो उससे उसकी पुष्टि होती है।

श्रीमन्, हमारे जिले में एक चुनाव हुआ था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उस उपचुनाव की तारीख से पहले ही थानेदारों का थानों से, पंचायत सेक्रेटरीज का और एस० डी० ओज० के तबादले किये गये और यह पता न चले कि ये तबादले किस लिये किये गये, एक रिवाफलिंग हुआ। इस लिये यह सब हुआ कि जो उपचुनाव हो रहा था उसमें कोई ब्राह्मण है तो वह ब्राह्मणों को वोट दिला देगा, कोई कायस्थ है तो वह कायस्थों के वोट्स दिलवा देगा। इस तरह की सब बातें होती हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इनसिक्योरिटी की भावना आज कर्मचारियों में हो।

अन्त में मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इतना ही काफी नहीं है कि जनता की सरकार जनता की भलाई के लिये अच्छी-अच्छी योजनायें बनाये। इससे ज्यादा आवश्यक यह है वह योजनायें पूर्ण रूप से कार्यान्वित हों और जो त्रुटियां रह जांय उनके लिये हर एक को पूरा-पूरा अवसर होना चाहिये और किसी को कोई डर नहीं होना चाहिये कि वह अपने मन्त्री या डिपार्टमेंटल हैडस् से अपनी कमजोरी दिक्कत तथा जो त्रुटियां हों उनको बतलायें जिससे जो योजनायें जनता की भलाई के लिये की जाती हैं उनमें पूर्ण सफलता मिले और कोई त्रुटियां कमी न रह जाय। यह भावना कदापि नहीं होनी चाहिये कि यदि मैंने यह दिक्कत या त्रुटि बतलाई तो सरकार नाराज हो जायगी। मैं समझता हूं कि वह ज्यादा

सरविस करता है जो त्रुटियां या दिक्कत या कमजोरी बतलाता है या यह बतलाता है कि कैसे कार्य किया जाय जिससे पूर्ण रूप से हमें अपनी योजनाओं में सफलता मिल सके।

(श्री मदन मोहन उपाध्याय बोलने के लिये खड़े हुए ।)

श्री अध्यक्ष—(उनका नाम पुकारने के पश्चात्) अब आप, मैं समझता हूं कि कल ही अपना भाषण करें तो अच्छा हो।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
९ मार्च, १९५४।

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५ पर।)

१९५४ की डायरियों की वितरण-सूची

१—राष्ट्रपति, भारत सरकार के मंत्री, उपमंत्री, तथा सभा सचिव।

२—नागरी लिपि सुधार सम्मेलन के सदस्य तथा अन्य आमंत्रित व्यक्ति।

३—अन्य सभी प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्यप्रमुख तथा चीफ कमिश्नर।

४—अन्य राज्यों के मुख्य मन्त्री (नागरी लिपि सुधार समिति में भाग लेने वालो के अतिरिक्त)।

५—अन्य सभी प्रदेशों के सूचना संचालक।

६—उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मंत्रिमंडल के सदस्य, उप-मंत्री, सभा सचिव, तथा विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद् के सभापति तथा उप-सभापति।

७—उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्यगण।

८—उत्तर प्रदेश से भारतीय संसद् तथा राज्यपरिषद् के सदस्यगण।

९—उत्तर प्रदेश वित्त समिति तथा सूचना स्थायी परामर्श दात्री समिति के सदस्यगण।

१०—प्रेस प्रतिनिधि तथा संपादकगण।

११—उत्तर प्रदेश सचिवालय के गजेटेड अधिकारीगण।

१२—सूचना विभाग तथा सचिवालय के अन्य विभागों को।

१३—विविध प्रमुख व्यक्ति, जिसमें फोर्ड फाउन्डेशन के सदस्य तथा यूरोप के समाजवादी नेता आदि भी सम्मिलित हैं।

१४—उत्तर प्रदेश के विभागाध्यक्ष (Heads of Departments)।

१५—उत्तर प्रदेश के जिलाधीश, जिला नियोजन अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला नियोजन अधिकारीगण।

१६—भारत सरकार के अधिकारीगण तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को कुम्भ मेले के अवसर पर वितरित।

१७—प्रेसीडेन्ट जिला बोर्ड, चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, प्रेसीडेन्ट तथा सेक्रेटरीज, बार एसोसियेशन्स तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस आदि।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१५८ एल० ए०—१९५४—८५०।